Digital India
Power To Empower

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

वार्षिक रिपोर्ट

2018-19

विषय सूची

कॉर्पोरेट जानकारी	--	02
प्रस्तावना	--	04
बोर्ड की रिपोर्ट	--	07
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	--	57
बैलेंस शीट	--	68
आय और व्यय का विवरण	--	69
नोट्स	--	71

कॉर्पोरेट जानकारी

निदेशक मंडल

अध्यक्ष

श्री रविशंकर प्रसाद (पदेन)
कानून और न्याय; संचार; और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के माननीय मंत्री (07/07/2021 तक)

उपाध्यक्ष

श्री. अल्फोंस कन्ननथनम (पदेन)
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी; पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री (15/05/2018 तक)

श्री संजय शामराव धोत्रे (पदेन)
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी; शिक्षा मंत्रालय; और संचार मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री (14/06/2019 से 07/07/2021 तक)

निदेशक

श्री अजय प्रकाश साहनी, आईएएस (पदेन)
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव

सुश्री अनुराधा मित्रा
अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार (20/09/2018 तक)

श्री किरण कार्णिक
पूर्व अध्यक्ष, NASSCOM (30/01/2019 तक)

डॉ सौरभ श्रीवास्तव
संस्थापक, इंडियन एंजेल नेटवर्क (03/02/2019 तक)

श्री अरविंद गुप्ता
MyGov-डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के सीईओ (30/06/2019 तक)

श्री संजय कुमार राकेश, आईएएस
प्रबंध निदेशक और सीईओ, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (12/09/2018 तक)

श्री एम.एस. राव, आईएएस
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक और सीईओ (19/09/2018 से 22/10/2019 तक)

श्री सूर्यनारायणन गोपालकृष्णन, आईएएस
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक और सीईओ, (04/12/2019 से 31/05/2020 तक)

श्री अभिषेक सिंह, आईएएस
राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग-डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और सीईओ (04/12/2019 से)
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक और सीईओ (20/07/2020 से)

सुश्री ज्योति अरोड़ा, आईएएस
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार (26/12/2019 से)

वरिष्ठ अधिकारी

अनुसंधान एवं विकास

श्री वी.के. भाटिया, वरिष्ठ निदेशक (अनुसंधान), डीआईसी
श्री विनय ठाकुर, निदेशक, परियोजना विकास, NeGD-DIC
श्री भवानी प्रसाद येरापल्ली, अनुसंधान निदेशक, डीआईसी
प्रो. नरेंद्र आहूजा, निदेशक, आईटी अनुसंधान अकादमी

वित्त

श्री जॉर्ज अरकल, निदेशक (प्रशासन और वित्त), डीआईसी
श्री नीरज कुमार, निदेशक, परियोजना मूल्यांकन और वित्त, NeGD
श्री के.पी. शिवदास, मुख्य प्रबंधक (वित्त), डीआईसी

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स यार्डी प्रभु एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
2, समाधान, पहली मंजिल, अगरकर चौक, अंधेरी (पूर्व) रेलवे स्टेशन के सामने, मुंबई - 400069।

शाखा लेखा परीक्षक

मेसर्स मदन डोगरा एंड एसोसिएट्स
चार्टड अकाउंटेंट
फ्लैट नं. 3, दूसरी मंजिल, B-46, कालकाजी, नई दिल्ली– 110019

कॉर्पोरेट कानून सलाहकार

मेसर्स ढोलकिया एंड एसोसिएट्स LLP
कंपनी सचिव
MHB-11/A-302, सर्वोदय Co.op.Hsg.Soc.Ltd., भविष्य निधि बिल्डिंग के पास, खेरनगर, सर्विस रोड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय:

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
#2, चौथी मंजिल, समृद्धि वेंचर पार्क, सेंट्रल एमआईडीसी रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400093
सीआईएन: U72900MH2001NPL133410
दूरभाष: (022) 28327505; 28312931/30
www.dic.gov.in

अनुसंधान केंद्र:

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन - राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग (एनईजीडी)
चौथी मंजिल, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
दूरभाष : (011) 24303714
www.negd.gov.in

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन - MyGov
कमरा नंबर 3015, तीसरी मंजिल, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
दूरभाष : (011) 24301812
www.mygov.in

प्रस्तावना

वर्ष 2018-19 के लिए डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (डीआईसी) की यह 18वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह संगठन 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के विजन, उद्देश्यों और लक्ष्यों को साकार करने में नेतृत्व और मार्गदर्शन करता है। डीआईसी विभिन्न क्षेत्रों में 'डिजिटल इंडिया' के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण, सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) को प्रोत्साहित करने, इनोवेशन और टेक्नोलॉज़ी को बढ़ावा देने में केंद्र/राज्यों के मंत्रालयों/विभागों को रणनीति संबंधी सहायता प्रदान करती है। कंपनी सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए इनोवेटिव समाधानों के कार्यान्वयन की दिशा में भी मूल स्तर पर काम करती है।

डीआईसी का राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग (NeGD) कार्यक्रम प्रबंधन को लेकर, ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर, और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रालयों/विभागों द्वारा लिए गए इनिसिएटिव के मामलों में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए ई-गवर्नेंस के विभिन्न क्षेत्रों में नीतियों और कार्यान्वयन रणनीति को तैयार करने में रणनीतिक दिशा प्रदान करता है।

डिजिटल इंडिया के नेतृत्व में लाए जाने वाले वाले परिवर्तन के लिए सरकार के भीतर क्षमताओं में वृद्धि की आवश्यकता है ताकि विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों का नेतृत्व और प्रबंधन उचित ढंग से किया जा सके। डिजिटल परिवर्तन की कल्पना, अवधारणा और कार्यान्वयन के लिए सरकार की आंतरिक क्षमता निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने हेतु, एनईजीडी ने अपनी क्षमता निर्माण (सीबी) योजना को जारी रखा है। साल के दौरान, 1,345 सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 33 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए। साथ ही, साल 2018-19 के दौरान, ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के नेतृत्व और प्रबंधन में शामिल परियोजना स्तर के सरकारी अधिकारीयों के लिए 3 मुख्य सूचना अधिकारी (CIO) प्रशिक्षण कार्यक्रम और साइबर अपराध और सुरक्षा उपाय को लेकर 345 मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारीयों (CISOs) के लिए 9 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

डिजिटल शासन और प्रबंधन को लेकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, विशाखापटनम (IIM-V) के साथ साझेदारी में एक विशिष्ट एमबीए प्रोग्राम शुरू किया गया।

NeGD के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) का उपयोग भारत भर में 45+ सरकारी मंत्रालयों / विभागों द्वारा किया गया और इसमें डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नेंस, सॉफ्ट स्किल्स, सतत विकास लक्ष्यों आदि को लेकर लगभग 100 घंटे का ई-कंटेंट है। वर्ष के दौरान सिस्टम का उपयोग 200+ वेबिनार के लिए भी किया गया।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत बनाया गया नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम (KMS), ई-गवर्नेंस समस्याओं एवं डिजिटल इंडिया परियोजनाओं को लेकर जानकारी एक्सेस करने, सहकार्यता और साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने अक्टूबर 24, 2018 को 'मैं नहीं हम - सेल्फ4सोसाइटी- पोर्टल और ऐप' नामक एक राष्ट्रीय मंच का शुभारम्भ किया, जो कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) एवं कर्मचारियों द्वारा स्वयंसेवी प्रयासों से सम्बंधित है।

डिजिलॉकर, दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को डिजिटल तरीके से जारी करने और सत्यापन करने के लिए एक मंच है जिससे भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम/ख़त्म किया जा सके। मार्च 2019 तक, डिजिलॉकर में 350 करोड़ दस्तावेज़ मौज़ूद थे।

UMANG (यूनिफ़ाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस) अपनी तरह का एक अनूठा सरकारी सेवा एकत्रीकरण मंच है, जो सिर्फ एक मोबाइल एप के द्वारा सैकड़ों सरकारी सेवाएं प्रदान कर रहा है। एप के साथ 104 विभागों एवं 21 राज्यों की 500+ सेवाओं को एकीकृत किया गया है। प्लेस्टोर पर 4.4 की एवरेज रेटिंग के साथ UMANG लगभग 185 लाख डाउनलोड, 160 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के स्तर पर पहुंच गया है।

भू-सूचना विज्ञान राष्ट्रीय केंद्र (NCoG) एक सिंगल सोर्स भू-सूचना विज्ञान सिस्टम (GIS) प्लेटफार्म है जिसका उपयोग साझाकरण, सहकार्यता, लोकेशन-आधारित विश्लेषण और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए किया जाता है। यह देश भर के विभिन्न सरकारी विभागों को सुविधा प्रदान कर रहा है। इसे MIS डेटा एवं लोकेशन-आधारित डेटासेट के साथ जोड़ा जा सकता है। लोकेशन-आधारित डेटासेट जैसे कि केंद्र सरकार के भूमि खंडो, खनन, जंगलों, औद्योगिक पार्कों, जल संसाधनों आदि से सम्बंधित डेटा का उपयोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का उपयोग करने और महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने के लिए किया जा चुका है।

NeGD ने रैपिड असेसमेंट सिस्टम (RAS) को ऑनलाइन और त्वरित फीडबैक के साथ ई-सेवाओं का आकलन करने और लक्षित लाभ प्राप्त करने के लिए बनाया है। वर्तमान में, रैपिड असेसमेंट सिस्टम 28 राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के 360 विभागों की 1,980 सेवाओं और 9 केंद्रीय परियोजनाओं के साथ एकीकृत है। विभिन्न सेवाओं के बारे में फीडबैक जानने के लिए के लिए 11 करोड़ से अधिक अनुरोध किये जा चुके हैं और नागरिकों की तरफ से करीब 24 लाख फीडबैक प्राप्त हो चुके हैं।

ओपन फोर्ज एक राष्ट्रीय कोड भंडार प्रदान करता है और साथ ही, सरकार, उद्योग, शिक्षाविदों और ओपन सोर्स संगठनों/लोगों के बीच सहकार्यता की सुविधा प्रदान करता है। साल के दौरान 625 परियोजनाएं पंजीकृत की गयी हैं, जिसके परिणामस्वरूप 6,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ परियोजनाओं की कुल संख्या 1518 हो गयी।

एंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर (EA) डेटा, एप्लिकेशन और प्रक्रियाओं का एक इंटरऑपरेबल पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है जो सही उपयोगकर्ता को सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध करा सकता है। इसका उद्देश्य ट्रांजेक्शनल सिस्टम इंटरऑपरेबिलिटी, नियामक ढांचे का एकीकृत रूप, IT परिदृश्य में जटिलता को कम करना, उद्यम सुरक्षा मजबूत करना, दक्षता के साथ सूचना आधारित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करना, कॉस्ट बेनिफिट, साझाकरण और पुन: उपयोग है। इंडियन एंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर (IndEA) को सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चरल गवर्नेंस, प्रक्रियाओं और अभ्यास के साथ ICT इन्फ्रास्ट्रक्चर के इष्टतम उपयोग और एक समान शासन अनुभव प्रदान करने के लिए बनाया गया था।

इसके अतिरिक्त, NeGD आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चला रही है जिसका उद्देश्य आम नागरिकों तक लाभ पहुँचाना और विभिन्न सूचना प्रणालियों को जोड़ने के लिए एक ओपन API प्लेटफार्म बनाना है।

महिला सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन प्रभाग (TDDD) ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने तीन ICT आधारित संसाधन केंद्रों की सेवाएं वाराणसी के लल्लापुरा और बसनी और उत्तर प्रदेश के बिठूर, कानपुर में जारी रखीं हैं जिससे साल के दौरान 5000+ महिलाओं को लाभ हो रहा है ।

बुनकरों के लिए कंप्यूटर एडेड टेक्सटाइल डिजाइन (CATD) टूल (डिजीबुनाई™) की डेवलपमेंट कमिश्नर (हैंडलूम), टेक्सटाइल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समीक्षा और सराहना की गई।

कृषि परामर्श के लिए इंटरएक्टिव सूचना प्रसार प्रणाली (IIDS) प्लेटफार्म को श्री जे सत्यनारायण IAS, पूर्व सचिव, MeitY द्वारा 'टेक्नोलॉजी सभा' पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष के दौरान, 3 राज्यों (आंध्र प्रदेश, मेघालय और तेलंगाना) से लगभग 25,000 नए किसानों द्वारा सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कराया गया। इसके साथ ही, कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 78,000 तक पहुंच गयी है।

दिव्यांगता से संबंधित जानकारी के प्रसार के लिए 'पुनर्भाव' वेब पोर्टल को डिपार्टमेंट ऑफ़ एंपावरमेंट ऑफ़ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज (PwDs), भारत सरकार की मदद से मोबाइल कम्पेटिबल बनाया गया और अपग्रेड किया गया।

बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के मूल्यांकन हेतु विशेष शिक्षकों की सहायता के लिए वेब आधारित टूल को द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 'डिजिटल लीडर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस' से सम्मानित किया गया था।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT के लिए विश्वेश्वरैया PhD योजना के अंतर्गत PhD कर रहे स्कॉलरों के शोध कार्यों की प्रस्तुति और मूल्यांकन के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। योजना के तहत यंग फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप (YFRF) विजेताओं के लिए भी कार्यशाला आयोजित की गयी जिसमे उनके कार्यों की समीक्षा की गयी। वर्ष के दौरान 1161 छात्र PhD कर रहे थे और 154 संकाय सदस्यों ने योजना के तहत YFRF का लाभ उठाया।

MyGov एक सहभागी शासन पहल है ताकि नागरिकों को एक ऑनलाइन मंच के माध्यम से सरकार के करीब लाया जा सके और उनके विचारों और दृष्टिकोण का स्वस्थ आदान-प्रदान किया जा सके।

कंपनी के उद्देश्य और लक्ष्य डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। यह कंपनी नागरिकों की सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों के अनुसार किफायती डिजिटल समाधान लागू करती है और साथ ही, राज्यों के साथ-साथ केंद्र में ई-गवर्नेंस के लिए क्षमता निर्माण का काम भी करती है।

कंपनी को अपनी गतिविधियों और उपलब्धियों में निदेशक मंडल (बीओडी), कंपनी के सदस्यों, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, और विभिन्न सहयोगियों और हितधारकों का विचारशील नेतृत्व और दूरदृष्टि वाले प्रतिष्ठित लोगों की सलाह पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के माननीय मंत्री और अध्यक्ष, बीओडी, और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के माननीय राज्य मंत्री और डिप्टी चेयरमैन, बीओडी से प्राप्त मार्गदर्शन को स्वीकार करता हूं। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं और प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों के जीवन को सशक्त बनाने के लिए नए जोश के साथ काम करने का संकल्प लेता हूं।

गोपालकृष्णन एस., आईएएस

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

बोर्ड की रिपोर्ट

बोर्ड की रिपोर्ट

निदेशक मंडल को डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (पूर्व में मीडिया लैब एशिया) की अठारहवीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च 2019 वर्षांत के लिए ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण पेश करते हुए बेहद खुशी हो रही है।

31 मार्च 2019 वर्षांत के लिए वित्तीय परिणाम

(रुपए, करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2019**	**31 मार्च 2018**
आय	**234.12**	**217.89**
अनुसंधान और/या विकास खर्च	141.25	143.74
अन्य खर्च	92.87	74.15
कुल खर्च	**234.12**	**217.89**

कंपनी का प्रदर्शन

1. परिचय

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन [पूर्व में मीडिया लैब एशिया] (आगे 'कंपनी' के नाम से संदर्भित) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित 'नॉट-फॉर-प्रॉफिट' कंपनी है। कंपनी भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभा रही है और ई-स्वास्थ्य / टेलीमेडिसिन, ई-कृषि, ई-भुगतान आदि के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आगे बढ़ती कैशलेस अर्थव्यवस्था के सुरक्षा संबंधी मामलों को बढ़ावा देता है और इसे व्यापक रूप से अपनाये जाने हेतु सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करता है। यह डिजिटल पहल के माध्यम से नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए इनोवेशन मॉडल्स के विकास को बढ़ावा देता है, और सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफ़ॉर्मस के ज़रिए शासन और सरकार में नागरिकों की सहभागिता और जुड़ाव को भी बढ़ावा देता है।

2. 2018 – 2019 के दौरान उपलब्धियां

2.1. वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के लल्लापुरा क्राफ्ट क्लस्टर में महिला सशक्तिकरण के लिए आईसीटी आधारित एकीकृत विकास कार्यक्रम

सेंटर में ट्रेनिंग सेशन

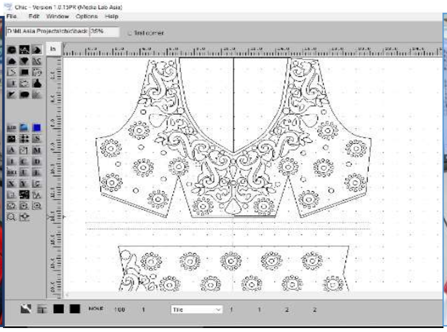

सेंटर में प्रदर्शित तैयार उत्पाद

'सेंटर में अपने दौरे के दौरान संयुक्त सचिव श्री जयदीप मिश्रा Chic™ कैड टूल के जरिए डिजाइन तैयार करते हुए'

कपड़े पर डिज़ाइन

सुश्री सुशीला चिंताला, महाप्रबंधक, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई द्वारा सेंटर का दौरा

इस परियोजना को एमईआईटीवाई (आईटी फॉर मासेस योजना के तहत) के सहयोग से क्लस्टर में महिलाओं/लड़कियों के कौशल सुधार, आजीविका बढ़ाने और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए लागू किया गया था। इस परियोजना में कंप्यूटर एडेड डिजाइन (सीएडी) सॉफ्टवेयर Chic™, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग, उत्पादों की ब्रांड वैल्यू, रिटेल प्रबंधन और उद्यमिता विकास का उपयोग करके महिलाओं को डिजिटल डिज़ाइन पर ट्रेनिंग देना शामिल है। इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और बुनियादी ढांचे के साथ एक आईसीटी आधारित संसाधन केंद्र (आईसीटीआरसी) स्थापित किया गया था। परियोजना के अंतर्गत दिए गए प्रशिक्षण/जागरूकता से 3500 लाभार्थियों के लक्ष्य की तुलना में 3591 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं, जिनका कौशल आधारित ब्रेकअप निम्नलिखित है:

- Chic™ (CAD टूल, क्राफ़्ट के लिए) - 516
- ई-कॉमर्स - 510
- उद्यम विकास कार्यक्रम (ईडीपी) - 505
- स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम - 2060

इसके अलावा, 36 जागरूकता निर्माण/सेनिटाइज़ेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 952 खाका पैटर्न तैयार किए गए हैं।

2.2. बिठूर शक्ति- कानपुर के बिठूर क्लस्टर में महिला सशक्तिकरण के लिए आईसीटी का उपयोग करके जानकारी के माध्यम से कौशल वृद्धि और स्वास्थ्य जागरूकता

यह परियोजना कंप्यूटर एडेड डिजाइन (सीएडी) सॉफ्टवेयर यानी कि Chic™ का उपयोग करके जरी और जरदोजी के काम में लगी पहचानी गई महिला कारीगरों के कौशल, उत्पादकता और आजीविका को बढ़ाने के लिए एमईआईटीवाई (आईटी के तहत मास योजना के लिए) के सहयोग से लागू की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य बिठूर में और उसके आसपास की किशोर लड़कियों और महिलाओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, करियर और सामाजिक सुरक्षा आदि मुद्दों पर जागरूकता और परामर्श प्रदान करके सशक्त बनाना है। वर्ष के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	ट्रेनिंग प्रोग्राम	वर्ष के दौरान पंजीकृत लाभार्थी	कुल लाभार्थी
1.	Chic™ (CAD टूल, क्राफ़्ट के लिए)	500	1005
2.	उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)	150	300
3.	महिला स्वास्थ्य जागरूकता	650 (8 camps)	1520
4.	किशोर जागरूकता कार्यक्रम	749	1968
	कुल	**2049**	**4794**

इसके अलावा महिला प्रशिक्षुओं द्वारा 1000 से अधिक डिजाइन तैयार किए गए।

उन्नत कढ़ाई डिजाइन पर ट्रेनिंग प्राप्त करती महिला कारीगर

परियोजना के तहत युवा स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता

परियोजना के तहत बने उत्पाद

2.3. DigiBunai™ - "बनारसी साड़ियों की बुनाई के लिए बनाया गया एक ओपन सोर्स CAD टूल"

DigiBunai™ बुनाई से पहले विभिन्न रंग, डिज़ाइन और आकार संयोजनों के साथ-साथ संपूर्ण परिधान को डिजिटल रूप से देखने की क्षमता के साथ डिज़ाइन बनाने, ग्राफ़ बनाने और जेकक्कार्ड कार्ड को पंचिंग करने की प्री-लूम लोडिंग प्रक्रिया को अनुकूलित करता है। इस टूल को MeitY के संरक्षण में बनाया गया है। परियोजना समीक्षा समूह में डीसी (हथकरघा) कार्यालय, बुनकर सेवा केंद्र (डब्ल्यूएससी) दिल्ली/वाराणसी, आईआईटी-दिल्ली और भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, बडोही का प्रतिनिधित्व शामिल था। डीसी-हथकरघा (कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार) के कार्यालय के सहयोग से, बुनाई समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ डब्ल्यूएससी-वाराणसी और इसके 4 सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) में आवेदन का पायलट परीक्षण किया गया है।

DigiBunai™ डॉबी और जेकक्कार्ड दोनों उपयोगकर्ताओं की मदद करता है:

डॉबी मॉड्यूल एक बुनाई लाइब्रेरी तैयार करने के साथ अलग-अलग प्रकार की नवीन बुनाई करने की सुविधा प्रदान करता है। लाइब्रेरी उपयोगकर्ताओं को विभिन्न रंग संयोजनों के साथ विभिन्न कपड़े बनाने में मदद करता है। कलरवे सुविधा कपड़े के सभी संभावित रंग संयोजन प्रस्तुत करती है।

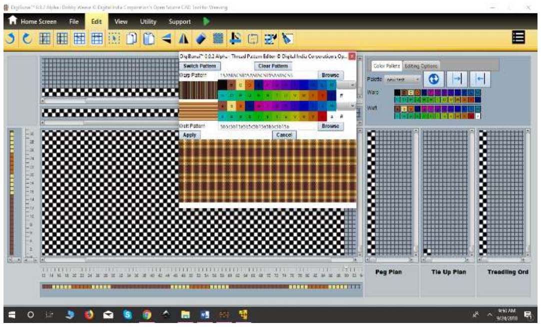

डॉबी मॉड्यूल

जेकक्कार्ड मॉड्यूल सभी कार्यों के साथ विभिन्न जेकक्कार्ड डिज़ाइन (कलाकृतियाँ) बनाने के लिए है। उपयोगकर्ता कलाकृति (आकार / रंग आधारित) में बुनाई भर सकता है और विभिन्न प्रकार के ग्राफ़ (एकल रंग, बहु-रंग, विभाजित ग्राफ़) बना सकता है। यह मैनुअल, पियानो और इलेक्ट्रॉनिक पंचिंग मशीन जैसे पंचिंग के विभिन्न तरीकों का समर्थन करता है। गारमेंट व्यूअर पूरे परिधान को दोहराने वाले पैटर्न, रंग और लेआउट के सभी संभावित संयोजनों के साथ प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है।

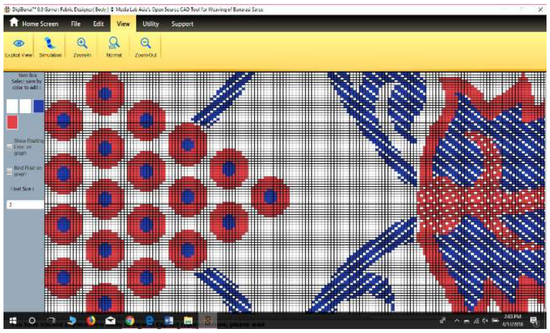

जेकक्कार्ड मॉड्यूल

DigiBinai™ एप्लिकेशन के उपयोगकर्ता समूह:

- **डिज़ाइनर**: डिजिटल डिज़ाइन बनाने के लिए (पुन: उपयोग और पुनरुत्पादन पर केंद्रित)
- **ग्राफ़ मेकर्स**: डिजाइन में बुनाई जोड़ने और ग्राफ़ बनाने के लिए (प्रिंटिंग और कम्प्यूटराइज़्ड पंचिंग के लिए ग्राफ़ बनाने के लिए बुनाई लाइब्रेरी का उपयोग करना)
- **कार्ड पंचिंग वेंडर्स**: कम्प्यूटराइज़्ड जेकक्कार्ड कार्ड पंचिंग मशीन के साथ संगत आउटपुट जनरेट करके (जेकक्कार्ड कार्ड को पंच करने का समय कम करना और हथकरघा जेकक्कार्ड की पिच के मानकीकरण को प्रेरित करना)
- **मास्टर बुनकर**: बुनाई से पहले विभिन्न रंगों, डिज़ाइन और आकार के संयोजनों के साथ पूरे परिधान को डिजिटल रूप से प्रस्तुत / प्रदर्शित करके (ग्राहकों से ऑर्डर लेने से पहले सैंपल बनाने के खर्च को कम करना)
- **अगली पीढ़ी**: उन्हें व्यावहारिक रूप से डिजाइनिंग, बुनाई, लेआउट बनाने और जेकक्कार्ड कार्ड पंचिंग की अवधारणा सिखाने के लिए (कंप्यूटर एडेड टेक्सटाइल डिज़ाइन एप्लिकेशन के माध्यम से रुचि पैदा करना)

विकास आयुक्त (हथकरघा) ने दिनांक 10/05/2018 को सीएफ़सी, चोलापुर और डब्ल्यूएससी, वाराणसी के चौकाघाट में उपकरण की समीक्षा की और कार्य की सराहना की। उन्होंने अन्य बुनाई समूहों में तैनाती को बढ़ाने की सलाह दी।

डीसी हैंडलूम एप्लिकेशन का संचालन

आगे के विकास और कार्य के लिए डीसी हैंडलूम संबंधी सलाह

2.4. बसनी, वाराणसी में ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्क का संपादन

यह परियोजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के सहयोग से इसके अंतर्गत आने वाली इक्विटी, अधिकारिता और विकास (सीड) योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्क **(**आरडब्ल्यूटीपी (स्थापित करके महिला सशक्तिकरण के लिए आईसीटी के उपयोग द्वारा कौशल वृद्धि**,** उद्यमिता विकास और व्यापार संपर्क प्रदान करना है। गतिविधियों में डिजिटल डिज़ाइन निर्माण**,** खुदरा प्रबंधन**,** खाद्य प्रसंस्करण और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए **Chic™ (**शिल्प के लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन टूल) पर ट्रेनिंग शामिल है।

Chic™ CAD पर हैंड ऑन एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके कढ़ाई के डिज़ाइन पर ट्रेनिंग प्राप्त करने वाली महिला कारीगर

3 साल की अवधि वाली यह परियोजना अप्रैल 2018 में 6300 लाभार्थियों के लक्ष्य के साथ शुरू हुई थी। वर्ष के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण प्रयोगशाला का निर्माण किया गया, सभी आवश्यक पूंजीगत उपकरण (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर) खरीदे और स्थापित किए गए, जनशक्ति की भर्ती की गई और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुए। इसके अलावा, केंद्र की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल और वेब एप्लिकेशन भी रखा गया था। वर्ष के दौरान, 1535 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं: डिजिटल डिज़ाइन बनाने के लिए Chic™ CAD पर 143 प्रशिक्षित, खुदरा प्रबंधन पर 63 प्रशिक्षित, खाद्य प्रसंस्करण पर 60 प्रशिक्षित और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों में 1269 ने भाग लिया। महिला प्रशिक्षुओं द्वारा लगभग 300 डिज़ाइन और 24 तैयार उत्पाद बनाए गए।

2.5. 'इंटरैक्टिव सूचना प्रसार प्रणाली (आईआईडीएस)'

आईआईडीएस एक पुल और पुश आधारित प्रणाली है जिसका उपयोग वर्तमान में कृषि संबंधी सलाह देने किया जा रहा है। यह स्मार्ट फ़ोन एप्लिकेशन, इंटरएक्टिव पोर्टल और इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम का एक संयोजन है। इसमें फ्रंट पर

मोबाइल इंटरफेस और बैक पर वेब इंटरफेस है। डेटा आवाज, पाठ, छवियों और वीडियो के ज़रिए दोनों छोर (किसानों से विशेषज्ञों और विशेषज्ञों से किसानों तक) तक भेजा जाता है।

वरिष्ठ निदेशक, डीआईसी श्री जे सत्यनारायण आईएएस, पूर्व सचिव एमईआईटीवाई; आईटी सलाहकार, आंध्र प्रदेश सरकार और अध्यक्ष, यूआईडीएआई से प्रौद्योगिकी सभा पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

आईआईडीएस कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थानों की पहुंच बढ़ाने के लिए एक उपयोगी उपकरण बन गया है। यह किसानों को स्थानीय कृषि-वैज्ञानिकों के साथ अपनी मूल भाषाओं (वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगू और मेघालय में खासी और गारो) में सीधे बातचीत करने में सक्षम बनाता है। विशेषज्ञों के पास ज्ञान और किसान डेटाबेस तक पहुंच है। यह उन्हें किसानों को समझने और उनके क्षेत्र की समस्याओं की बेहतर तरीके से सराहना करने में सक्षम बनाता है - अपने किसान को जानें (KYF)।

आईआईडीएस को नेशनल मोबाइल गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ़ MeitY के तहत पुश आधारित 'टेक्स्ट एंड वॉइस' संदेश सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया है। पंजीकृत किसानों की विभिन्न जरूरतों पर अब तक 2240 टेक्स्ट मैसेज और स्थानीय भाषाओं (तेलुगु, खासी और गारो) में 309 वॉयस मैसेज को आगे बढ़ाया गया है। AKPS मोबाइल ऐप को MeitY के UMANG प्लेटफॉर्म के तहत लागू किया गया है।

IIDS को द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा प्रतिष्ठित 'टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड (श्रेणी - एंटरप्राइज मोबिलिटी)' के विजेताओं में से एक के रूप में चुना गया है।

वर्ष 2018-19 के दौरान आईआईडीएस की परिनियोजन निम्नानुसार है:

A. अन्नपूर्णा कृषि प्रसार सेवा (AKPS) : आईआईडीएस का उपयोग आंध्र प्रदेश (एपी) और तेलंगाना के 22 जिलों में आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय (एएनजीआरयू) और प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय (पीजेटीएसएयू) के साथ एकेपीएस के रूप में किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान की गई प्रगति इस प्रकार है:

ANGRAU और PJTSAU के अनुरोध पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए AKPS सेवाओं के लिए तकनीकी सहायता जारी रही। वर्ष के दौरान, सेवाओं के लिए 21,164 नए किसानों का पंजीकरण किया गया और कुल 60,648 किसान पंजीकृत किए गए थे। किसानों द्वारा कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन पर 2740 प्रश्न पूछे गए, जिनका समाधान केवीके/डीएटीटीसी के वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों ने टोल फ्री नंबर के ज़रिए दिया। कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और जिला कृषि सलाहकार और प्रौद्योगिकी केंद्रों के हस्तांतरण (डीएटीटीसी) द्वारा पंजीकृत किसानों को कार्यक्रम के तहत पंजीकृत किसानों को आवश्यकता आधारित 33.89 लाख टेक्स्ट और 10.26 लाख वॉइस मैसेज भेजे गए।

डॉ. बी.के.मूर्ति, वैज्ञानिक 'जी' और समूह समन्वयक, एमईआईटीवाई ने केवीके, अमदलवालासा, श्रीकाकुलम जिले में एकेपीएस केंद्र में से एक का दौरा किया और लाभार्थी किसानों (15) के साथ बातचीत की। किसानों ने प्रदान की गई सलाहकार सेवाओं के लिए IIDS टीम को धन्यवाद दिया और अपने मोबाइल पर अक्सर टेक्स्ट / वॉइस संदेशों के माध्यम से बाजार दरों और सरकारी योजनाओं से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने का सुझाव दिया।

B. पूर्वोत्तर भारत के लिए मोबाइल आधारित कृषि सलाहकार प्रणाली (m4agriNEI)

डीआईसी ने किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए अपने एकीकृत कार्यक्रम के साथ आईआईडीएस के कार्यान्वयन के लिए मेघालय सरकार (जीओएम) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए यानी कि 1917iTEAMS पर। GoM ने DIC के IIDS 2.0 प्लेटफॉर्म का उपयोग करके शिलांग में 45 सीटर कृषि प्रतिक्रिया केंद्र (ARC) की स्थापना की है। इसके मुंबई कार्यालय में स्थापित डीआईसी के मौजूदा संचार बुनियादी ढांचे का उपयोग कार्यक्रम के विस्तार के लिए किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, मेघालय के 3,898 नए किसानों को परियोजना के तहत पंजीकृत किया गया था और इसके साथ ही पंजीकृत किसानों की कुल संख्या 17,543. 3109 तक पहुंच गई है। 1917iTEAMS की मदद से किसानों द्वारा पूछे गए 3109 प्रश्नों का जवाब दिया गया। खासी और गारो भाषा बोलने वाले किसानों को आवश्यकता आधारित 6.7 लाख टेक्स्ट संदेश भेजे गए हैं।

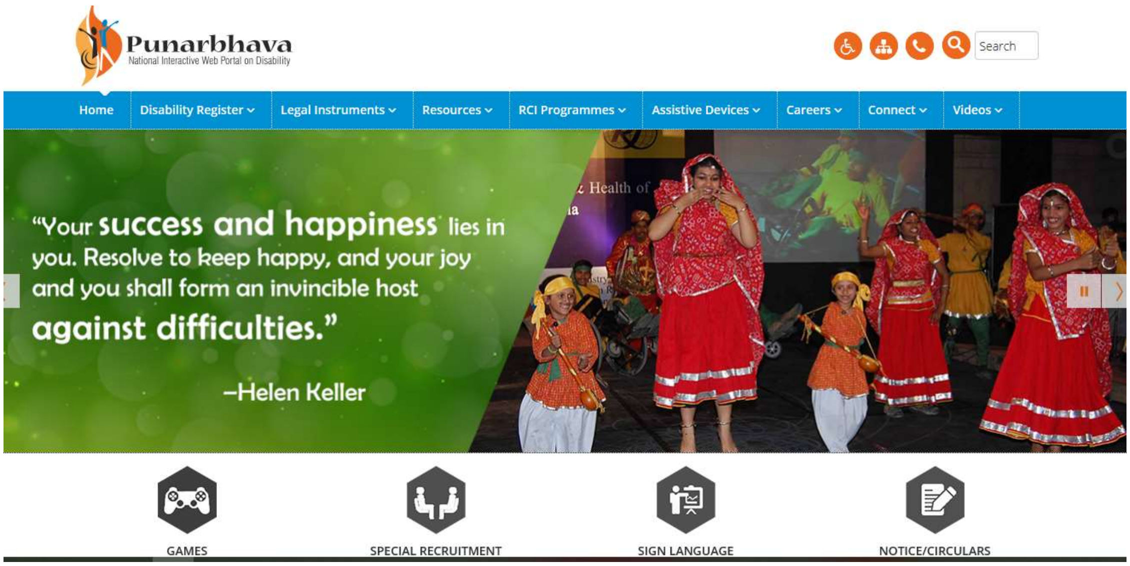

2.6. "पुनर्भावा™" (www.punarbhava.in) - 'दिव्यांगजन (विकलांग व्यक्ति)' के लिए वेब पोर्टल

वेब पोर्टल दिव्यांगजनों, गैर सरकारी संगठनों, पेशेवरों, नीति निर्माताओं, छात्रों, अभिभावकों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं, माता-पिता और विकलांगता के क्षेत्र में अन्य हितधारकों के लिए एक ही स्थान पर विभिन्न विकलांगता मुद्दों से संबंधित सभी सूचनाओं की सुविधा प्रदान करता है। पोर्टल W3C दिशानिर्देशों के अनुसार सुलभ है। इसमें एक्सेसिबिलिटी के लिए फॉन्ट रिसाइज़र और कलर स्विचर विकल्प भी हैं। पोर्टल पर जानकारी को विभिन्न वर्गों जैसे विकलांगता रजिस्टर, कानूनी उपकरण, संसाधन, करियर, सहायक उपकरण, ब्लॉग, सुलभ सामग्री, नवीनतम समाचार, कार्यक्रम, रोजगार के अवसर, प्रकाशन, उपयोगी लिंक, राष्ट्रीय संस्थान और प्रतिक्रिया आदि के तहत अलग किया गया है। पोर्टल नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और 12,000 औसत दैनिक हिट प्राप्त करता है। पोर्टल के फ्रेमवर्क और डिज़ाइन को अपग्रेड किया गया है और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (पीडब्ल्यूडी), भारत सरकार के सहयोग से 'जागरूकता सृजन और प्रचार (एजीपी)' योजना के तहत मोबाइल के अनुकूल बनाया गया है।

2.7. “Punarjjani™” (www.punarjjani.in) – वेब आधारित द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) टूल बौद्धिक दिव्यांग बच्चों (आईडी) के मूल्यांकन में विशेष शिक्षकों की सहायता के लिए

संपादक, एक्सप्रेस कंप्यूटर (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप) से 'डिजिटल लीडर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस' प्राप्त करने वाली डीआईसी टीम

6-18 वर्ष के आयु वर्ग के एमआर वाले बच्चों के नियमित मूल्यांकन के लिए मैन्युअल रूप से तीन मानक विधियों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे एफएसीपी (कार्यात्मक मूल्यांकन चेकलिस्ट प्रोग्रामिंग), बेसिक-एमआर (मानसिक मंदता वाले भारतीय बच्चों के लिए व्यवहार मूल्यांकन स्केल), एमडीपीएस (मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग) सिस्टम) को डिजिटल और एकीकृत कर दिया गया है। यह टूल विशेष शिक्षकों को योजनाबद्ध तरीके से आईडी वाले बच्चों के आसान और त्वरित मूल्यांकन में सहायता करता है और इसलिए उनका समय बचाता है। शिक्षक बच्चों के कौशल को बढ़ाने में उन्हें ज़्यादा से ज्यादा समय दे सकते हैं। देश भर के 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 150 शहरों/कस्बों से 501 विशेष स्कूलों और 122 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) ब्लॉकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 846 विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है और इस टूल तक पहुंच प्रदान की गई है। वर्ष के दौरान की गई प्रगति इस प्रकार है:

- पुणे में महाराष्ट्र सरकार के विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के राज्य आयुक्त (पीडब्ल्यूडी) की अध्यक्षता में महाराष्ट्र राज्य के जिला कल्याण अधिकारियों की सुलभ भारत अभियान और विशिष्ट विकलांगता आईडी कार्ड (यूडीआईडी) बैठक के दौरान उपकरण प्रस्तुत और प्रदर्शित किया गया था।
- विकलांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार चयन समिति के समक्ष टूल पर एक प्रस्तुति दी गई।
- इस उपकरण का प्रदर्शन IIT-D द्वारा सोनीपत (हरियाणा) में आयोजित 'एम्पॉवर 2018 (एक सहायक प्रौद्योगिकी सम्मेलन)' के दौरान किया गया था।
- इस टूल ने एक्सप्रेस कंप्यूटर्स (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप) से 'उत्कृष्टता के लिए डिजिटल लीडर्स अवार्ड' जीता।

2.8. हृदय गति परिवर्तनशीलता (cHRV) विश्लेषण प्रणाली के लिए केंद्रीकृत प्रणाली

सीएचआरवी एप्लिकेशन को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के सहयोग से बनाया गया है। परियोजना का उद्देश्य देशभर में ऑनलाइन एचआरवीए तकनीक उपलब्ध कराना और एचआरवी उपकरण को अधिक उन्नत तरीके से उपलब्ध कराना है ताकि डॉक्टरों, शोधकर्ताओं, स्वास्थ्य पेशेवरों, लोगों और समुदायों को उनकी विशिष्ट जरूरतों के लिए आसान पहुंच प्राप्त हो सके। स्वस्थ व्यक्तियों और रोगियों में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के उतार-चढ़ाव की भूमिका का आकलन करने के लिए एचआरवी एक महत्वपूर्ण मानव शरीर प्रदर्शन संकेतक है। यह पारंपरिक जोखिम कारकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी से स्वतंत्र और उससे परे पूर्वानुमान संबंधी जानकारी प्रदान करता है।

APPICON 18, मैंगलोर में cHRV हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सेटअप

सीएचआरवी यूजर इंटरफेस और उपयोगकर्ता

केंद्रीकृत एचआरवी ओपन सीपीयू और आर का उपयोग करके सहयोगी अनुसंधान मंच के माध्यम से चिकित्सा समुदाय को सशक्त बनाता है। प्रणाली बेंचमार्किंग, नैदानिक उपयोगिता और नीति निर्माण के लिए एचआरवी और संबद्ध स्वास्थ्य पर डेटाबेस बनाती है। वर्ष के दौरान, सिस्टम को अतिरिक्त सुविधाओं के साथ अनुकूलित किया गया है जिसमें शामिल हैं व्यवस्थापक और उपयोगकर्ता प्रबंधन मॉड्यूल, विकसित एचआरवीआईएनआर ओपन सोर्स पैकेज, विकसित आरआरआई डेटा फ़ाइल मॉड्यूल के बैच प्रोसेसिंग, एसएसएल प्रमाणीकरण और www.chrv.in डोमेन नाम डीआईसी का मुंबई में पंजीकरण और होस्ट, सिंगल चैनल डिजिटल ईसीजी मशीन को एकीकृत करके आरआरआई फाइल अपलोड करने के लिए एपीआई विकसित किया गया, तकनीकी और परिचालन दस्तावेज तैयार किए गए हैं और उपयोगकर्ताओं आदि को सहायता प्रदान की गई है। देश भर में 35 चिकित्सा संस्थान और अस्पताल पंजीकृत हैं। इन संगठनों के 104 उपयोगकर्ता एचआरवी विश्लेषण के लिए सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं और प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। डीआईसी और एम्स, दिल्ली ने संयुक्त परियोजना प्रस्ताव तैयार किया है 'क्लाउड-आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-सक्षम केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म ऑफ हार्ट रेट वेरिएबिलिटी की स्थापना और निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण' और आईसीएमआर, भारत सरकार की केयर योजना के तहत आगे के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया।

15 नवंबर 2018 को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली द्वारा आयोजित " तनाव प्रतिक्रिया पर गहन शोध: HTPA-AXIS, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज" पर एक संगोष्ठी में सीएचआरवी प्रणाली प्रस्तुत और प्रदर्शित की गई थी। मेलाका मणिपाल मेडिकल कॉलेज और कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल, कर्नाटक द्वारा आयोजित 27 नवंबर - 01 दिसंबर 2018 के दौरान APPICON 2018 (एपीपीआई का राष्ट्रीय सम्मेलन) में भाग लेने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों को सीएचआरवी पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग गी गई।

2.9. श्रवण बाधित बच्चों (HI) के लिए विजुएल स्पीच ट्रेनिंग सॉफ़्टवेयर (VSTS)

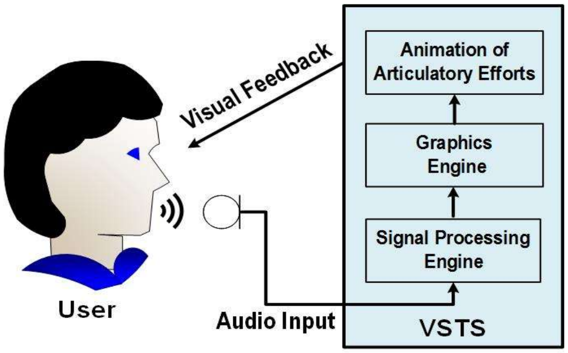

VSTS योजना

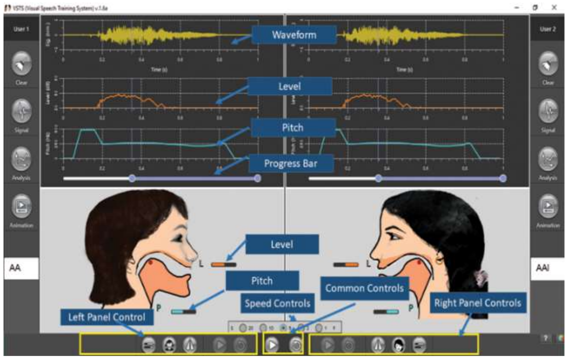

VSTS का यूज़र इटरफ़ेस

वीएसटीएस एक कंप्यूटर आधारित भाषण प्रशिक्षण प्रणाली है जो बोलने के लिए किए जाने वाले कोशिशों एक विजुएल फ़ीड़बैक प्रदान करने के लिए भाषण संकेत विश्लेषण से प्राप्त जानकारी का उपयोग करती है। इसे HI और दूसरी भाषा सीखने वाले बच्चों द्वारा सही स्पष्टोच्चारण संबंधी प्रयासों को पाने में सहायता के लिए भाषण प्रशिक्षण सहायता के रूप में उपयोग करने के लिए बनाया गया है। सॉफ़्टवेयर को आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से एमईआईटीवाई के समर्थन से बनाया गया है।

वर्ष के दौरान, सिस्टम को अनुकूलित और VSTS v.1.6 और VSTS v.1.6a अतिरिक्त सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है जैसे यूजर इंटरफेस एन्हांसमेंट, स्पीच सिग्नल एक्विजिशन और रिकॉर्डिंग,

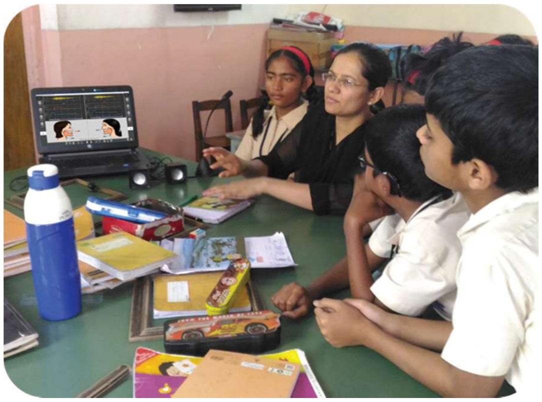

वाईएमसीए के स्कूल ऑफ द डेफ, पुणे में वीएसटीएस

ऑडियो-विज़ुअल एनिमेशन, इमेज एडिटर, कोड रूपांतरण MATLAB से जावा आदि।

पुणे में राज्य आयुक्त, विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी), महाराष्ट्र सरकार की अध्यक्षता में महाराष्ट्र राज्य के जिला कल्याण अधिकारियों की सुलभ भारत अभियान और यूडीआईडी बैठक में 23 अगस्त 2018 को वीएसटीएस v1 6a की प्रस्तुति / प्रदर्शन।

2.10. सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (आईटीआरए)

भारत भर में आईटीआरए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों और इलेक्ट्रॉनिक्स (संक्षेप में आईटी) और आईटी और संबंधित संस्थानों में इसके अनुप्रयोगों में अनुसंधान और विकास की गुणवत्ता और मात्रा को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय संसाधन बनाने में मदद करने के लिए एमईआईटीवाई द्वारा शुरू किया गया एक सक्षम कार्यक्रम है। 148.83 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ पांच वर्षीय 'आईटीआरए परियोजना' का कार्यान्वयन नवंबर 2010 में डीआईसी को सौंपा गया था। इसके बाद, आईटीआरए संचालन की अवधि दिसंबर 2018 तक बढ़ा दी गई थी। आईटीआरए, डीआईसी के एक प्रभाग के रूप में काम कर रहा है।

आईटीआरए को बड़ी संख्या में आईटी शोधकर्ताओं बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो नवीनतम आईटी ज्ञान सुसज्जित हैं, जो कक्षा के ज्ञान को विकासशील समाधानों से संबंधित हैं, आईटी समाधानों के लिए उत्तरदायी समस्याओं को खोजने के लिए प्रशिक्षित हैं, आईटी और अन्य डोमेन में सामाजिक समस्याओं की पहचान करने के लिए प्रेरित हैं और प्रयोगशाला समाधानों को कार्यशील प्रोटोटाइप में बदलने के लिए प्रक्रिया से अवगत हैं। आईटीआरए गतिविधियों का उद्देश्य पीएचडी की संख्या बढ़ाकर राष्ट्रीय क्षमता में एक बड़ी वृद्धि करना है जो अकादमिक संस्थानों में संकाय बन सकते हैं और बड़े पैमाने पर उद्योग और समाज की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईटीआरए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उपयोग करता है:

a) प्रख्यात विशेषज्ञों को उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास टीमों का पोषण करने और आईटीआरए संस्थानों / संकाय के साथ सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया जाता है
b) प्रदर्शन को पहचानने के लिए फैलोशिप, पुरस्कार, प्रोफेसरशिप आदि दिए जाते हैं
c) शोधकर्ताओं को अत्याधुनिक सुविधाओं, सर्वोत्तम प्रथाओं और परामर्श से अवगत कराया जाता है
d) सामाजिक संवेदनशीलता के पोषण के माध्यम से रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं
e) तंत्र को टीमों द्वारा विकसित योग्य प्रौद्योगिकियों को कंपनियों, आदि में स्थानांतरित करने के लिए परिभाषित किया गया है। आदि

आईटीआरए ने अब तक तीन फोकस क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू की हैं, अर्थात।

i) "मोबाइल कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग और एप्लिकेशन (आईटीआरए-मोबाइल)";
ii) "जल संसाधन स्थिरता (आईटीआरए-जल) में आईटी आधारित नवाचार"; और,
iii) "भारतीय कृषि और खाद्य में आईटी आधारित परिवर्तन (आईटीआरए-एजी और खाद्य)

आईटीआरए–मोबाइल:

आईटीआरए अनुसंधान क्षेत्र में आईटीआरए-मोबाइल स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन और आपदा प्रबंधन में आईटी के अनुप्रयोगों को लक्षित करता है। आईटीआरए-मोबाइल परियोजनाएं 31 संस्थानों में चल रही हैं, जिसमें 64 संकाय और 98 पीएचडी छात्र शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, आईटीआरए-मोबाइल अनुसंधान समुदाय ने 12 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, जिन्होंने अब तक अंतरराष्ट्रीय ख्याति के सम्मेलनों और पत्रिकाओं में 383 का योगदान दिया है; कई पाठ्यक्रम विकसित/संशोधित किए गए और संबद्ध संस्थानों में कई कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

वित्तीय वर्ष के दौरान दो बार परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। आईटीआरए की गवर्निंग काउंसिल की सिफारिशों के आधार पर, सभी आईटीआरए-मोबाइल परियोजनाओं की अवधि दिसंबर 2018 तक बढ़ा दी गई थी ताकि टीमों को पूरे प्रोजेक्ट अवधि में किए गए कार्यों को समेकित करने के लिए पूरा समय दिया जा सके और इसके व्यावसायीकरण की दिशा में भी काम किया जा सके। प्रौद्योगिकी प्रोटोटाइप जो परियोजनाओं से उभरा है।

आईटीआरए-मोबाइल टीम 11 प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) प्रोटोटाइप और प्रौद्योगिकियों पर काम कर रही हैं जिनमें व्यावसायीकरण (स्टार्ट-अप या टीओटी) की क्षमता है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और अन्य संभावित हितधारकों को अपनी तकनीक दिखाने के लिए विभिन्न स्थानों पर PoC टीमों को आमंत्रित किया गया था, जहां इन प्रौद्योगिकियों की अत्यधिक सराहना की गई थी। अनुलग्नक 1.1 में उल्लिखित 17 प्रौद्योगिकी प्रोटोटाइपों में से तीन स्टार्टअप कंपनियों को पंजीकृत किया गया है, अर्थात ""SALCIT Technologies Pvt. Ltd.", "Formative Resilience Know-How Private Limited (ForkIT)" और "NexConnect"

आईटीआरए-प्रौद्योगिकी प्रोटोटाइप 'सुरक्षित': मिश्र धातु इस्पात संयंत्र दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में सीआईएसएफ के अग्निशामकों को सम्बंधित जानकारी का प्रचार

आईटीआरए-प्रौद्योगिकी प्रोटोटाइप 'सुरक्षित': चक्रवात आपदा मॉक ड्रिल, संदेशखली, सुंदरबन, पश्चिम बंगाल

आईटीआरए का मूल्यांकन करने के लिए एमईआईटीवाई द्वारा स्थापित एक पैनल ने तीन मोबाइल टीमों पर आईटीआरए के प्रयासों का विश्लेषण करने के लिए कोल्लम और कोलकाता का दौरा किया। परियोजना टीमों ने अपने शोध कार्य और प्रौद्योगिकी प्रोटोटाइप प्रस्तुत किए, जो फील्ड प्रोटोटाइप में परिवर्तित होने और बाद में व्यावसायीकरण के लिए तैयार हैं। पैनल ने टीमों को इस तरह के स्तरों पर लाने के लिए आईटीआरए द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

वित्त वर्ष 2018-19 की अंतिम तिमाही के दौरान आईटीआरए-मोबाइल की सभी उभरी प्रौद्योगिकियों के लिए एक शोकेस कार्यशाला की योजना बनाई गई है जहां संभावित हितधारकों को प्रौद्योगिकियों का आकलन करने और उनके व्यावसायीकरण में मदद करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

आईटीआरए-वॉटर:

इस शोध क्षेत्र में आईटीआरए सभी क्षेत्रों में पानी तक सतत पहुंच की बहुआयामी चुनौती पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आईटीआरए-जल परियोजनाएं 23 संस्थानों में चल रही हैं, जिनमें 33 संकाय और 38 पीएचडी छात्र शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, आईटीआरए-जल अनुसंधान समुदाय ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति के सम्मेलन/जर्नल में शोध प्रकाशनों में योगदान दिया है, जिससे उनकी संख्या अब तक 96 से अधिक हो गई है; कई पाठ्यक्रम विकसित/संशोधित किए गए और संबद्ध संस्थानों में कई कार्यशालाएं आयोजित की गईं। जुलाई 2017 के दौरान आईआईएससी बैंगलोर में एक मानसून स्कूल आयोजित किया गया था, जिसमें सार्क देशों के अन्य प्रतिभागियों के साथ भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने भाग लिया था। आईटीआरए की गवर्निंग काउंसिल की सिफारिशों के आधार पर, सभी जल परियोजनाओं की अवधि दिसंबर 2018 तक बढ़ा दी गई थी ताकि वे पूरी परियोजना अवधि में किए गए कार्यों को समेकित कर सकें और परियोजनाओं से उभरे प्रौद्योगिकी प्रोटोटाइप के व्यावसायीकरण की दिशा में भी काम कर सकें।

आईटीआरए-वाटर टीमें फाइव प्रूफ ऑफ़ कॉन्सेप्ट (पीओसी) प्रोटोटाइप और प्रौद्योगिकियों पर काम कर रही हैं जिनमें व्यावसायीकरण (स्टार्ट-अप या टीओटी) की क्षमता है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और अन्य संभावित हितधारकों को अपनी तकनीक दिखाने के लिए विभिन्न स्थानों पर PoC टीमों को आमंत्रित किया गया था, जहां इन प्रौद्योगिकियों की अत्यधिक सराहना की गई थी। ITRA-जल परियोजना M2M के तहत IIT गांधीनगर द्वारा विकसित एक मौसम / वर्षा पूर्वानुमान तकनीक का IMD (भारत मौसम विज्ञान विभाग) भारत सरकार द्वारा सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है और इसे उनकी वेबसाइट पर लॉन्च किया गया है।

आईटीआरए का मूल्यांकन करने के लिए एमईआईटीवाई द्वारा स्थापित पैनल ने तीन मोबाइल टीमों पर आईटीआरए के प्रयासों का विश्लेषण करने के लिए बैंगलोर का दौरा किया। परियोजना टीमों ने अपने शोध कार्य और प्रौद्योगिकी प्रोटोटाइप प्रस्तुत किए जो फील्ड प्रोटोटाइप में परिवर्तित होने और बाद में व्यावसायीकरण के लिए तैयार हैं। पैनल ने टीमों को इस तरह के स्तरों पर लाने के लिए आईटीआरए द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

जनवरी-फरवरी 2019 के दौरान आईटीआरए-वाटर की सभी उभरती प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिए एक शोकेस कार्यशाला की योजना बनाई गई है। इसमें मूल्यांकन करने और व्यावसायीकरण में मदद करने के लिए संभावित हितधारक शामिल होंगे।

आईटीआरए के मूल्यांकन के लिए, एमईआईटीवाई द्वारा स्थापित एक पैनल ने आईआईएससी में जल टीम पर आईटीआरए के प्रयासों का विश्लेषण करने के लिए बैंगलोर का दौरा किया। प्रोजेक्ट टीम ने अपना शोध कार्य और प्रौद्योगिकी प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया जिसे फील्ड प्रोटोटाइप में परिवर्तित किया जा रहा है और केएसएनडीएमसी के साथ पूरे बैंगलोर शहर के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी प्रोटोटाइप के व्यावसायीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। पैनल ने टीमों को प्रयोगशाला से जमीन तक अनुसंधान करने में मदद करने के लिए आईटीआरए द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

आईटीआरए-एजी एंड फूड:

आईटीआरए अपने तीसरे अनुसंधान क्षेत्र में आईटीआरए-एजी एंड फूड का उद्देश्य भारत में कृषि और खाद्य की स्थिति को आईटी का उपयोग करके उत्पादकता की एक नई कक्षा में लाने के लिए सहयोगी, बहु-संस्थागत, अंतर-अनुशासनात्मक टीमों का निर्माण करना है। उत्तर पूर्व भारत में सूअरों और बकरियों के विभिन्न पहलुओं पर दो अनुसंधान और विकास टीम परियोजनाएं, 45 शोधकर्ताओं वाले 14 संस्थानों में शुरू की गईं। आईटीआरए-एजी एंड फूड परियोजनाओं की कई उपलब्धियों में से कुछ के नाम निम्नलिखित कुछ प्रौद्योगिकियां हैं:

- सुअर पालन अभ्यास के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए स्वाइनएप नाम का एक एंड्रॉइड एप्लिकेशन विकसित किया गया और Google Play Store पर लॉन्च किया गया।
- बकरियों और सूअरों के लिए एक बहुउद्देश्यीय निरोधक उपकरण विकसित किया गया और पेटेंट के लिए आवेदन किया गया
- बकरियों की रेटिनल छवि को कैप्चर करने के लिए एक कम लागत वाली रेटिना इमेजिंग प्रणाली विकसित की गई है
- बड़े डेटासेट के लिए टेंसर फ्लो न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके सूअर और बकरियों दोनों के लिए नस्ल की पहचान सफलतापूर्वक की गई।
- कूचबिहार जिले में बकरी किसान संघ के गठन के माध्यम से यूबीकेवी पश्चिम बंगाल द्वारा बकरी किसानों के लिए आय सृजन की शुरुआत की गई है।
- इन 2 परियोजनाओं की द्विवार्षिक समीक्षा अगस्त 2018 में कल्याणी, पश्चिम बंगाल में की गई थी। ये परियोजनाएं नवंबर 2018 में समाप्त हो रही हैं।

नए केंद्र-बिंदु:
सचिव, एमईआईटीवाई की सिफारिशों के आधार पर, आईटीआरए खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आईओटी आदि से संबंधित एक नया फोकस क्षेत्र शुरू करने की प्रक्रिया में है; जहां सहयोगी, बहु-संस्थागत, अंतर-अनुशासनात्मक दल क्षेत्रों की जमीनी समस्याओं से निपटेंगे।

2.11. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना

इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) और आईटी / आईटी सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) क्षेत्रों में पीएचडी की संख्या बढ़ाने के लिए इस योजना की कल्पना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार द्वारा की गई थी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 9 वर्षों की अवधि में कुल 401 करोड़ रुपये (वर्ष 2015-16 में ₹ 466 करोड़ में संशोधित) की कुल लागत के साथ मार्च 2014 में इस योजना को मंजूरी दी। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (डीआईसी) एमईआईटीवाई द्वारा जारी प्रशासनिक अनुमोदन के आधार पर जून 2014 से योजना के लिए कार्यान्वयन सहायता प्रदान कर रहा है। इसके बाद भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए डीआईसी और एमईआईटीवाई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

उद्देश्य

- ईएसडीएम और आईटी/आईटीईएस क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए कुल **1500** पीएचडी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाना (कुल: **3000** अतिरिक्त पीएचडी)।
    - **1500** पीएचडी उम्मीदवारों में से **500** पूर्णकालिक पीएचडी उम्मीदवार होंगे और अन्य **1000** ईएसडीएम और आईटी/आईटीईएस क्षेत्रों में से प्रत्येक में अंशकालिक पीएचडी उम्मीदवार होंगे।
- इन क्षेत्रों में युवा संकाय को बनाए रखने और आकर्षित करने के उद्देश्य से ईएसडीएम और आईटी/आईटीईएस के क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने और पहचानने के लिए **200** युवा संकाय का समर्थन करना।
- उन विषयों पर ध्यान केंद्रित करें जो इलेक्ट्रॉनिक **2012 (**एनपीई **2012)** पर राष्ट्रीय नीति और सूचना प्रौद्योगिकी **2012 (**एनपीआईटी **2012)** पर राष्ट्रीय नीति के लिए प्रासंगिक हैं**,** जिसका उद्देश्य बाजार के लिए नवीन उत्पादों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है।
- सहायता एक संस्थान द्वारा लिए गए अतिरिक्त पीएचडी उम्मीदवारों के लिए है। पीएचडी कार्यक्रम में नामांकन के मौजूदा स्तरों के लिए कोई समर्थन नहीं।
- इस योजना के तहत समर्थित प्रत्येक **5** उम्मीदवारों के लिए**,** कम से कम एक उम्मीदवार को संबंधित उद्योग/राज्य सरकार द्वारा समर्थित होना चाहिए।
- समर्थित प्रत्येक **5** पूर्णकालिक पीएचडी उम्मीदवारों के लिए**,** संस्थान एक यंग फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप (**YFRF)** के लिए पात्र है।

योजना के तहत संस्थान के लिए सहायता

- "विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना "एक संस्थागत योजना है, जहां संस्थानों को पीएचडी सीटें आवंटित की जाती हैं और संस्थान इन सीटों पर पीएचडी उम्मीदवारों को उनकी प्रवेश प्रक्रियाओं के बाद नामांकित करते हैं।
- योजना के तहत सहायता पीएचडी डिग्री प्रदान करने वाली संस्था को प्रदान की जाती है और पीएचडी उम्मीदवारों या संकाय सदस्यों या समर्थित संस्थान के विभागों को कोई प्रत्यक्ष वित्त पोषण सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

संस्था वित्तीय सहायता प्राप्त करने और जारी की गई धनराशि के उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है।

- संस्थानों को एक ही शैक्षणिक वर्ष में आवंटित सीटों पर पीएचडी उम्मीदवारों के नामांकन की उम्मीद के लिए एक विशेष शैक्षणिक वर्ष के लिए पीएचडी सीटें आवंटित की जाती हैं।
- यह योजना शैक्षणिक संस्थानों को प्रयोगशालाओं के निर्माण/उन्नयन आदि (सिविल निर्माण/भवन के विस्तार को छोड़कर) के लिए ढांचागत अनुदान भी प्रदान करती है। योजना के तहत प्रति पूर्णकालिक पीएचडी उम्मीदवार को 5 लाख रुपये की सीमा के अधीन वास्तविक लागत का 50% @ सहायता प्रदान की जाती है।
- योजना शैक्षणिक संस्थानों को अधिकतम पांच वर्षों के लिए प्रति पूर्णकालिक पीएचडी उम्मीदवार को ₹ 25,000/- प्रति वर्ष का संस्थागत उपरिव्यय प्रदान करती है।

"विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना" के तहत वित्तीय घटक

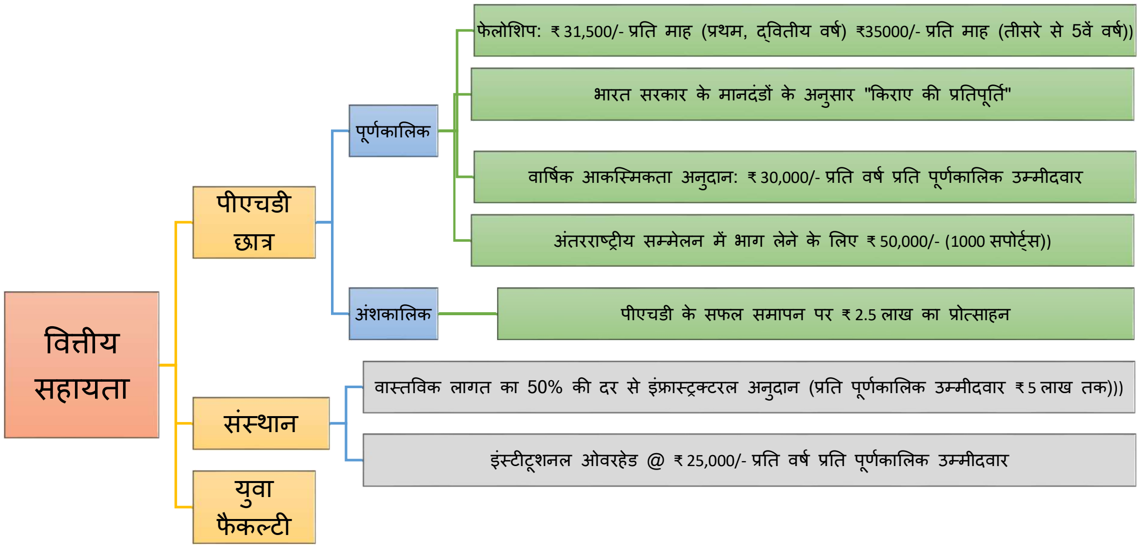

योजना के कार्यान्वयन की स्थिति:

- इस योजना के तहत 94 शैक्षणिक संस्थानों को 1071 पूर्णकालिक और 696 अंशकालिक पीएचडी सीटें आवंटित की गई हैं, जहां 949 पूर्णकालिक और 212 अंशकालिक पीएचडी उम्मीदवार कार्यक्रम के तहत पीएचडी जारी रख रहे थे, जैसा कि संस्थानों द्वारा मार्च 2019 के अंत में रिपोर्ट किया गया था।
- वित्त वर्ष 2018-19 तक 154 संकाय सदस्यों को 'यंग फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप (वाईएफआरएफ)' से सम्मानित किया गया।
- पीएचडी स्कॉलर बिग डेटा, ब्लॉकचैन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, मोबाइल कम्युनिकेशन, 5जी कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, वीएलएसआई डिजाइन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में शोध कर रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी, आदि।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 तक रिसर्च स्कॉलर्स द्वारा 1631 शोध पत्र प्रकाशित किए गए।
- वित्त वर्ष 2018-19 तक 105 पीएचडी उम्मीदवारों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया।

एमएनआईटी, जयपुर में पीएचडी स्कॉलर की चौथी कार्यशाला के दौरान शोधार्थी, संकाय सदस्य

- योजना के तहत समर्थित पीएचडी फेलो और "यंग फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप" पुरस्कार विजेताओं के शोध की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जहां शॉर्टलिस्ट किए गए पीएचडी फेलो उनके गाइड और "यंग फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप" के पुरस्कार विजेताओं के साथ आयोजित किए गए। अपने शोध प्रस्तुत किए और विशेषज्ञों ने गुणवत्ता सुधार के लिए अपने सुझाव दिए। शोधकर्ताओं की प्रतिक्रिया के अनुसार कार्यशाला ने उन्हें विभिन्न शोध क्षेत्रों में 'अत्याधुनिक' और राष्ट्रीय स्तर पर एक शोध को आगे बढ़ाने के तरीके को समझने में मदद की है।
- 31 मार्च 2019 तक रिसर्च फेलो (मुंबई, बेंगलुरु, विशाखापत्तनम और जयपुर में लगभग 700 रिसर्च स्कॉलर्स को कवर करते हुए) के लिए कुल 4 कार्यशालाएं और "यंग फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप (YFRF)" पुरस्कार विजेताओं (IISc बेंगलुरु में) के लिए 2 कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में से, पीएचडी स्कॉलर की चौथी कार्यशाला (सितंबर 2018 में एमएनआईटी जयपुर में) और वाईएफआरएफ पुरस्कार विजेताओं के लिए दूसरी कार्यशाला (मई 2018 में आईआईएससी बैंगलोर में) वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित की गई थी।

एमएनआईटी जयपुर में पीएचडी स्कॉलर की चौथी कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञ

पीएचडी अध्येताओं के शोध पत्र स्प्रिंगर द्वारा प्रकाशित आईसीटी जर्नल पर सीएसआई लेनदेन के 3 विशिष्ट मुद्दों (जून 2017, मार्च 2018 और जून 2018) में प्रकाशित किए गए थे।

- इस योजना ने ईएसडीएम और आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास और बौद्धिक संपदा के निर्माण में छात्रों और युवा संकाय शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोगशाला, उपकरण, आदि के उन्नयन / निर्माण और अनुसंधान गतिविधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में समर्थित संस्थानों की भी मदद की है।

विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना का मध्यावधि मूल्यांकन

- अगस्त 2018 में, योजना के परिणाम और प्रभाव का आकलन करने और योजना के लिए मध्यावधि दिशानिर्देश/भविष्य के रोड मैप का सुझाव देने के उद्देश्य से विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के लिए सचिव, एमईआईटीवाई के अनुमोदन से डॉ अरबिंद मित्रा, वैज्ञानिक सचिव, की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।

मूल्यांकन समिति ने संस्थानों के नोडल अधिकारियों, पीएचडी विद्वानों और विभिन्न संस्थानों के युवा संकाय अनुसंधान फैलोशिप के पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया एकत्र की और देखा कि सभी ने इस योजना की बहुत सराहना की है। इस योजना ने ईएसडीएम और आईटी/आईटीईएस के क्षेत्र में अधिक पीएचडी उम्मीदवारों के नामांकन के लिए देश भर के संस्थानों में एक गति पैदा की है और 4-5 वर्षों की छोटी अवधि के भीतर अच्छा प्रभाव डालने में सक्षम है।

3. राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग (एनईजीडी)

3.1. परिचय:

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन एक स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग है। NeGD को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की डिजिटल इंडिया और ई-क्रांति पहल के विभिन्न कार्यक्रम प्रबंधन पहलुओं में सहायता करने के लिए बनाया गया है। इन कार्यक्रमों में रणनीतिक योजना और क्षमता निर्माण; मानकों, नीतियों और दिशानिर्देशों का विकास; जागरूकता और संचार; आकलन और मूल्यांकन; और भौतिक और डिजिटल/सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स की मदद से नागरिकों की सहभागिता शामिल हैं।

एनईजीडी को डिजिटल इंडिया के तहत नई नवोन्मेषी और अनूठी परियोजनाओं के कार्यान्वयन का भी काम सौंपा गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की निगरानी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति करती है। NeGD ने शीर्ष समिति के सचिवालय और डिजिटल इंडिया कार्यान्वयन के समन्वय के रूप में भी कार्य किया।

3.2. भूमिका और जिम्मेदारियां

3.2.1. कार्यक्रम प्रबंधन - डिजिटल इंडिया

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। कार्यक्रम विभिन्न सरकारी योजनाओं को एक साथ बुनता है, जिनमें कई केंद्रीय मंत्रालय / विभाग शामिल हैं। कार्यक्रम, केंद्र और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश दोनों - और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा समन्वित है। एनईजीडी केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रालयों/विभागों द्वारा शुरू की गई ई-गवर्नेंस परियोजनाओं और पहलों के कार्यक्रम प्रबंधन और कार्यान्वयन में एमईआईटीवाई का सहयोग करता रहा है।

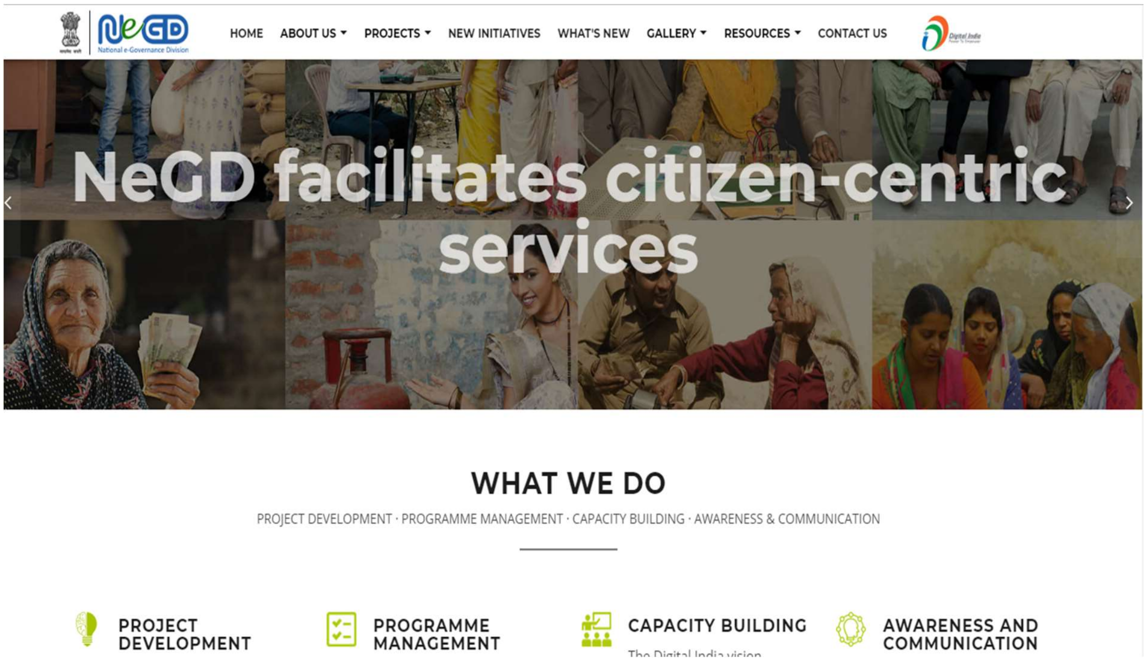

3.2.2. परामर्श और प्रौद्योगिकी प्रबंधन:

एनईजीडी न केवल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के लिए एक उत्प्रेरक और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, बल्कि केंद्रीय मंत्रालयों / राज्य लाइन विभागों को उनकी ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में सीधे या पेशेवर सलाहकारों के सहयोग से तकनीकी सहायता प्रदान करता है। एनईजीडी ने समग्र प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, ढांचा मानकों, सुरक्षा नीति, सेवा वितरण तंत्र, सामान्य बुनियादी ढांचे को साझा करने आदि जैसे मुद्दों की जांच के लिए ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन किया। साथ ही, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन और ई-तैयारी माप एनईजीडी द्वारा आयोजित किया गया था।

3.2.3. एमएमपी/ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की निगरानी और समन्वय:

- **कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस): पीएमआईएस** एक ऐसा एप्लिकेशन है जिसका उपयोग संबंधित मंत्रालयों और राज्यों द्वारा परियोजना की शुरुआत, योजना, निष्पादन, प्रबंधन और निगरानी के लिए किया जा सकता है। यह एक ओपन सोर्स (PHP/MySQL) सिस्टम है जो ओपन फोर्ज पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, जिसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनुकूलित और उपयोग किया जा सकता है। पीएमआईएस में बहु-स्तरीय डैशबोर्ड और रिपोर्टिंग, भू-संदर्भित परियोजना कार्यान्वयन स्थानों, संपर्क विवरण रखरखाव, कार्य आदेश प्रबंधन, समस्या प्रबंधन, परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर नज़र रखने और सेवा वितरण रैंकिंग की सामान्य क्षमताएं हैं।

3.2.4. सचिवालय से शीर्ष समिति और डिजिटल इंडिया कार्यान्वयन का समन्वय

एनईजीडी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर शीर्ष समिति को सहायता प्रदान करता रहा है। एनईजीडी ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करने के लिए पूर्ण संपर्क, प्रबंधन और सचिवीय सहायता प्रदान की। एनईजीडी ने इन बैठकों के दौरान किए गए/चर्चा किए गए निर्णय बिंदुओं पर की गई कार्रवाई पर सक्रिय रूप से नज़र रखी।

3.2.5. क्षमता निर्माण योजना 2.0

डिजिटल इंडिया के नेतृत्व वाले बदलाव के लिए विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों का नेतृत्व और प्रबंधन करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार के भीतर क्षमताओं में काफी वृद्धि की आवश्यकता है। डिजिटल परिवर्तन की कल्पना, अवधारणा और कार्यान्वयन के लिए सरकार में आंतरिक क्षमता के निर्माण की उभरती और बढ़ती आवश्यकता को संबोधित करने के लिए, क्षमता निर्माण (सीबी) योजना 2009 में शुरू की गई थी। योजना का चरण-II 2015 में शुरू हुआ और 31 मार्च, 2020 तक है।

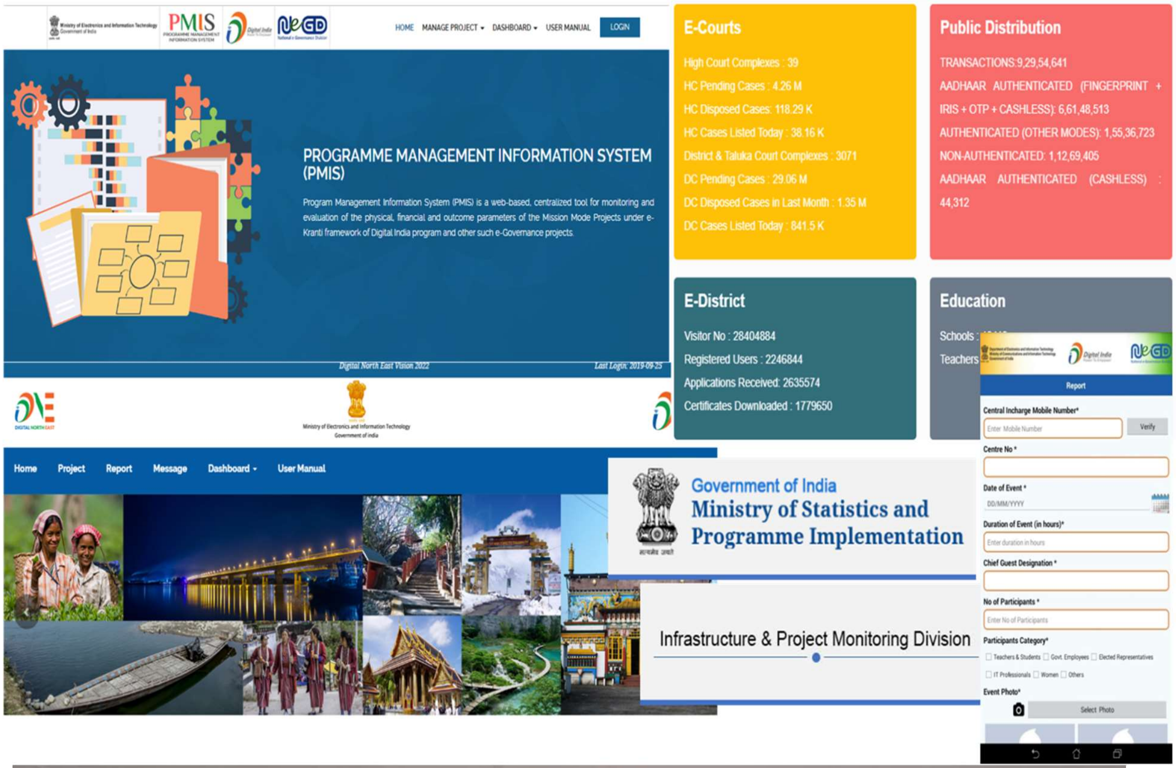

नई दिल्ली में आयोजित ई-गवर्नेंस लीडरशिप कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ श्री अजय प्रकाश साहनी, सचिव, एमईआईटीवाई

क्षमता निर्माण योजना के घटकों में व्यापक रूप से शामिल हैं: (i) राज्य ई-मिशन दल (एसईएमटी): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पेशेवर और तकनीकी जनशक्ति सहायता; (ii) विभिन्न आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम और विषयगत कार्यशालाएँ जो छोटी अवधि के संवेदीकरण और जागरूकता सत्रों से लेकर लंबी अवधि के लिए गहन, भूमिका-आधारित प्रशिक्षण तक होती हैं; (iii) सीखना और ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस और केएमएस): प्रौद्योगिकी सक्षम सीखने और ज्ञान प्रबंधन किसी भी समय, कहीं भी सीखने और साझा करने के लिए; (iv) सामग्री विकास और प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करना, सहयोग और भागीदारी: एटीआई और सीटीआई के लिए सामग्री और संकाय समर्थन को शामिल करता है और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के संचालन के लिए प्रमुख संस्थानों के सहयोग के अलावा नियमित कैलेंडर में डिजिटल शासन मॉड्यूल को शामिल करता है।

नए उभरते क्षेत्रों, उद्यम वास्तुकला और साइबर सुरक्षा पर हाल के ध्यान के साथ, साइबर सुरक्षित भारत जैसे नए कार्यक्रम पेश किए गए हैं और सीआईओ कार्यक्रम जैसे मौजूदा कार्यक्रम मॉड्यूल को तदनुसार संशोधित और संशोधित किया गया है। विभिन्न आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित और मानकीकृत किए गए हैं। साथ ही, देश भर में क्षमता निर्माण के प्रयासों को बढ़ाने के लिए ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम के तहत एक संसाधन पूल की पहचान की गई है और उसे प्रशिक्षित किया गया है। क्षमता निर्माण घटकों और कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया www.negd.gov.in देखें।

3.3. उपलब्धियाँ (वित्तीय वर्ष 2018-19):

3.3.1. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एसईएमटी सहायता: एसईएमटी में रिक्त पदों के लिए भर्ती जून 2018 में शुरू की गई थी। कुल मिलाकर, राज्य ई-मिशन टीमों में 34 नए कर्मचारियों को शामिल किया गया था। 31 मार्च, 2019 को, 229 की कुल स्वीकृत हेडकाउंट में से एसईएमटी की संख्या 158 थी।

प्रशिक्षण समय-समय पर विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तर के अधिकारियों को दी जाने वाली एक सतत गतिविधि है। वित्त वर्ष **2018-19** में**, 33** आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और विभिन्न केंद्रीय और राज्यों के मंत्रालयों / विभागों और अन्य संगठनों के **1,345** सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। आयोजित कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

3.3.2. मुख्य सूचना अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम एक उच्च मूल्य का कार्यक्रम है जो नीति, कार्यक्रम और केंद्र और राज्यों के परियोजना स्तर के सरकारी अधिकारियों को लक्षित करता है, जो ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का नेतृत्व और प्रबंधन करते हैं। कार्यक्रम में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर घटक शामिल हैं और इसके दो प्रकार हैं - नेतृत्व और चैंपियंस स्तर। हाल ही में आयोजित कुछ सीआईओ कार्यक्रम नए उभरते क्षेत्रों (जैसे एआई, ब्लॉक चेन, एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, आईओटी, साइबर सुरक्षा, डीएसएस, डिजाइन और सोच आदि) पर आधारित थे। वित्त वर्ष 18-19 में लीडरशिप और चैंपियंस सहित तीन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, और कवर किए गए अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर दौरे एस्टोनिया और सिंगापुर के थे।

3.3.3. विषयगत कार्यशालाएं: इन विषय आधारित कार्यशालाओं का उद्देश्य नए, महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्रों पर जागरूकता पैदा करना है। इस प्रकार, उभरती प्रौद्योगिकियों (जैसे ब्लॉकचैन, आईओटी, एआई, आदि) के आधार पर कुछ हालिया कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए एमजीएसआईपीए-पंजाब और एमसीएचआरडी, तेलंगाना के सहयोग से दो कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

3.3.4. भारत में साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) और उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर 'साइबर सुरक्षित भारत' पहल की घोषणा की।

साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) और फ्रंटलाइन आईटी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपायों पर क्षमता निर्माण के मिशन के साथ संकल्पित, साइबर सुरक्षित भारत तीन सिद्धांतों - जागरूकता, शिक्षा और सक्षमता पर काम करता है। इसमें साइबर सुरक्षा के महत्व पर जागरूकता कार्यक्रम और क्षमता निर्माण के लिए सीआईएसओ डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक श्रृंखला शामिल है और साइबर लचीला आईटी सेट-अप बनाने की दिशा में कदम उठाने के लिए सरकारी विभागों को सक्षम बनाता है। साइबर सुरक्षित भारत कार्यक्रम अपनी तरह की पहली, सार्वजनिक-निजी भागीदारी है और आईटी उद्योग और संबंधित सरकारी संगठनों की

विशेषज्ञता का लाभ उठाता है। प्रारंभिक लक्ष्य देश भर में 1,200 CISO को प्रशिक्षित करना था। 2018-19 के दौरान, 9 प्रशिक्षण कार्यक्रमों (4 दिन आवासीय) में 345 सीआईएसओ को प्रशिक्षित किया गया है।

3.3.5. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, विशाखापत्तनम (आईआईएम-वी) के साथ भागीदारी की है ताकि डिजिटल शासन और प्रबंधन में विशेषज्ञता वाला एक बीस्पोक एमबीए प्रोग्राम शुरू किया जा सके। कार्यक्रम कक्षाओं में और आभासी मोड में (प्रतिभागियों की कार्य स्थितियों से अनुपस्थिति को कम करने के लिए) पेश किए जाने वाले प्रबंधन और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों का एक विवेकपूर्ण मिश्रण है। व्यावहारिक महत्व की एक कैपस्टोन परियोजना और दो सप्ताह का अंतर्राष्ट्रीय विसर्जन भी कार्यक्रम का हिस्सा है।

3.3.6. यह योजना विशेष रूप से विभिन्न केंद्रीय और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई-सीटीआई) में पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में अधिकारियों को कवर करने के लिए अपनी पहुंच को अधिकतम करने के लिए सरकारी क्षेत्र के भीतर और बाहर प्रशिक्षण और शैक्षणिक संस्थानों को मजबूत करने पर केंद्रित है। सभी सहयोगी संस्थान एनईजीडी की सुविधा के साथ-साथ विशेष प्रशिक्षण, सीआईओ और सीआईएसओ भूमिका-आधारित प्रशिक्षण, विषयगत कार्यशालाएं और ई-गवर्नेंस में मास्टर ट्रेनर विकसित कर रहे हैं। एटीआई-मैसूर, एनआईएफएम-फरीदाबाद, आईजीएनएफए-देहरादून, एमजीएसआईपीए-पंजाब और डीआईटी-दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और उत्तर प्रदेश (यूपी) को सामग्री और संकाय सहायता प्रदान की गई है।

3.3.7. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) (**https://lms.gov.in/**)**:** प्रशासन**,** दस्तावेज़**,** प्रशिक्षण कार्यक्रमों की ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग**,** कक्षा और ऑनलाइन कार्यक्रमों**,** ई-लर्निंग कार्यक्रमों और प्रशिक्षण सामग्री के लिए एक वर्जुअल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म।

- NeGDs लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का अनुरोध 52+ सरकारी मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया गया है और भारत भर में 45+ सरकारी मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके ई-लर्निंग उद्देश्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नेंस, सॉफ्ट स्किल्स और यूएनडीपी सतत विकास लक्ष्यों जैसे विभिन्न विषयों पर लगभग 90-100 घंटे की ई-कंटेंट किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एलएमएस पर उपलब्ध है।
- ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में, एलएमएस ज्ञान के प्रसार और जन जागरूकता पैदा करने के लिए विशिष्ट सरकारी कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक वेबिनार और रन-अप वेबिनार भी आयोजित करता है।
- हम पहले ही विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों के लिए 200+ वेबिनार और कई पहल, जैसे कि MeitY स्टार्टअप; माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन); दूरसंचार विभाग (DoT); भारतीय रेल; रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय; ISTM, NACIN, NAIR, राजस्व विभाग; तेलंगाना पुलिस और टेरी आदि आयोजित कर चुके हैं। GSTN ने अंग्रेजी, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में GST पोर्टल पर विभिन्न एप्लिकेशन पर 140 से अधिक वेबिनार आयोजित किए हैं। 5 अप्रैल, 2019 को, एनईजीडी को माल और सेवा कर (जीएसटी) पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में बहुमूल्य योगदान और समर्थन की मान्यता के लिए एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आयोजित सभी प्रशिक्षण जो आम जनता के लिए खुले हैं, डिजिटल इंडिया लर्निंग यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं:

  https://www.youtube.com/channel/UCbzIbBmMvtvH7d6Zo_ZEHDA/featured.
- लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) के माध्यम से साइबर कानून, अपराध जांच और डिजिटल फोरेंसिक पर ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम: डिजिटल युग के आगमन और मोबाइल और कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग के साथ, दुनिया में पिछले कुछ वर्षों में साइबर अपराधों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है जो दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के लिए एक बड़ी चुनौती है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एनईजीडी ने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) के ज़रिए पुलिस, राज्य साइबर सेल, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों सहित 1,000 अधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से 'साइबर कानून, अपराध जांच और डिजिटल फोरेंसिक में ऑनलाइन पीजी डिप्लोमा' की पेशकश करने की पहल की है। यह कार्यक्रम एनएलआईयू (भोपाल) और अन्य विधि विद्यालयों/विश्वविद्यालयों के संघ के सहयोग से आयोजित किया जाएगा, जैसे कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (दिल्ली), नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया

यूनिवर्सिटी (बैंगलोर), राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ (पटियाला) आदि पूरे देश में हब एंड स्पोक मॉडल में हैं।

3.3.8. भारत को एक ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ई-गवर्नेंस के लिए एक नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम (केएमएस) (https://kms.gov.in/) विकसित की गई है। यह डिजिटल इंडिया के तहत ई-गवर्नेंस के मुद्दों और परियोजनाओं पर जानकारी और ज्ञान तक पहुंच, सहयोग और साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। NeGD KMS पोर्टल का अनुरोध प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG), मेघालय राज्य सरकार, तेलंगाना राज्य सरकार, केरल राज्य सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) और प्रत्यक्ष कर आयकर विभाग द्वारा किया गया है।

3.3.9. वित्तीय वर्ष 2018-19 में सीबी योजना चरण II के तहत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं की स्थिति नीचे दी गई है

प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं	**कार्यक्रमों की संख्या**	**प्रतिभागियों की संख्या**
विषयगत कार्यशाला (उभरती प्रौद्योगिकियों पर)	2	211
मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ) कार्यक्रम	3	60
सरकारी प्रक्रिया पुन: इंजीनियरिंग (जीपीआर), प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी), बिजनेस मॉडल और पीपीपी, सूचना सुरक्षा प्रबंधन (आईएसएम) पर केंद्रीय विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	153
मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (**CISO**) डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम	9	345
डिजिटल इंडिया और इसकी प्रमुख पहल संवेदीकरण सत्रों को उनके पाठ्यक्रमों में वितरित करने के लिए विशेषज्ञ संकाय और सामग्री सहायता प्रदान करके राज्य प्रशासनिक / केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के साथ अभिनव जुड़ाव मॉडल।	14	576
	33	**1345**

3.4. जागरूकता और संचार

जागरूकता और संचार (ए एंड सी) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। ए एंड सी देश भर में विविध हितधारकों के बीच डिजिटल इंडिया, संबंधित सेवाओं और सेवा वितरण चैनलों के बारे में जागरूकता के स्तर को उत्पन्न करने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ए एंड सी गतिविधियों के मुख्य उद्देश्य हैं:

(i) **विभिन्न प्लेटफार्मों** - मास मीडिया, ग्रामीण आउटरीच, सोशल मीडिया और पब्लिक इंटरफेस टच पॉइंट्स पर प्रभावी ब्रांडिंग अभ्यास के माध्यम से ब्रांड 'डिजिटल इंडिया' की स्थापना।

(ii) विभिन्न प्लेटफार्म - मास मीडिया, ग्रामीण आउटरीच, सोशल मीडिया और पब्लिक इंटरफेस टच पॉइंट्स पर प्रभावी ब्रांडिंग अभ्यास के माध्यम से ब्रांड 'डिजिटल इंडिया' की स्थापना।

(iii) **नागरिकों को डिजिटल इंडिया के लाभों को समझने में मदद**

- विभिन्न सेवाओं के लिए मांग सृजन को सुगम बनाना जिससे सेवाओं को और अधिक अपनाया जा सके

i. ऐप आधारित सेवाओं के डाउनलोड में वृद्धि

ii. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक्स में बढ़ोतरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में 'मैं नहीं हम' ऐप और पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर आईटी पेशेवरों के साथ बातचीत करते हुए।

उपलब्धियाँ

- मेगा इवेंट 'Self4Society' का आयोजन और आयोजन प्रबंधन- आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की रुचि, प्रतिभा और विचारों को सामाजिक कारणों की ओर पहली बार चैनलाइज करने के लिए, माननीय प्रधान मंत्री ने 24 अक्टूबर, 2018 को एक केंद्रीय और राष्ट्रीय मंच 'मैं नहीं हम - 'Self4Society' - पोर्टल और ऐप' लॉन्च किया, जहां सीएसआर कार्य से संबंधित जानकारी को कैप्चर किया गया है। माननीय प्रधान मंत्री के साथ केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और कानून और न्याय मंत्री, श्री रविशंकर प्रसाद सहित अन्य केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस आयोजन में 2,000 से अधिक उद्योग जगत के नेताओं और आईटी पेशेवरों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, दिल्ली के बाहर कई स्थानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया। हरीश मेहता, कृष्णा बोडनप्पु, किरण कार्णिक, राजन आनंदन, सी पी गुरनानी, सोम सत्संगी, रेखा मेनन, आनंद महिंद्रा आदि जैसे उद्योग के दिग्गजों ने भी राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) द्वारा आयोजित इस मेगा कार्यक्रम में भी भाग लिया। 'Self4Society' की व्यापक गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं):
- Self4Society के लिए क्रिएटिव और इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी की ऑनबोर्डिंग
- Self4Society क्रिएटिव का विकास - आउटडोर, सोशल मीडिया, इवेंट आदि।
- Self4Society के लिए जनसंपर्क (PR) गतिविधियाँ
- फिल्म निर्माण-Self4Societylogo लॉन्च और उद्योग के दिग्गजों को कैप्चर करने वाले वीडियो
- वेबसाइट ई-कंटेंट और सोशल मीडिया प्री-इवेंट और इवेंट प्रमोशन के दौरान सेल्फ4सोसाइटी स्पीकर्स के प्रोफाइल, फोटो और अन्य विवरणों का प्रबंधन

- **इवेंट एजेंसी को निम्नलिखित कार्यों के लिए ए एंड सी टीम द्वारा सहायता प्रदान की गई:**

  - कार्यक्रम की योजना और समयसीमा के अनुसार तैयारी
  - आयोजन स्थल का लेआउट, डिजाइन, सजावट और निर्माण
  - प्रोटोकॉल, सुरक्षा (SPG), निगरानी, VIP का प्रवेश-निकास, प्रतिभागी
  - विभिन्न सहायक कार्यों के लिए बाहरी एजेंसियों के साथ संपर्क करना- Wizcraft, NIC
  - लॉजिस्टिक और स्थान प्रबंधन- प्रदर्शनी क्षेत्र, ब्रांडिंग/कला स्थापना, स्टेज सेट-अप, रन-अप इवेंट
  - ओ पीआर प्रबंधन (बैठना, पार्किंग, स्थल पर मीडिया सेंटर)
  - ऑनसाइट निरीक्षण, रिपोर्ट तैयार करना, बिल प्रसंस्करण और विक्रेता भुगतान

2019 के दौरान अभियान

A. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

क्र. सं.	चैनल	दिनांक	फ़िल्म/ टीवीसी/ रेडिया स्पॉट	अवधि और आवृत्ति	भाषा
1	डीडी नेशनल	**2** अभियान • 12 दिसंबर 2018 – 2 जनवरी 2019 • 14 जनवरी 2019 – 17 फ़रवरी, 2019	**<u>फ़िल्में</u>** • डिजिटल इंडिया • डिजिटल इंडिया धारावी • डिजिलॉकर • बीपीओ	60 सेकंड (10 -15 स्पॉट प्रति दिन)	हिंदी
		14 जनवरी 2019 –6 मार्च 2019	**<u>टीवीसी</u>** • उमंग • डिजिलॉकर • डीबीटी • सीएससी • जैम ट्रिनिटी		
2	डीडी न्यूज़	**2** अभियान • 12 दिसंबर 2018 – 2 जनवरी 2019 • 14 जनवरी 2019 – 17 फ़रवरी, 2019	**<u>फ़िल्में</u>** • डिजिटल इंडिया • डिजिटल इंडिया धारावी • डिजिलॉकर • बीपीओ	60 सेकंड (10 -15 स्पॉट प्रति दिन)	हिंदी
		14 जनवरी 2019 –6 मार्च 2019	**<u>टीवीसी</u>** • उमंग • डिजिलॉकर • डीबीटी • सीएससी जैम ट्रिनिटी		
3	डीडी किसान (बोनस अभियान)	**2** अभियान • 12 दिसंबर 2018 – 2 जनवरी 2019 • 14 जनवरी 2019 – 17 फ़रवरी, 2019	**<u>फ़िल्में</u>** • डिजिटल इंडिया • डिजिटल इंडिया धारावी • डिजिलॉकर • बीपीओ	60 सेकंड (10 -15 स्पॉट प्रति दिन)	हिंदी
		14 जनवरी 2019 –6 मार्च 2019	**<u>टीवीसी</u>** • उमंग • डिजिलॉकर • डीबीटी • सीएससी जैम ट्रिनिटी		

4	44 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनल 12 भाषाओं में क्षेत्रीय चैनल **विवरण अनुबंध में संलग्न हैं ***A***	18 फ़रवरी – 05 मार्च 2019	<u>**टीवीसी**</u> • उमंग • डिजिलॉकर • डीबीटी • सीएससी • जैम ट्रिनिटी	60 सेकंड (प्रत्येक चैनल में प्रति दिन 10 -15 स्पॉट)	असमिया बंगाली भोजपुरी गुजराती हिन्दी कन्नड़ मलयालम मराठी उड़िया पंजाबी तमिल तेलुगु
5	एफएम रेडियो कैंपेन	25 जनवरी 2019 से 25 फ़रवरी 2019	डिजिटल इंडिया और डिजिलॉकर (37 शहर/80 चैनल)	40 सेकंड	हिंदी अंग्रेजी

अनुलग्नक ए

44 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय टीवी चैनलों की सूची:

क्र. सं.	**टीवी चैनल (नैशनल न्यूज़)**	**भाषा**
1.	डी डी नेशनल	हिन्दी
2.	डीडी न्यूज	हिन्दी
3.	डीडी किसान	हिन्दी
4.	एबीपी न्यूज़	हिन्दी
5.	इंडिया न्यूज़	हिन्दी
6.	न्यूज़ नेशन	हिन्दी
7.	टोटस टीवी	हिन्दी
8.	आजतक	हिन्दी
9.	न्यूज़ 24	हिन्दी
10.	लिविंग इंडिया न्यूज़	हिन्दी
11.	जनता टीवी (न्यूज़)	हिन्दी
12.	ज़ी बिजनेस	हिन्दी
	राष्ट्रीय चैनल (जीईसी)	
13.	एंड पिक्चर्स (मूवी चैनल)	हिन्दी
	क्षेत्रीय चैनल (न्यूज़ चैनल)	**भाषा**
14.	ज़ी राजस्थान (न्यूज़)	हिन्दी
15.	आईबीसी 24 (न्यूज़) एमपी/छत्तीसगढ़	हिन्दी
16.	न्यूज़ 18 राजस्थान	हिन्दी
17.	न्यूज़ 18 मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़	हिन्दी
18.	न्यूज़ 18 बिहार/झारखंड	हिन्दी
19.	बंसल न्यूज (एमपी/छ.ग.)	हिन्दी
20.	न्यूज़ 18 लोकमत (न्यूज़)	मराठी

21.	समाचार 18 कन्नड़ (न्यूज़)	कन्नड़
22.	जनम टीवी (न्यूज़)	मलयालम
23.	कलिंग टीवी (न्यूज़)	उड़िया
24.	ईटीवी तेलंगाना न्यूज़	तेलुगू
25.	एमएच वन न्यूज़	पंजाबी
26.	मून टीवी (न्यूज़)	तमिल
27.	पुथिया थलाईमुरई टीवी (न्यूज़)	तमिल
28.	न्यूज़ लाइव (पूर्वोत्तर न्यूज़)	असमिया
29.	असम टॉक 24x7 (पूर्वोत्तर न्यूज़)	असमिया
30.	जय महाराष्ट्र (न्यूज़)	मराठी
31.	10 टीवी (न्यूज़)	तेलुगू
32.	संदेश न्यूज़	गुजराती
33.	टीवी 9 तेलुगु (न्यूज़)	तेलुगू
	क्षेत्रीय जीईसी चैनल्स	
34.	टॉलीवुड (जीईसी)	तेलुगू
35.	ईटीवी लाइफ़ (जीईसी)	तेलुगू
36.	कलर्स मराठी (जीईसी)	मराठी
37.	कलर्स उड़िया (जीईसी)	उड़िया
38.	कलर्स बांग्ला (जीईसी)	बंगाली
39.	एमएए टीवी (जीईसी)	तेलुगू
40.	भोजपुरी सिनेमा (जीईसी)	भोजपुरी
41.	पीटीसी पंजाबी (जीईसी)	पंजाबी
42.	कैराली (जीईसी)	मलयालम
43.	राज टीवी (जीईसी)	तामिल
44.	दबंग (यूपी जीईसी)	हिन्दी

*****डीडी के साथ-साथ क्षेत्रीय चैनलों में प्रतिदिन कुल 10-13 स्पॉट***

- **12 राष्ट्रीय चैनल**
- **1 राष्ट्रीय जीईसी चैनल**
- **20 क्षेत्रीय न्यूज़ चैनल**
- **11 क्षेत्रीय जीईसी चैनल**
- **भाषाएं- 12, हिंदी सहित**

B. प्रिंट मीडिया

1. पूरे पृष्ठ के समाचार पत्र विज्ञापन - दो प्रविष्टियां (विवरण अनुबंध बी में)
2. डिजिटल इंडिया और संबंधित सेवाओं पर विज्ञापन अभियान "नामुमकिन अब मुमकिन है"
3. अभियान तिथियां: 2 और 3 मार्च, 2019
4. भाषाएं: अंग्रेजी, हिंदी और मराठी

अनुलग्नक बी

समाचार पत्रों की सूची:

क्र.सं.	समाचार पत्र	स्थान	भाषा
1.	इंडियन एक्सप्रेस	दिल्ली	अंग्रेज़ी
2.	दा इकनॉमिक्स टाइम्स	दिल्ली	अंग्रेज़ी
3.	दा हिंदुस्तान टाइम्स	दिल्ली	अंग्रेज़ी
4.	द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया	दिल्ली	अंग्रेज़ी
5.	अमर उजाला	दिल्ली	हिन्दी
6.	दैनिक जागरण	दिल्ली	हिन्दी
7.	हिंदुस्तान	दिल्ली	हिन्दी
8.	हरि भूमि	दिल्ली	हिन्दी
9.	द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया	बेंगलुरु	अंग्रेज़ी
10.	दा इकनॉमिक्स टाइम्स	मुंबई	अंग्रेज़ी
11.	दा हिंदुस्तान टाइम्स	मुंबई	अंग्रेज़ी
12.	द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया	मुंबई	अंग्रेज़ी
13.	लोकमत	मुंबई	मराठी
14.	द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया	चेन्नई	अंग्रेज़ी
15.	डेक्कन क्रॉनिकल	हैदराबाद	अंग्रेज़ी
16.	द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया	हैदराबाद	अंग्रेज़ी
17.	द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया	कोलकाता	अंग्रेज़ी
18.	द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया	पटना	अंग्रेज़ी
19.	हिंदुस्तान	पटना	हिन्दी
20.	प्रभात खबरी	रांची	हिन्दी

- **बड़े समाचार पत्र: 18**
- **मध्यम समाचार पत्र: 02**
- **अंग्रेजी समाचार पत्र: 13**
- **हिंदी समाचार पत्र: 06**
- **मराठी समाचार पत्र: 01**

C. आउटडोर मीडिया

1. **आउटडोर** अभियान
    a. रांची – 25 फ़रवरी 2019 से आचार संहिता तक

b. पटना –20 जनवरी से 20 फ़रवरी 2019 तक
c. कुंभ –10 फ़रवरी 2019 से आचार संहिता तक

2. भाषा: हिंदी

- देश के युवा छात्रों को समस्याओं के लिए 'समाधान निर्माता' बनने के लिए एक मंच और अवसर देने के उद्देश्य से 6 दिसंबर, 2018 को माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग कर भारत-रचनात्मक समाधान के लिए विचार लॉन्च किया। इस राष्ट्रीय चुनौती का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें अपने समुदाय को बेहतर बनाने में सक्षम बनाना था-
  - स्थानीय महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए समाधानों की फिर से कल्पना करने के लिए उन्हें कौशल प्रदान करके
  - स्वदेशी समाधान विकसित करके उन्हें भविष्य के प्रौद्योगिकी निर्माता और नवप्रवर्तक बनने के लिए प्रेरित करके

NeGD ने Intel India के सहयोग से इस आयोजन की परिकल्पना की है।

श्रीमान एमएस राव, पूर्व सीईओ और अध्यक्ष, एनईजीडी; श्री विनय ठाकुर, निदेशक, एनईजीडी; और इंटेल इंडिया की श्रीमती श्वेता खुराना "नॉर्थ इंडिया बूटकैंप ऑफ आइडिया फॉर इंडिया नेशनल चैलेंज" में भाग लेने वाले छात्रों को सम्मानित करती हुई ।

- **अन्य इवेंट्स में भागीदारी**
  - गांधीनगर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात में एमईआईटीवाई मंडप की स्थापना (जनवरी 2019)
  - वाराणसी में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस में MeitY मंडप की स्थापना (जनवरी 2019)

- **दावोस, स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक, 2019 में भागीदारी**

- व्यापारिक वस्तुओं की नियमित छपाई - प्लास्टिक के नाम के बैज, डोरी, निमंत्रण कार्ड, ब्रोशर, कॉफी टेबल बुक, द इंडिया बुक, बैग, पेन, पेन स्टैंड, पेन ड्राइव, लेखन नोटबुक, पीतल के बुकमार्क, कई सम्मेलनों / प्रदर्शनियों के लिए प्रतिनिधियों के लिए उपहार /आयोजन

- **प्रकाशनों/रिपोर्टों की डिजाइनिंग और प्रिंटिंग -**
    - **<u>किताबें</u>**
        - कॉफी टेबल बुक- एक नए भारत की ओर, डिजिटल सपने को हकीकत में बदलना
        - डिजिटल इंडिया संग्रह- डिजिटल भारत, सक्षम भारत
    - **पुस्तिकाएं**
        - न्यू इंडिया-डिजिटल इंडिया- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की उपलब्धियां (2014-19) अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में
    - **ब्रोशर**
        - उमंग
        - डिजिलॉकर
        - आरएएस
        - एनसीओजी
- **प्रिंटिंग और व्यापारिक एजेंसियों का पैनल**
- अवधि: 18 दिसंबर 2018 - 17 दिसंबर, 2020
- एजेंसियों की सूची:
    - व्यापारिक वस्तु
        - पीओपी वर्ल्ड
        - मेन्सा डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड
        - मूनशाइन ईसर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
        - श्री श्याम सेल्स
        - शुभम इंटरप्राइजेज

    - प्रिंटिंग
        - अंकुर ऑफसेट और पैकिंग
        - अरिहंत ऑफसेट प्रिंटिंग
        - करेंट प्रिंट प्रोडक्शंस (पी) लिमिटेड
        - मेन्सा डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड
        - इंडिया ऑफ़सेट प्रेस
        - जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
        - पी ओ पी वर्ल्ड
        - शरद एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
        - वीपीएस इंजीनियरिंग इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
        - VIBA प्रेस प्राइवेट लिमिटेड

- **कार्यशालाओं/सेमिनार/सम्मेलन/प्रदर्शनी के लिए लोगो और वित्तीय सहायता:** लोगो और वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, निजी संगठनों के प्रस्तावों पर विचार किया गया:
    - कुल 6 आयोजनों में से 4 आयोजनों को एमईआईटीवाई पवेलियन बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई
    - 22 सम्मेलनों को लोगो सपोर्ट
    - 3 सम्मेलनों/सेमिनारों/शिखर सम्मेलनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई

- **वेबसाइट डिजाइनिंग:** राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन वेब पोर्टल का पुनर्गठन और पुन: डिजाइनिंग

सोशल मीडिया गतिविधियां

- **ऑर्गेनिक कैंपेन**

1. डिजिटल इंडिया के फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन अकाउंट्स पर प्रचार गतिविधियां आयोजित की गईं
2. सोशल मीडिया चैनलों पर Self4Society इवेंट का कवरेज - स्टिल रचनात्मक प्रतियों के साथ इवेंट कवरेज, इंडस्ट्री लीडर्स के वीडियो, इवेंट का फेसबुक लाइव कवरेज और लाइव ट्वीटिंग।
3. डिजिटल इंडिया पोर्टल प्रश्नोत्तरी (पाक्षिक आधार)
4. साप्ताहिक सोशल मीडिया कैलेंडर की मदद से सभी चैनलों में साप्ताहिक सोशल मीडिया ऑर्गेनिक गतिविधियां - स्टिल क्रिएटिव, वीडियो सामग्री, वीडियो प्रशंसापत्र, फेसबुक लाइव सत्र, लाइव ट्वीट, ऑडियो पॉडकास्ट मीडिया फीड, माइक्रो अभियान (सेवा / पहल आधारित)), ट्विटर प्रश्नोत्तर सत्र।

- **सशुल्क अभियान**

1. प्रोग्रामेटिक बाइंग (डिस्प्ले, बैनर, वीडियो आधारित विज्ञापन) के तहत डिजिटल इंडिया की विभिन्न पहलों/सेवाओं के बारे में ऑनलाइन ब्रांड जागरूकता के लिए 3-4 अभियान चलाए गए।

a. **अभियान का नाम:** उमंग ऐप डाउनलोड
अभियान अवधि : 29 नवंबर, 2018 - दिसंबर 07, 2018
उद्देश्य: ऐप इंस्टॉल बढ़ाना और ब्रांड जागरूकता पैदा करना

नियोजित इंप्रेशन: 66,666,666
प्राप्त: 70,124,798

नियोजित इंस्टालेशन: 50,000
प्राप्त: 52,078

इम्प्रेशन में इंक्रीमेंटल डिलीवरी: 3,458,132
इंस्टॉल में इंक्रीमेंटल डिलीवरी: 2,078

b. **अभियान का नाम**: डिजिलॉकर ट्रैफ़िक विज़िट और डाउनलोड
अभियान अवधि: 28 दिसंबर 2018 – 10 जनवरी 2019
उद्देश्य: ऐप्लिकेशन इंस्टॉलेशन बढ़ाना और ब्रांड जागरूकता

नियोजित क्लिक्स: 1,00,000
प्राप्त: 1,06,013
नियोजित डाउनलोड: 20,000
प्राप्त: 27,319
विज़िट/नए उपयोगकर्ता: 54,545
प्राप्त: 65,016

इम्प्रेशन में इंक्रीमेंटल डिलीवरी : 3,458,132
इंस्टॉल में इंक्रीमेंटल डिलीवरी: 2,078

c. **अभियान का नाम**: डिजिटल इंडिया ब्रांड जागरूकता
अभियान अवधि: 28 जनवरी 2019 – 28 फरवरी 2019
उद्देश्य: ब्रांड जागरूकता पैदा करना और उपयोगकर्ताओं को शामिल करना
नियोजित इंप्रेशन: 9,99,00,000
प्राप्त: 12,35,50,328

नियोजित व्यू/क्लिक/सहभागिता: 1,88,000
प्राप्त: 4,62,814

इम्प्रेशन में इंक्रीमेंटल डिलीवरी : 124%
इंस्टॉल में इंक्रीमेंटल डिलीवरी : 246%

d. **फेसबुक बूस्ट पोस्टिंग**
दिनांक: 18 जनवरी 2019 – 25 फ़रवरी 2019
प्राप्त इंप्रेशन: 7,48,605
वीडियो व्यूज/क्लिक : 72,385
ऑडियंस रीच: 7,02,312
पोस्ट्स इंगेजमेंट : 77,713

3.5. इनोवेटिव कॉमन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव:

3.5.1. डिजिलॉकर

डिजिलॉकर डिजिटल तरीके से दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को जारी करने और सत्यापन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है और यह भौतिक दस्तावेजों के इस्तेमाल को खत्म करने में मदद कर रहा है। जो नागरिक डिजिलॉकर अकाउंट के लिए साइन अप करते हैं, उन्हें अपने जरूरी दस्तावेजों को एक्सेस करने के लिए एक समर्पित सुरक्षित डिजिटल वॉलेट प्राप्त होता है। यह सफल प्रमाणीकरण होने पर नागरिकों को अपने दस्तावेज और प्रमाण पत्र (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र आदि) को सीधे अपने लॉकर में ले जाने की अनुमति देता है।

नागरिकों को लाभ

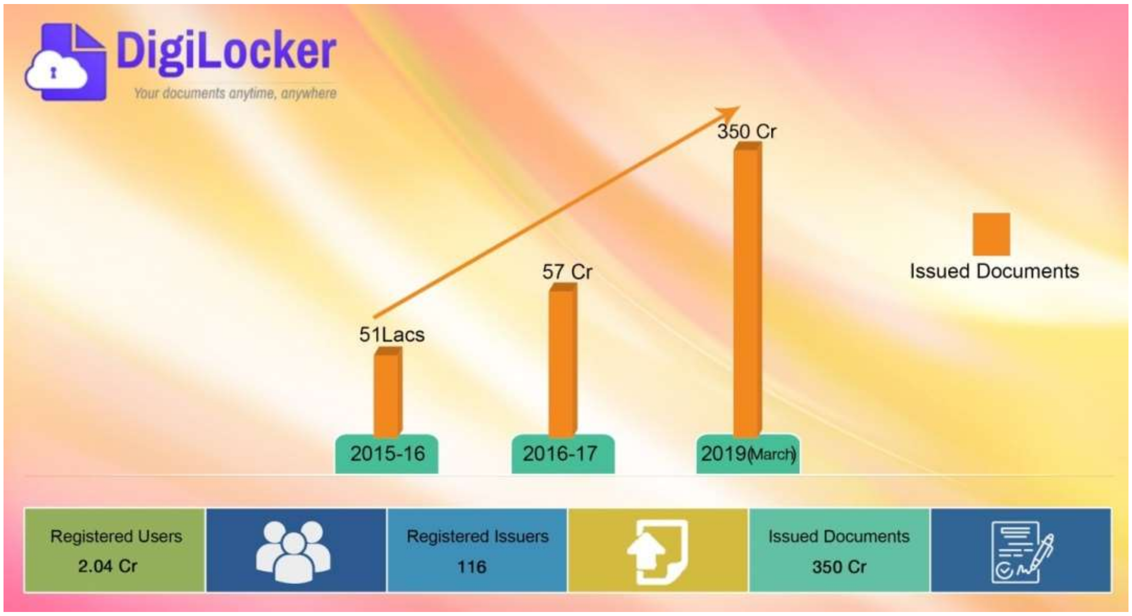

डिजिलॉकर का उद्देश्य हर एक नागरिक को एक डिजिटल वॉलेट देना है, ताकि सभी दस्तावेजों को एक ही जगह पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जा सके और किसी भी समय कहीं से भी एक्सेस किया जा सके। यह एक ऑनलाइन सुविधा देता है, जहाँ दस्तावेजों को एक ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए साझा और सत्यापित किया जा सकता है । यह कागज के इस्तेमाल को कम करके सरकारी विभागों के प्रशासनिक खर्चे को कम करता है। डिजिलॉकर का उद्देश्य एक पेपरलेस सिस्टम बनाना है, जहाँ यूजर को अपने डिजिलॉकर अकाउंट में सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों तक पहुंचने में आसानी हो। यूजर इन इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों को डिजिलॉकर पर पंजीकृत अलग-अलग विभागों और एजेंसियों के साथ ऑनलाइन साझा कर सकता है। चूंकि जारी किए गए दस्तावेजों के लिंक विभागों/एजेंसियों को भरोसे के एक ही सोर्स पर ले जाते हैं, इसलिए हर एक मामले में स्वचालित सत्यापन होता है।

डिजिलॉकर कई भारतीय नागरिकों के लिए मददगार रहा है, जिन्होंने प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप आदि के दौरान अपने जरूरी दस्तावेजों को खो दिया था। इस तरह की आपदाएं डिजिटल दस्तावेजों के महत्व को उजागर करती है और डिजिलॉकर सेवाओं को तुरंत अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए, एक राहत उपाय के रूप में, कई सरकारी विभागों ने डिजिलॉकर को अपनाने के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया है।

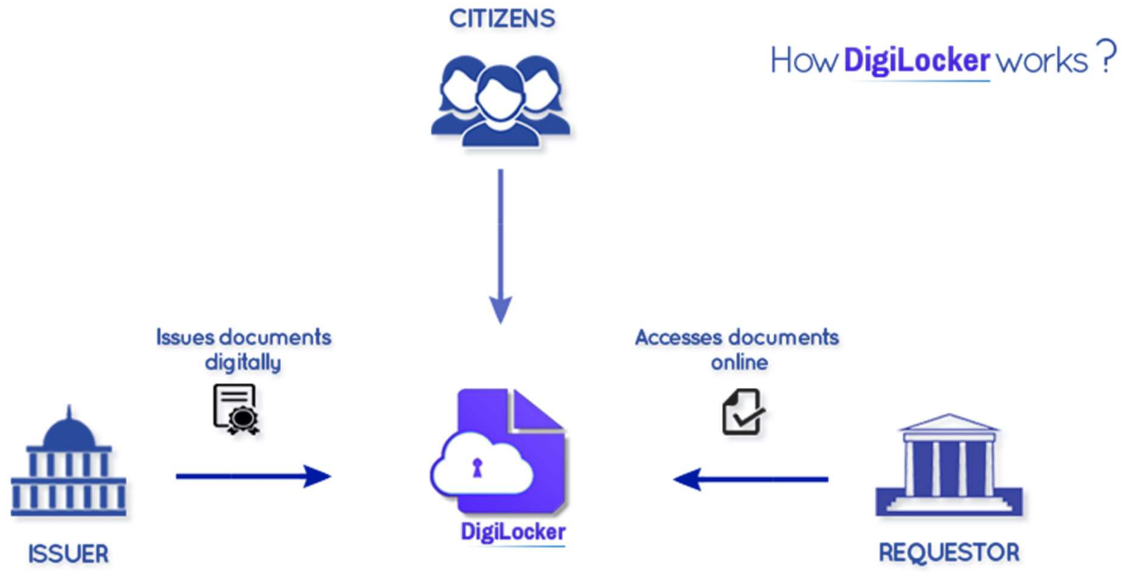

डिजिलॉकर से जारी किए गए दस्तावेज कागज़ी मूल दस्तावेजों के समान हैं *

सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट, 2000 के तहत अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर सुविधाएं प्रदान करने वाले बिचौलियों द्वारा संरक्षण प्रतिधारण

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य परिवहन विभाग को यह स्पष्ट करने के लिए एक सलाह जारी की कि डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण भौतिक दस्तावेजों के बराबर हैं। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया गया है कि भौतिक दस्तावेज को जब्त करना अब जरूरी नहीं होगा क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण की स्थिति को ई-चालान एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। यह सलाह भारत में पेपरलेस ड्राइविंग अनुभव की ओर एक कदम है। डिजिलॉकर के माध्यम से दिखाए गए ड्राइविंग लाइसेंस और आधार जैसे फोटो पहचान पत्र भी भारतीय रेलवे के माध्यम से यात्रा करते समय पहचान के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने भी डिजिलॉकर के माध्यम से डिजिटल दस्तावेजों की स्वीकृति के संबंध में अधिसूचना जारी की है।

डिजिलॉकर का राष्ट्रीय डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग

डिजिलॉकर पहले से ही जारीकर्ताओं और अनुरोधकर्ताओं के एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के रूप में काम कर रहा है। इस नेटवर्क का इस्तेमाल सरकारी ई-सेवाओं के वितरण के दौरान मानकीकृत तरीके से अलग-अलग तरह के डेटा को एक्सेस करने के लिए एक सार्वभौमिक प्लेटफॉर्म के रूप में किया जा सकता है। इस तरह, सरकारी सेवाओं को ज़्यादा कुशलतापूर्वक और जल्दी से वितरित किया जा सकता है। इसलिए, डिजिलॉकर को एक राष्ट्रीय डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के रूप में बदला जा रहा है।

भले ही ज़्यादातर सरकारी विभाग अब कम्प्यूटरीकृत हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रमाण पत्र, जैसे पहचान प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सरकारी विभागों द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाण पत्र भौतिक रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं। जब

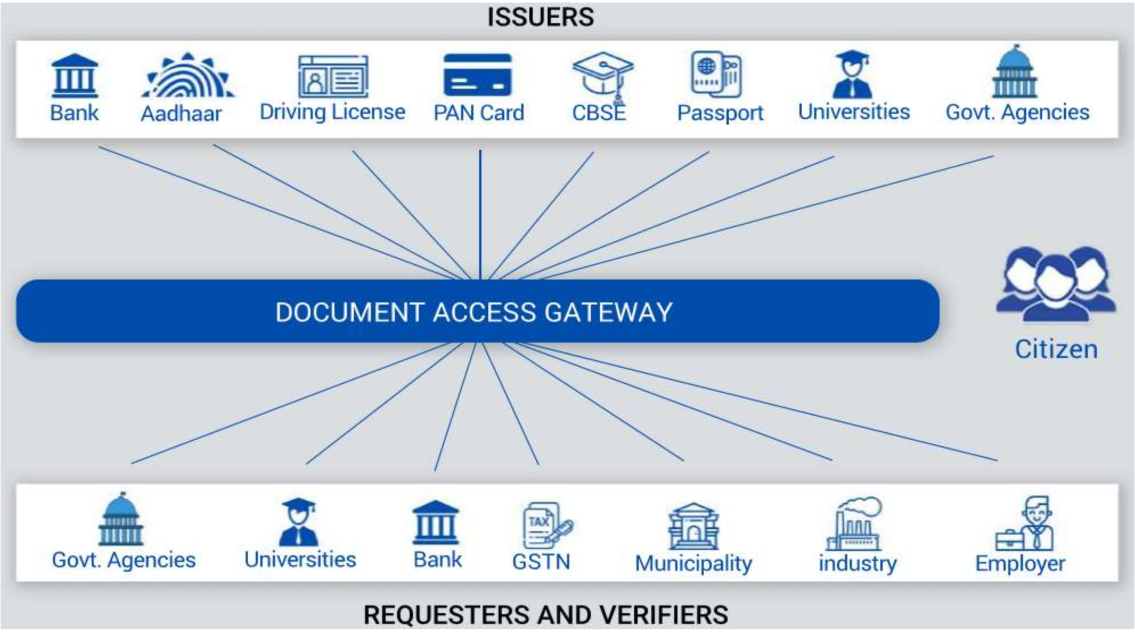

नागरिकों / संगठनों को सेवाएं प्राप्त करने हेतु इन दस्तावेजों को दिखाने के लिए कहा जाता है, तो आमतौर पर एक फोटोकॉपी या स्कैन की जरूरत होती है। यह न सिर्फ नागरिकों के लिए खर्च और असुविधा है, बल्कि सरकार पर ऐसे लाखों दस्तावेजों को जारी करने, सत्यापित करने, संसाधित करने और संग्रहीत करने का बोझ भी आ जाता है। अगर ये सभी प्रमाण पत्र डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर डिजिटल तरीके से नागरिकों को जारी/साझा/सत्यापित किए जा सकते हैं, तो कोई भी विभाग नागरिक से किसी खास प्रमाण पत्र की भौतिक कॉपी नहीं मांगेगा। इस तरह, एक एकीकृत प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहाँ तीनों हितधारक (प्रमाण पत्र जारी करने वाली एजेंसियां, प्रमाण पत्र लेने वाली एजेंसियां, और नागरिक) प्रमाण पत्र प्राप्त करने और वितरित करने हेतु भौतिक कॉपी बनाने या यात्रा करने की जरूरत के बिना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे लक्ष्य को पाने के लिए, एक राष्ट्रीय डेटा एक्सचेंज प्रोग्राम बनाया जा रहा है। यह नागरिकों की सहमति के बाद विभागों में डेटा के निर्बाध ट्रांसफर को सक्षम बनाने के लिए कई निजी और सार्वजनिक डेटा संग्राहकों का एक-दूसरे से जोड़ता है और इसलिए, पेपरलेस शासन के विचार को सृदढ़ करने में योगदान देता है।

3.5.2. उमंग

उमंग (यूनिफ़ाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस)) एक तरह का सरकारी सेवा एकत्रीकरण प्लेटफॉर्म है जो सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म यानी एंड्रॉयड, आईओएस, कैओस और वेब पर एक मोबाइल ऐप के माध्यम से सैकड़ों सेवाएं (केंद्र, राज्यों, स्थानीय निकायों सम्बंधित) देता है। एप के साथ 104 विभागों एवं 21 राज्यों की 500+ सेवाओं को पहले ही एकीकृत किया जा चुका है और कई और होनी बाकी हैं। एप्लिकेशन में दूसरी जरूरी सेवाओं के लिए डाइरेक्टरी देने का भी प्रावधान है। ~4.4 की औसत प्ले स्टोर रेटिंग के साथ उमंग पहले ही ~18.5 मिलियन डाउनलोड और ~16 मिलियन पंजीकृत यूजर के

स्तर तक पहुंच चुका है। उमंग ऐप सिर्फ एक मोबाइल ऐप के बराबर मेमोरी (~18 एमबी) लेता है। यह नागरिकों की उंगलियों पर शक्ति और सुविधा देता है और हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है।

कंसिस्टेंट यूजर इंटरफेस / अनुभव और सहज खोज का फीचर उमंग को यूजर के अत्यधिक अनुकूल बनाता है। उमंग केंद्रीय और राज्य टैब के माध्यम से संघीय ढांचे को सपोर्ट करता है, जिनमें से किसी को भी नागरिकों/यूजर द्वारा डिफ़ॉल्ट लैंडिंग पेज बनाया जा सकता है। उमंग में किसी भी सरकारी सेवा को जल्दी और आसानी से खोजने के लिए सिंगल-स्टॉप मोबाइल एप्लिकेशन बनने की क्षमता है।

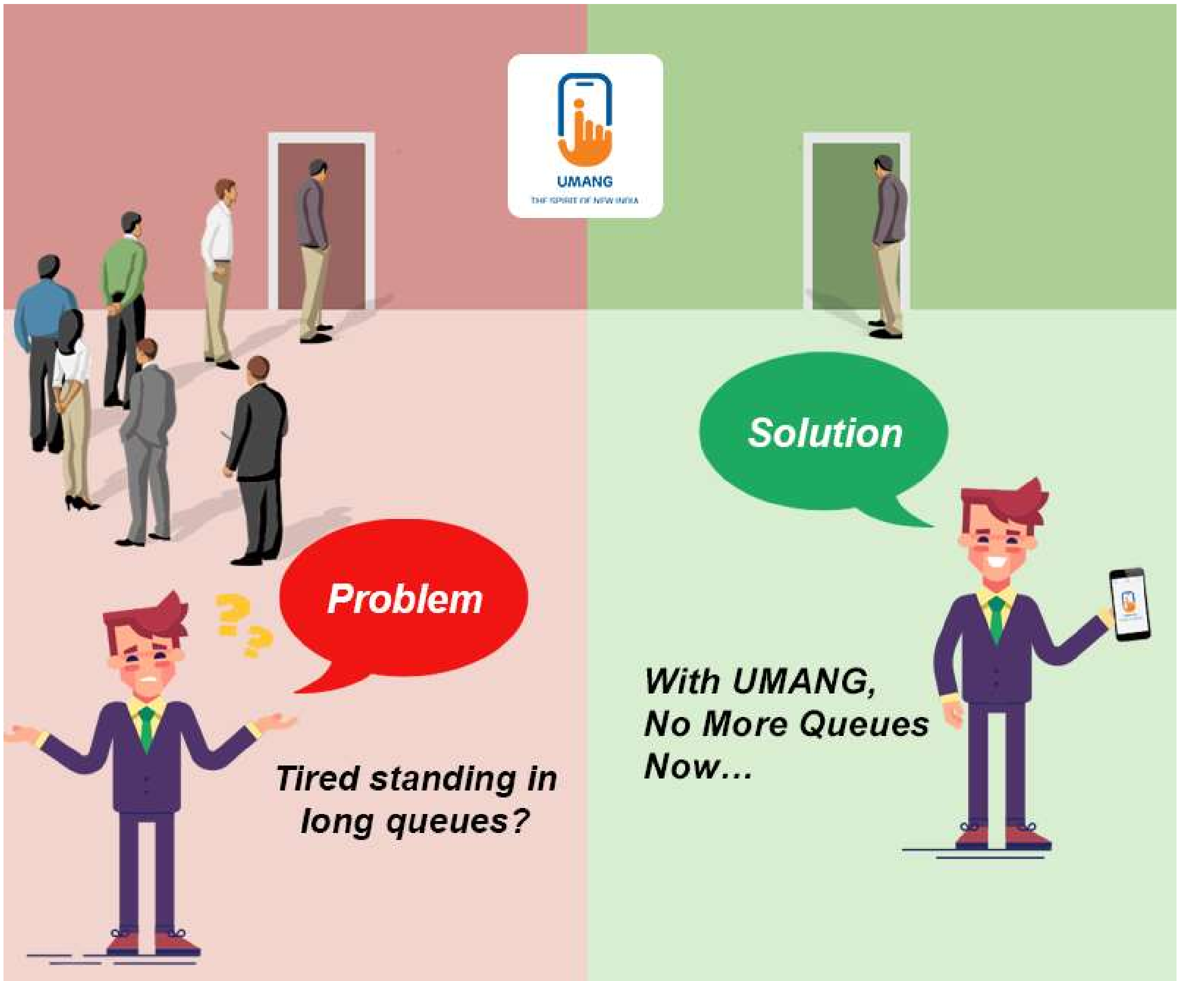

उमंग समाधान में तीन लेयर शामिल हैं: ए) उमंग क्लाइंट ऐप्स – एंड्रॉयड, आईओएस, कैओस और वेब; बी) उमंग प्लेटफॉर्म एपीआई के माध्यम से सेवा प्रदाताओं (वर्तमान में सरकारी विभाग) के बैकएंड/प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है; और सी) हेल्पडेस्क सेंटर जो आईवीआर और कॉल सेंटर (टोल-फ्री नंबर), इन-ऐप चैट और ईमेल के माध्यम से 13 भाषाओं में 8x7 सुविधा देता है।

उमंग को आधार (प्रमाणीकरण/प्राधिकरण सेवा), पेमेंट गेटवे (सेवाओं के लिए भुगतान), एसएमएस/ई-मेल गेटवे, फीडबैक सेवाओं और त्वरित एकीकरण की सुविधा देने वाली सभी तरह की सेवाओं के साथ केंद्रीय रूप से एकीकृत किया गया है। उमंग की मुख्य विशेषताएं हैं- ए) ओपन सोर्स आधारित स्टैक; बी) मॉडुलर एंड लूसली कपल्ड आर्किटेक्चर; और सी) ऑन-डिमांड मापनीयता को पूरा करने के लिए क्लाउड पर होस्ट किया गया।

उमंग को 23 नवंबर, 2017 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तब से, उमंग

ने चार प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किये हैं: DARPG द्वारा राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कार (गोल्ड); 6वें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, दुबई, यूएई में बेस्ट एम-गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड; ओमनी-एक्सपीरियंस इनोवेटर श्रेणी के तहत आईडीसी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड; और डिजिटल इंडिया पुरस्कार।

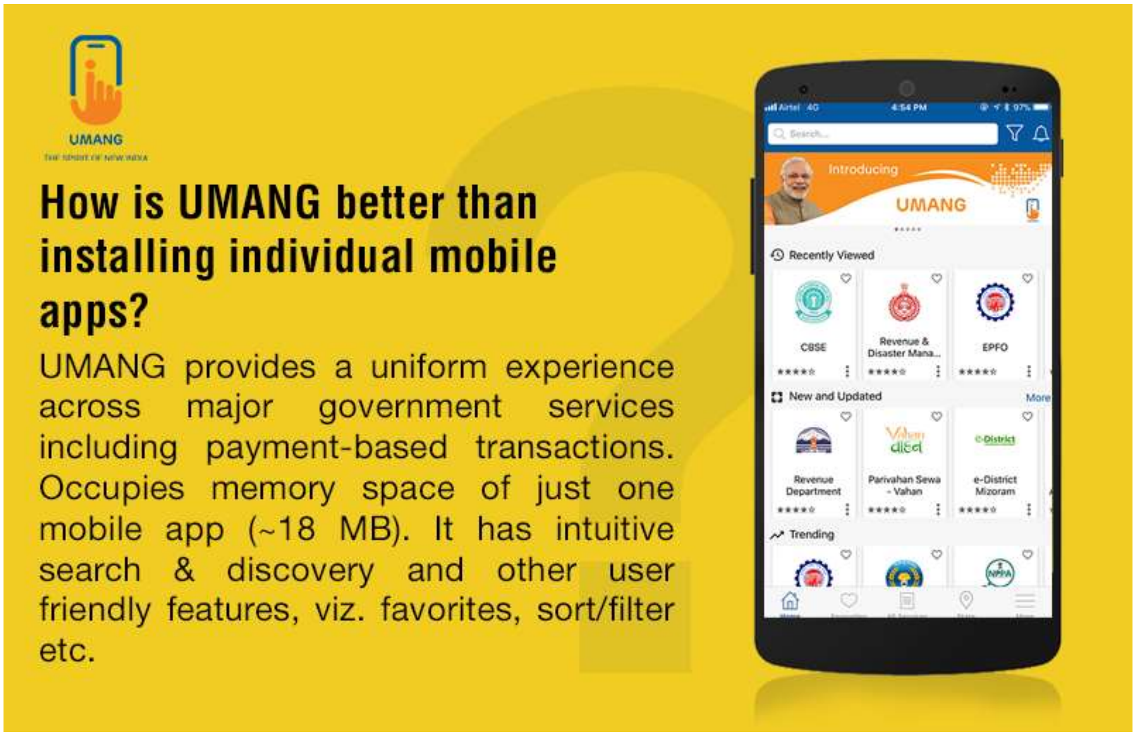

इसका 'सेल्फ-केयर पोर्टल' यूजर प्रबंधन, ग्राहक की दर्ज की गई शिकायतों का प्रबंधन, एमआईएस/सेवा सांख्यिकी डैशबोर्ड, एपीआई प्रदर्शन, कीवर्ड प्रबंधन, सेवा और प्रचार इन-ऐप नोटिफिकेशन आदि सहित अन्य सेवाओं के लिए विकसित किया गया है और विभागों को वितरित किया गया है। यूजर प्रोफ़ाइल और सेवाओं के आंकड़ों के आधार पर डेटा एनालिटिक्स और रेकमेंडेशन्स इंजन को अंतर्निहित किया गया है और आगे परिष्कृत किया जा रहा है। इसके अलावा, एपीआई मैनेजमेंट लेयर के माध्यम से अभियान प्रबंधन और ऑनबोर्ड सेवाओं सहित अलग-अलग सेवाओं/कार्यों को उजागर करने के लिए प्रावधान हैं।

3.5.3. राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान केंद्र (NCoG)

भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आधारित डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) प्लेटफॉर्म की स्थापना राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान केंद्र (NCoG) के तहत की गई थी, जिसे 31.12.2015 को सम्बंधित प्राधिकरण द्वारा 98.28 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था।

भू-सूचना विज्ञान राष्ट्रीय केंद्र एक सिंगल सोर्स भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) प्लेटफार्म है जिसका उपयोग देश भर के केंद्र और राज्य सरकार के विभागों द्वारा साझाकरण, सहकार्यता, लोकेशन-आधारित विश्लेषण और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए किया जाता है। भू-सूचना विज्ञान भू-सक्षम ई-शासन का अभिन्न अंग है जो सभी के लिए लोकेशन-आधारित जानकारी, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण प्रदान करता है। जीआईएस प्लेटफॉर्म में मंत्रालयों/विभागों के एमआईएस डेटा के साथ इसे एकीकृत करने का प्रावधान है।

इसे लोकेशन-आधारित डेटासेट के साथ जोड़ा जा सकता है। लोकेशन-आधारित डेटासेट जैसे कि केंद्र सरकार के भूमि खंडो, खनन, जंगलों, औद्योगिक पार्कों, जल संसाधनों आदि से सम्बंधित डेटा का उपयोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का उपयोग करने और महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने के लिए किया जा सकता है।
यूजर विभाग संचालन और परिसंपत्तियों को मैप पर इंगित कर सकते हैं और बेहतर योजना बना सकते हैं। एनसीओजी ने जियो-टैगिंग के लिए और सरकारी योजनाओं के तहत पूरे किए गए कार्यों के साक्ष्य तैयार के लिए मोबाइल एप्लिकेशन बनाये हैं ।

एनसीओजी की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

- 1:5000 बेसमैप
- ओपन सोर्स और इन-हाउस डेवलपमेंट- लागत की बचत होती है क्योंकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का कोई इस्तेमाल नहीं होता है
- प्रौद्योगिकियों का एकीकरण (वेब, मोबाइल, जीआईएस, जीपीएस, इमेज प्रोसेसिंग, गणितीय मॉडल आदि।)
- बहुउद्देश्यीय भू-डेटासेट के लिए संगतता
- डायनामिक क्वेरी: अनेक अनुकूलित रिपोर्ट और डैशबोर्ड उपलब्ध हैं
- प्रशिक्षण: दो तरफा क्षमता निर्माण
- प्रमाणीकरण: जीआईएस प्लेटफॉर्म पर डेटा का प्रतिनिधित्व यूजर/मालिक विभाग/एजेंसी द्वारा प्रमाणित किया जाता है

एनसीओजी प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से अर्जित लाभ:

1. **सुशासन:** खनन निगरानी प्रणाली और कोयला खनन निगरानी प्रणाली आदि ने स्वचालित रिमोट सेंसिंग डिटेक्शन के माध्यम से अवैध खनन को रोकने में मदद की है। जिला अधिकारियों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है और उनके द्वारा की गई कार्यवाही मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज की जाती है।

2. **निगरानी:** सीपीएसई सहित केंद्र सरकार के सभी भूमि खण्डों की मैपिंग और विशेष उद्देश्यों के लिए भूमि की पहचान को सक्षम करना। उदाहरण के लिए: सरकारी भूमि सूचना प्रणाली।
3. **विकासात्मक योजना**: औद्योगिक सूचना प्रणाली में 3,500 औद्योगिक पार्क, सम्पदा, क्लस्टर आदि की जानकारी होती है। रेल, सड़क, हवाई और बंदरगाह तक कच्चे माल की उपलब्धता के लिए कनेक्टिविटी और शहरी बुनियादी ढांचे आदि तक की जानकारी है।

4. **जीआईएस आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस):** कुल 500 + डीएसएस बनाए गए हैं और 26 केंद्र सरकार के मंत्रालयों, 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू किए गए हैं जिनमें 21 मोबाइल ऐप शामिल हैं। डीएसएस में बुनियादी ढांचे, कृषि, जनसांख्यिकीय विवरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, वन, उद्योग, बुनियादी ढांचे, जल संसाधन, जल आपूर्ति, बैंक और कौशल विकास आदि के लिए कई परतें शामिल हैं। देश की इस्तेमाल के लिए तैयार 3 डी प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल आपदा प्रबंधन सहित अलग-अलग उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है और बाढ़ अनुकारी प्रणाली विकसित करने के लिए जरूरी है।

3.5.4. रैपिड असेसमेंट सिस्टम (आरएएस)

राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग (एनईजीडी) ने भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा वितरित ई-सेवाओं (ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंटरों के माध्यम से) पर ऑनलाइन और तुरंत फीडबैक के लिए रैपिड असेसमेंट सिस्टम (आरएएस) विकसित किया है। आरएएस का खास उद्देश्य हर एक ई-शासन परियोजना के तहत फीडबैक के माध्यम से ई-सेवाओं की गुणवत्ता का लगातार आकलन करना और लक्षित लाभ पाने की प्रक्रियाओं को फिर से संगठित करना है। आरएएस इंटरफ़ेस नागरिकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली ई-सेवा का लाभ उठाने के तुरंत बाद सेवा की गुणवत्ता पर फीडबैक देने के लिए प्रेरित करता है। आरएएस की विश्लेषणात्मक खूबियां एकीकृत विभागों को प्रणाली में सुधार और सेवाओं के बेहतर वितरण में मदद करती हैं।

मुख्य विशेषताएं:
- विभागों की प्रक्रिया कार्य प्रगति के साथ एपीआई के माध्यम से ट्रिगर आधारित सेवा एकीकरण
- स्थानीयकरण समर्थन (नागरिक को उसकी स्थानीय भाषा में फीडबैक देने की अनुमति देता है)
- यूजर विभाग द्वारा आसानी से कॉन्फ़िगर करने योग्य (विभाग आसानी से प्रश्नों के तरीके, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या या उनकी जरूरतों के अनुसार प्रश्नों को कॉन्फ़िगर कर सकता है)
- एसएमएस या वेब ब्राउज़र या मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग) जैसे कई संचार चैनलों के माध्यम से फीडबैक
- प्रमुख बिंदुओं और डेटा विश्लेषण के लिए एक समर्पित विश्लेषणात्मक लेयर

आरएएस कैसे काम करता है:

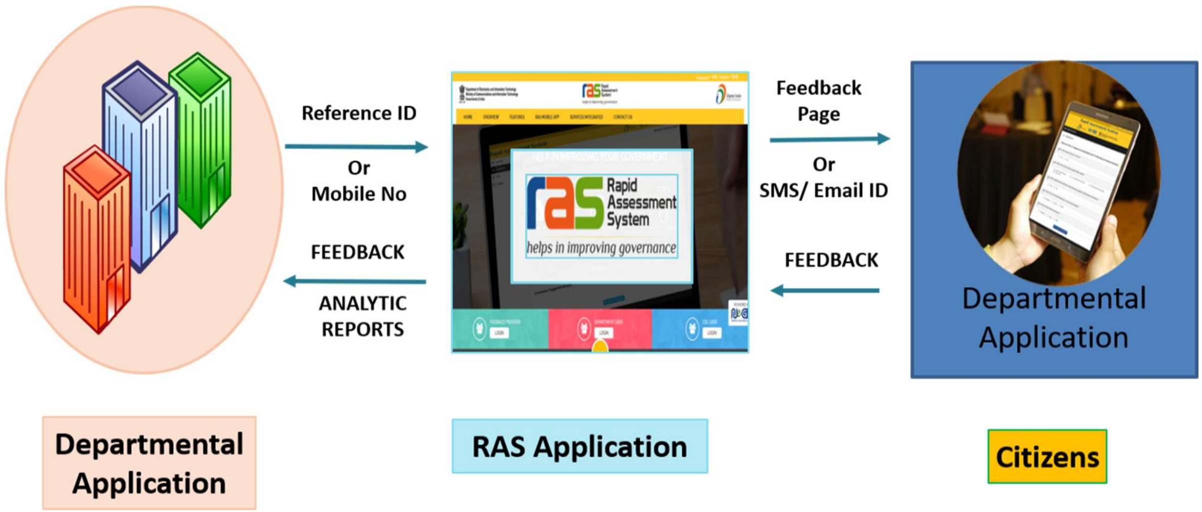

नागरिकों को लाभ:

- नागरिक को तुरंत ऑनलाइन फीडबैक देने और सेवा का लाभ उठाने के अपने अनुभव को साझा करने में सक्षम बनाता है
- ऑनलाइन फीडबैक के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक तंत्र देता है ।
- सरकारी विभागों को बेहतर और सेवाओं में सुधार करने में सक्षम बनाता है।

मंत्रालयों / विभागों को लाभ:

- ई-सेवाओं के वितरण के लिए सभी सरकारी मंत्रालयों/ विभागों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य फीडबैक प्रणाली।
- सेवा की गुणवत्ता (**क्यूओएस**) के निरंतर माप के लिए एक तंत्र।
- आपदाओं वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है और सेवा की गुणवत्ता में सुधार करता है।

वर्तमान स्थिति

वर्तमान में, आरएएस 360 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 28 विभागों और 9 केंद्रीय परियोजनाओं/एमएमपी, जैसे वाहन, सारथी, डिजिलॉकर, यूआईडीएआई, पीएमकेवीवाई और केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय आदि की 1,980 सेवाओं के साथ एकीकृत है, जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। इसका इस्तेमाल सीएससी या उमंग के माध्यम से प्राप्त सेवाओं के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए भी किया जा रहा है। विभिन्न सेवाओं की प्रतिक्रिया के लिए 11 करोड़ से अधिक अनुरोध किए गए हैं, अब तक नागरिकों से लगभग 24 लाख प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। इन फीडबैक को मुद्दों की पहचान करने और सुधार करने के लिए संबंधित विभागों के साथ साझा किया गया है।

3.5.5. ओपन फोर्ज:

दुनिया भर में एक सरकारी संगठन द्वारा अपनी तरह के पहले प्लेटफार्मों में से एक, ओपन फोर्ज एक राष्ट्रीय कोड भंडार देता है और सरकार, उद्योग, शिक्षा और ओपन सोर्स के प्रति उत्साही लोगों के बीच सहयोग की सुविधा देता है। इस अवधि के दौरान 625 परियोजनाएं पंजीकृत की गईं, जिसके परिणामस्वरूप 6,000 से अधिक यूजर के साथ कुल 1518 परियोजनाएं हो गईं। इस अवधि के दौरान पंजीकृत कुछ प्रमुख परियोजनाएं जीईएम, राज ई-वॉल्ट, उद्योग सूचना प्रणाली, आकांक्षी जिले, दिल्ली पुलिस वनटच ऐप, अमरनाथ न्यू ऐप के साथ-साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम और हिमाचल प्रदेश के राज्य

एप्लिकेशन थे। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कई प्रमुख परियोजनाएं अब अपने सॉफ्टवेयर विकास जीवनचक्र के लिए ओपन फोर्ज पर निर्भर हैं। इस दौरान कई सरकारी विभागों के बीच मंच के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 12 राज्य स्तरीय कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं।

3.6. एनईजीडी द्वारा नई पहल

3.6.1. इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (इंडिया)

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के सपने को साकार करने के लिए यानी i) हर एक नागरिक के लिए एक उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा, ii) मांग पर शासन और सेवाएं और, iii) नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, डेटा, एप्लिकेशन और प्रक्रियाओं के एक अंतर-पारिस्थितिकी तंत्र की जरूरत है जो सही यूजर को सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध करा सके।

ई-सरकार के लिए एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का उद्देश्य लेनदेन प्रणाली पारस्परिकता, नियामक ढांचे का एकीकृत दृष्टिकोण, आईटी परिदृश्य में जटिलता को कम करना, एंटरप्राइज सुरक्षा को बढ़ाना, दक्षता, लागत लाभ, साझाकरण और पुन: उपयोग करते समय सूचना आधारित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करने का समर्थन करना है। एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (ईए) का व्यापक रूप से विकसित देशों, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और न्यूजीलैंड आदि द्वारा इस्तेमाल किया जाता है।

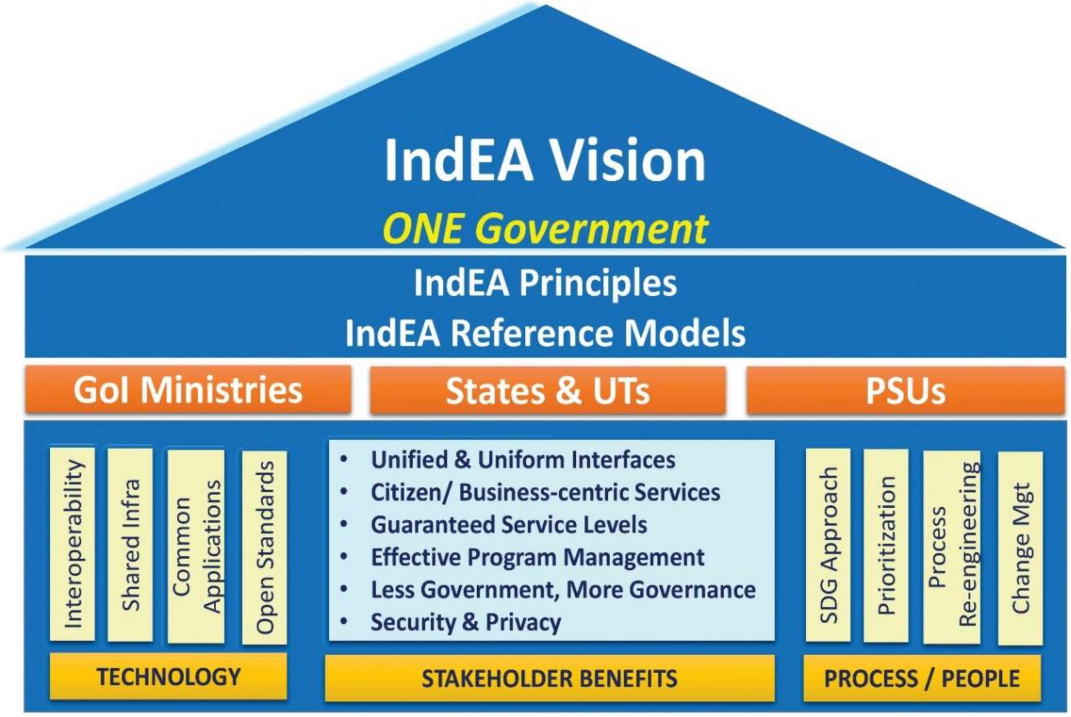

इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (आईएनईए) का सपना नागरिकों और व्यवसायों को एक सरकारी अनुभव देने के लिए आईसीटी बुनियादी ढांचे और एप्लिकेशन के इष्टतम इस्तेमाल के साथ सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास आर्किटेक्चरल शासन, और प्रक्रियाओं को स्थापित करना है। आईएनईए एक सामान्य ढांचा देता है, जिसमें आर्किटेक्चर संदर्भ मॉडल का एक सेट शामिल है, जिसका इस्तेमाल मंत्रालयों, राज्यों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि के लिए राष्ट्रीय ई-शासन विभाग (एनईजीडी) द्वारा उनके संघीय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर तैयार करने के लिए किया जाएगा। इस तरह, सरकारी सेवाओं को वेब, मोबाइल और सामान्य सेवा वितरण आउटलेट जैसे कई चैनलों के माध्यम से नकदरहित, कागज रहित, घर्षण रहित, सुरक्षित, सहमति-आधारित, व्यक्तिगत और सुलभ बनाने की परिकल्पना की गई है।

एनईजीडी, वर्तमान में, मेघालय राज्य सरकार, कृषि मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ ईए ब्लूप्रिंटिंग और पायलट कार्यान्वियन के लिए काम कर रहा है।

3.6.2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संबंधित तकनीकों का लाभ एक आम नागरिक तक पहुंचाने के लिए, 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)' पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की अवधारणा की गई है। एआई पर राष्ट्रीय कार्यक्रम ने 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है, जैसे स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, अच्छा शहर, परिवहन, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा, वित्त और भारतीय भाषाएं।

एआई पर कार्यक्रम को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) के साथ एक हब के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना के माध्यम से लागू करने की परिकल्पना की गई है। ये सीओई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधानों के विकास और तैनाती पर काम करने के लिए स्टार्ट-अप/उद्योग की सुविधा देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संबंधित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए सीओई/स्टार्ट-अप का इस्तेमाल करने के लिए अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों की भी परिकल्पना की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डेटा केंद्र डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के लिए भी प्रावधान करेगा, ताकि डेटा सुरक्षा से समझौता किए बिना एआई योग्य परियोजनाओं के विकास के लिए डेटा उपलब्ध कराया जा सके। एआई पर यह कार्यक्रम चार साल की समयावधि में 486 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट की जरूरत के साथ तैयार किया गया है।

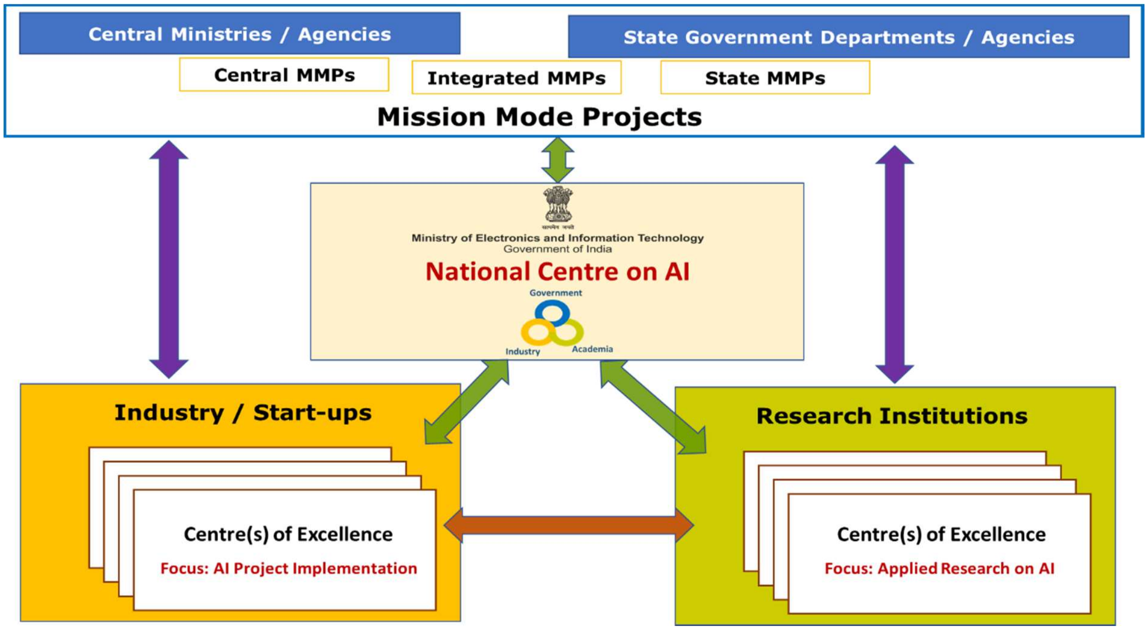

3.6.3. ओपन एपीआई प्लेटफॉर्म:

यह प्लेटफॉर्म विभिन्न सूचना प्रणालियों को जोड़ेगा जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल हो सकती हैं। यह डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कई सूचना प्रणालियों के साथ निर्बाध रूप से काम करने, बड़े डेटा सेट संचारित करने और विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसलिए, इसे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि नई ई-सेवाएं और नए प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आते हैं।
परिवर्तनकारी प्रभाव: तेजी से सत्यापन योग्य डेटा उपलब्धता निम्नलिखित क्षेत्रों में परिवर्तन लाकर सेवा उपलब्धता को अधिक कुशल बनाती है -

- सरकार: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्त, दूरसंचार आदि
- उद्योग: व्यापार करने में आसानी में वृद्धि
- नागरिक: जीवन चक्र डेटा जैसे जन्म, जाति, शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति, वित्त, मृत्यु

4. MyGov: सुशासन में नागरिकों की भागीदारी के लिए एक मंच

MyGov अपनी तरह की पहली सहभागितापूर्ण शासन पहल है जो नागरिक सहभागिता को सुगम बनाने के लिए एक अनुकरणीय मंच बन चुका है, जहां लोग मुख्य नीतिगत मुद्दों के प्रति अपने विचार, सुझाव, फ़ीडबैक दे सकते हैं और चर्चा, पोल, वार्तालापों के ज़रिए बड़े पैमाने पर शासन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। MyGov ने केंद्र और राज्य स्तर पर कई मंत्रालयों और सरकारी निकायों के साथ मिलकर काम किया है और लोगों को सरकारी नीति बनाने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए सशक्त बनाकर सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को प्रभावी ढंग से कम/समाप्त कर दिया है।

81.41 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के साथ MyGov ने नागरिकों की सहभागिता और राष्ट्रीय हित के शासकीय मामलों पर उनके सुझाव / इनपुट के लिए 1,500 से अधिक गतिविधियों की मेजबानी की है। फेसबुक पर 3.75 लाख से ज्यादा फ़ॉलोअर्स, ट्विटर पर 15.60 लाख फ़ॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 1.82 लाख फ़ॉलोअर्स और यूट्यूब पर 70,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ MyGov की सोशल मीडिया पर प्रभावशाली उपस्थिति है। MyGov ने इस वित्तीय वर्ष कुछ प्रमुख गतिविधियों की मेजबानी की है, जैसे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा रेडियो पर 'मन की बात' संबोधन, एआईएम (**अटल इनोवेशन मिशन**) पर विशेषज्ञों की समूह चर्चा, Self4Society (मैं नहीं हम self4society.mygov.in), इनोवेट इंडिया (innovate.mygov.in), 3 लाख से अधिक स्वच्छ भारत इंटर्न (sbsi.mygov.in) की भागीदारी के साथ स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप, स्वच्छता ही सेवा (swachhbharat.mygov.in), नीति आयोग के तहत सेतु (स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग), केंद्रीय और रेल बजट के लिए विचार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, नई शिक्षा नीति, इंटरनेट थिंग्स ऑफ़ इंडिया पर नीति, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर गांधी प्रश्नोत्तरी, FridaysAtMyGov, पर्यटन पर्व, 2018 और 2019 पद्म पुरुस्कार, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2018, सरकार के 4 साल पूरे होने पर वेबसाइट (48months.mygov.in/), परफॉरमेंस डैशबोर्ड और एलिजिबिलिटी चेक इंजन (transformingindia.mygov,in), अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए MyGov राज्य आधारिट वेबसाइटें और सरकार की ऐसी कई उल्लेखनीय पहल आदि।

पर्यटन पर्व

Self4Society एक अनूठा स्वयंसेवी मंच और मोबाइल ऐप है, जिसे 24 अक्टूबर 2018 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया। इसमें आईटी विशेषज्ञ, कॉर्पोरेट्स और सामान्य स्वयंसेवक "मैं नहीं हम" विषय के तहत विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर स्वयंसेवा कार्यों में भाग ले सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं। वर्तमान में, इसमें 179 नामांकित संगठन हैं जिन्होंने 4907 इनिशिएटिव्स लिए हैं, और जिसमें 72000 से अधिक स्वयंसेवकों ने स्वैच्छिक रूप से 1.56 लाख से अधिक घंटों का योगदान दिया है।

5. धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण:

कंपनी ने कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत कोई निवेश नहीं किया है।

6. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण (धारा 188):

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 134 (3) (एच) के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की जानकारी: **शून्य**

7. कर्मचारियों का विवरण

वर्ष के दौरान रु.8,50,000/ - प्रति माह या अधिक या रु.1,02,00,000 प्रति वर्ष या अधिक पाने वाले कर्मचारियों का विवरण जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के तहत कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1) के साथ पठित, के तहत निर्धारित है: **शून्य**

8. वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष

जैसा कि कंपनी अधिनियम की धारा 92(3) के तहत दिया गया है, वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष अनुबंध I में निर्धारित फॉर्म एमजीटी -9 में दिया गया है जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

9. निदेशक मंडल

पिछली वार्षिक आम बैठक के बाद से, निम्नलिखित निदेशक डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के बोर्ड में निदेशक नहीं रहे:

- श्री किरण कार्णिक, पूर्व अध्यक्ष, नैसकॉम, 30.01.2019 से प्रभावी
- डॉ. सौरभ श्रीवास्तव, संस्थापक, इंडियन एंजेल नेटवर्क, 03.02.2019 से प्रभावी
- श्री अरविंद गुप्ता, सीईओ, कार्यकारी अधिकारी, MyGov, 30.06.2019 से प्रभावी
- श्री एम. एस. राव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, 22.10.2019 से प्रभावी

कंपनी उपरोक्त निदेशकों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान किए गए बहुमूल्य योगदान के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं।

निम्नलिखित निदेशकों को डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के बोर्ड में शामिल/नियुक्त किया जा रहा है:

- श्री संजय धोत्रे (पदेन), माननीय राज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, 14.06.2019 से प्रभावी
- श्री अभिषेक सिंह आईएएस, सीईओ, MyGov, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, 04.12.2019 से प्रभावी
- सुश्री ज्योति अरोड़ा, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 26.12.2019 से प्रभावी
- श्री गोपालकृष्णन एस. आईएएस, अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय; और एमडी और सीईओ, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, 04.12.2019 से प्रभावी

10. संगठित सामाजिक जिम्मेदारी

कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और संबंधित नियमों में परिभाषित "संगठित सामाजिक जिम्मेदारी" के दायरे से बाहर है। फिर भी, कंपनी इसके व्यवसाय, कर्मचारियों और समाज के प्रति जिम्मेदारी स्वीकार करती है और सामाजिक जिम्मेदारी की एक मजबूत भावना रखती है।

11. निदेशकों की जिम्मेदारी का ब्यौरा

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार]

कंपनी का निदेशक मंडल, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और सामर्थ्य के अनुसार, पुष्टि करता है कि:

i) वार्षिक खातों को तैयार करते वक़्त मान्य और लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;
ii) चुनी गई लेखांकन नीतियों को समान रूप से लागू किया गया और निदेशकों ने निर्णय और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2019 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और 31 मार्च, 2019 वर्षांत के लिए कंपनी की आय और व्यय के विवरण का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;
iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की गई है;
iv) वित्तीय विवरण गोइंग कंसर्न बेसिस पर तैयार किए गए हैं; और
v) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालित की गई हैं।

12. सहायता अनुदान

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग द्वारा 124.20 करोड़ रुपये, MyGov द्वारा रु. 58.51 करोड़, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (टीडीडीडी) द्वारा रु. 6.93 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना द्वारा रु. 81.08 करोड़ और आईटी रिसर्च अकादमी द्वारा प्राप्त रु. 6.00 करोड़ सहित कुल रु. 276.72 करोड़ प्राप्त किए गए हैं।

13. पब्लिक डिपॉजिट्स

कंपनी ने "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के तहत" किसी भी प्रकार के डिपॉजिट्स को न तो आमंत्रित किया है और न ही स्वीकार किया है।

14. सहायक/संयुक्त/ सहयोगी कंपनियों का विवरण :

कोई सहायक, संयुक्त या सहयोगी कंपनियां नहीं हैं।

15. व्यवसाय के प्रकार में परिवर्तन

कंपनी की गतिविधियों के प्रकार के संबंध में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हैं।

कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाणपत्र (नाम बदलने के लिए) के अनुसार कंपनी का नाम 8 सितंबर 2017 को "मीडिया लैब एशिया" से बदलकर "डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन" कर दिया गया है। इस बदलाव को दर्ज करने के लिए ज्ञापन और अंतर्नियम में संशोधन किया गया है। कंपनी का उद्देश्य सबसे उन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) के लाभों को आम आदमी तक पहुंचाना है। इसके अलावा, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को शामिल करने के लिए उद्देश्यों में संशोधन किया गया, जो कि ई-स्वास्थ्य / टेलीमेडिसिन, ई-कृषि, ई-भुगतान आदि के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आगे बढ़ती कैशलेस अर्थव्यवस्था के सुरक्षा संबंधी मामलों को बढ़ावा देता है और इसे व्यापक रूप से अपनाये जाने हेतु सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करता है। यह डिजिटल पहल के माध्यम से नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए इनोवेशन मॉडल्स के विकास को बढ़ावा देता है, और सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफ़ॉर्मस के ज़रिए शासन और सरकार में नागरिकों की सहभागिता और जुड़ाव को भी बढ़ावा देता है।

16. वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

वित्तीय वर्षांत और रिपोर्ट की उस तारीख (जिससे बैलेंस शीट संबंधित है) के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

17. निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र का विवरण:

सतर्कता तंत्र **लागू नहीं** हो सकता, क्योंकि कंपनी "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9)" के दायरे में नहीं है।

18. आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स:

कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स हैं, जो इसके संचालन के आकार, पैमाने और जटिलता के अनुरूप हैं। वर्ष के दौरान, इस तरह के कंट्रोल्स का परीक्षण किया गया और डिजाइन या संचालन में (सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकन की सीमा को छोड़कर और सम्बंधित पैराग्राफ में बोर्ड द्वारा अलग से समझायी गयी) कोई मटेरियल वीकनेस नहीं पायी गयी। हालांकि, समीक्षाधीन वर्ष के लिए खातों के संबंध में कोई वित्तीय अनियमितता या धोखाधड़ी नहीं है।

19. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय का विवरण

19.1. ऊर्जा का संरक्षण

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ऊर्जा से सम्बंधित इकाई नहीं है। हालांकि, इसने सभी स्तरों पर ऊर्जा के संरक्षण के लिए सभी उपाय किए हैं।

19.2. प्रौद्योगिकी

कंपनी प्रमुख कार्य क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों के कार्यान्वयन के प्रति सचेत है और इसने अपने संचालन को आगे बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया है।

20. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

विवरण	**रुपये**
विदेशी मुद्रा आय	शून्य
विदेशी मुद्रा व्यय	74,45,356

21. जोखिम और आंतरिक समौचित्य

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इसकी गतिविधियों, संचालन के आकार, और जटिलता के अनुरूप है। इनका नियमित परीक्षण किया जाता है। लेखा समिति को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों और अनुवर्ती कार्यवाहियों की सूचना दी जाती है। लेखा समिति कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा करती है और लेखापरीक्षा सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है, जो कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रणालियों को मजबूत करने से संबंधित हैं।

22. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत मामले

कंपनी साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल प्रदान करने में विश्वास करती है। कंपनी हमेशा एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करती है जो यौन उत्पीड़न, भेदभाव और उत्पीड़न से मुक्त हो।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने यौन उत्पीड़न समिति ("पीएससी") का गठन किया है। वर्षांत 31 मार्च, 2019 के दौरान, समिति को यौन उत्पीड़न से संबंधित [शून्य] शिकायतें मिलीं।

23. लेखा परीक्षक

एनईजीडी और MyGov (डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन) के विभागीय खातों का ऑडिट करने के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय ने पत्र सं./सीए.वी / कॉय / केंद्र सरकार, मीडिया (2)/607 दिनांक 08 अगस्त, 2019 के माध्यम से मेसर्स यार्डी प्रभु एंड एसोसिएट एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, 2, समाधान, पहली मंजिल, अगरकर चौक, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई-400069 को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में और मेसर्स विनय जैन एंड एसोसिएट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, 18/12, डब्ल्यूईए, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली -110005 को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

24. वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियाँ

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक (मेसर्स यार्डी प्रभु एंड एसोसिएट एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट) ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के खातों पर अपनी क्वालिफाइड रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन द्वारा टिप्पणियाँ / उत्तर
	क्वालिफाइड ओपिनियन के लिए आधार	
	i. *जैसा कि नोट संख्या 29 में बताया गया है, कंपनी के MyGov विभाग ने 01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि में NICSI के एसएमएस गेटवे और आउटबाउंड डायलिंग (OBD) सेवाओं संबंधित खर्चों का विवरण नहीं दिया है। विभाग द्वारा राशि का निर्धारण नहीं किया गया है। यदि खातों में यह प्रावधान किया गया होता, तो 'विज्ञापन और सम्मेलन' (नोट संख्या 19) शीर्षक के तहत व्यय की राशि उतनी ही राशि से बढ़ गयी होती और अन्य मौजूदा देनदारियों की राशि (खर्चों के लिए) (नोट नंबर 6) उतनी ही राशि से बढ़ गयी होती। यदि यह एडजस्टमेंट किया जाता है तो सहायता अनुदान आय (नोट संख्या 15) में वृद्धि होगी और अन्य वर्तमान देनदारियों (नोट संख्या 6) के तहत सहायता अनुदान में भी उतनी ही राशि की कमी आएगी। परिणामी एडजस्टमेंट की सीमा, जो NICSI के ऊपर उल्लिखित व्यय इन्वॉइसेस के रिसीप्ट में उत्पन्न होगी, वर्तमान में पता लगाने योग्य/ सुनिश्चित नहीं है।*	वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के लिए NICSI पंजीकृत विक्रेता से SMS गेटवे और आउट बाउंड डायलिंग (OBD) सेवाएं प्राप्त हुई हैं। धन की कमी के कारण, MyGov डिवीजन ने अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के लिए NICSI को कार्य आदेश जारी नहीं किया है और खर्चों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। इसे वित्तीय विवरणों के खातों से सम्बंधित नोट्स में दर्ज किया गया है।
	ii. *जैसा कि नोट संख्या 30 में बताया गया है*, MyGovDivision *द्वारा विक्रेता को बकाया के भुगतान में देरी के लिए ब्याज राशि के गैर-प्रावधान का भुगतान करना पड़ सकता है। देय राशि, यदि कोई हो, निर्धारित नहीं की गई है। परिणामी एडजस्टमेंट की सीमा, यदि कोई हो, जो उपरोक्त उल्लिखित खर्चों के निर्धारण पर उत्पन्न होगी, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं है।*	अब तक विक्रेताओं को ब्याज के भुगतान का कोई मामला नहीं है और यह किसी भी अनुबंध का हिस्सा नहीं है।
	iii. *जैसा कि नोट संख्या 37 में बताया गया है, कंपनी के NeGD और MyGov प्रभागों को पार्टियों से बैलेंस की प्रत्यक्ष पुष्टि*	प्रभागों ने प्राप्य / देय राशि हेतु बैलेंस *की* पुष्टि करने के लिए कदम उठाए हैं

	प्राप्त नहीं हुई है और परिणामी राशि निर्धारित नहीं की जा सकती है। परिणामी अड़जस्टमेंट्स की सीमा, यदि कोई हो, जो खाते के विवरण/शेष राशि की पुष्टि की प्राप्ति पर दिखाई देगी, वर्तमान में पता लगाने योग्य/ सुनिश्चित नहीं है।	

वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स की अंतर्निहित सीमाओं के संबंध में वैधानिक लेखा परीक्षकों का अवलोकन और इस अवलोकन पर कंपनी की टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

अवलोकन संख्या.	लेखा परीक्षकों द्वारा अवलोकन	प्रबंधन द्वारा टिप्पणियां/उत्तर
	राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग (एनईजीडी) के मामले में, शाखा लेखा परीक्षक ने निम्नलिखित मटेरियल वीकनेस की सूचना दी है: 1. आउटसोर्स भर्ती और मानव संसाधन प्रबंधन सेवाओं के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट (NiSG) को दी गई धनराशि और विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अन्य राज्यों, संस्थानों और संगठनों को दी गई धनराशि को लेकर चार्टर्ड एकाउंटेंट या संस्थानों / विभागों के प्रमुख द्वारा विधिवत प्रमाणित यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स को नियमित और समय पर प्राप्त करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। 2. NISG द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन सेवाओं के लिए आउटसोर्स की गई संस्था की मानव संसाधन लेखापरीक्षा नहीं की गयी। 3. मूर्त और अमूर्त सम्पत्तियों की पहचान और पूंजीकरण (मूल्यह्रास की गणना के उद्देश्य से संपत्ति को उपयोग में लाने की तारीख सहित) के लिए कोई निश्चित नीति नहीं है।	एनईजीडी ने उपयोग प्रमाणपत्र, मानव संसाधन लेखा परीक्षा और परिसंपत्तियों की पहचान और पूंजीकरण के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। प्रभाग द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षक को भी नियुक्त किया गया है जिससे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की उम्मीद की जाती है।

	MyGov विभाग के मामले में, शाखा लेखा परीक्षक ने निम्नलिखित मटेरियल वीकनेस की सूचना दी है: 1. व्यय के प्रोविज़न्स को दर्ज/स्वीकृत नहीं किया गया है (पिछले इवेंट के परिणामस्वरूप सामने आये वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए संसाधन के संभावित आउटफ्लो की आवश्यकता के सन्दर्भ में), जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से खर्चों का गलत विवरण हो सकता है। 2. मूर्त और अमूर्त सम्पत्तियों की पहचान और पूंजीकरण (मूल्यह्रास की गणना के उद्देश्य से संपत्ति को उपयोग में लाने की तारीख सहित) के लिए कोई निश्चित नीति नहीं है। 3. कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक कंट्रोल और एक्रुअल बेसिस पर खर्चों की बुकिंग करने की आवश्यकता है।	MyGov ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें व्यय, परिसंपत्तियों की पहचान और पूंजीकरण, और एक्रुअल बेसिस पर लेखांकन के लिए पर्याप्त प्रावधान किये गए हैं।

25. अभिस्वीकृति

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकारों और संबंधित सरकारी विभागों, कार्यान्वयन एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों और बैंकों की ओर से कंपनी को प्राप्त मूल्यवान सहयोग के लिए निदेशक मंडल प्रशंसा करता है।

कंपनी के संचालन में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के योगदान के लिए निदेशक मंडल इन सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(अभिषेक सिंह)	**(अजय प्रकाश साहनी)**
प्रबंध निदेशक और सीईओ	निदेशक
[DIN: 02645352]	[DIN: 03359323]

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 28/10/2021

अनुलग्नक -1
फॉर्म नं. MGT-9
31 मार्च, 2019 वित्तीय वर्षांत के लिए वार्षिक रिटर्न (प्रतिफल) का सार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी
(प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण:

i	सीआईएन	:	U72900MH2001NPL133410
ii	पंजीकरण की तारीख	:	20 सितंबर, 2001
iii	कंपनी का नाम	:	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (पूर्व में मीडिया लैब एशिया)
iv	कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी	:	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत) के तहत निगमित। एक पब्लिक कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल/पूंजी नहीं है।
v	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	:	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन चौथी मंजिल, समृद्धि वेंचर पार्क, सेंट्रल एमआईडीसी रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400093 दूरभाष: (022) 28312931 / 28327505 फैक्स: (022) 8379158
vi	क्या सूचीबद्ध/लिस्टेड कंपनी है- हां / नहीं	:	नहीं
vii	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो	:	उपलब्ध/लागू नहीं

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल टर्नओवर में 10% या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं: -

क्रम संख्या.	**मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण**	**उत्पाद/सेवा का NIC कोड**	**कंपनी के कुल टर्नओवर का %**
1	**आम आदमी के लाभ के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, विकास और नियोजन।**	उपलब्ध/लागू नहीं	शून्य

III. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों के पर्टिक्युलर्स: शून्य

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (टोटल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप): कंपनी के पास इक्विटी शेयर पूंजी नहीं है। यह एक “गारंटी कंपनी” है।

i.	श्रेणी अनुसार शेयर धारिता	:	उपलब्ध/लागू नहीं
ii.	श्रेणी अनुसार शेयर धारिता	:	उपलब्ध/लागू नहीं
iii.	प्रमोटरों की शेयरधारिता में बदलाव	:	उपलब्ध/लागू नहीं
iv.	शीर्ष दस शेयरधारकों (जीडीआर और एडीआर के निदेशकों, प्रमोटरों और धारकों के अलावा) के शेयर होल्डिंग पैटर्न	:	उपलब्ध/लागू नहीं
v.	निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयर धारिता	:	उपलब्ध/लागू नहीं

V. कर्जदारी/ऋणग्रस्तता

बकाया/उपार्जित ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता (बगैर देय भुगतान के)

विवरण	डिपॉज़िट्स को छोड़कर सिक्योर्ड लोन्स	अनसिक्योर्ड लोन्स	डिपॉज़िट्स	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि ii) देय ब्याज, लेकिन भुगतान नहीं किया गया iii) अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में बदलाव				
• वृद्धि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
• कटौती	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल बदलाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि ii) देय ब्याज, लेकिन भुगतान नहीं किया गया iii) अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

A. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक: लागू नहीं
B. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक: लागू नहीं
C. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक: लागू नहीं

VI. जुर्माना / दंड / अपराधों की कंपाउंडिंग:

प्रकार	**कंपनी अधिनियम की धारा**	**संक्षिप्त विवरण**	**लगाए गए जुर्माना/दंड/ कंपाउंडिंग शुल्क का विवरण**	**प्राधिकरण [आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट]**	**की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)**
A. कंपनी					
जुर्माना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कंपाउंडिंग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
B. निदेशक					
जुर्माना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कंपाउंडिंग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
C. अन्य अधिकारी					

जुर्माना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कंपाउंडिंग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(अभिषेक सिंह)
प्रबंध निदेशक और सीईओ
[**डीआईएन** : 02645352]

(अजय प्रकाश साहनी)
निदेशक
[**डीआईएन** : 03359323]

दिनांक: 28/10/2021

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

<u>**स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट**</u>

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों की ऑडिट रिपोर्ट

क्वालिफाइड ओपिनियन

हमने **डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन**, ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2019 तक की बैलेंस शीट, आय और व्यय का विवरण, वर्षांत के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, और वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स शामिल हैं। इसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश भी शामिल है, जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त की गई मेसर्स मदन, डोगरा एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न (NeGD) और MyGov प्रभागों को लेकर उक्त वर्षांत के लिए ओपिनियन शामिल है।

हमारे ओपिनियन, प्राप्त जानकारी, और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण (हमारी रिपोर्ट के क्वालिफाइड ओपिनियन अनुभाग में वर्णित मामलों को छोड़कर) कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अनुरूप ज़रूरी जानकारी देते हैं, और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी के 31 मार्च, 2019 तक के मामलों की स्थिति, वर्षांत के लिए व्यय से अधिक आय, और उसके नकदी प्रवाह का विवरण का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण सामने रखते हैं।

क्वालिफाइड ओपिनियन का आधार

i. जैसा कि नोट संख्या 29 में बताया गया है, कंपनी के MyGov विभाग ने 01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि में NICSI के एसएमएस गेटवे और आउटबाउंड डायलिंग (OBD) सेवाओं संबंधित खर्चों का विवरण नहीं दिया है। विभाग द्वारा राशि का निर्धारण नहीं किया गया है। यदि खातों में यह प्रावधान किया गया होता, तो 'विज्ञापन और सम्मेलन' (नोट संख्या 19) शीर्षक के तहत व्यय की राशि उतनी ही राशि से बढ़ गयी होती और अन्य मौजूदा देनदारियों की राशि (खर्चों के लिए) (नोट नंबर 6) उतनी ही राशि से बढ़ गयी होती। यदि यह एडजस्टमेंट किया जाता है तो सहायता अनुदान आय (नोट संख्या 15) में वृद्धि होगी और अन्य वर्तमान देनदारियों (नोट संख्या 6) के तहत सहायता अनुदान में भी उतनी ही राशि की कमी आएगी। परिणामी एडजस्टमेंट की सीमा, जो NICSI के ऊपर उल्लिखित व्यय इन्वॉइसेस के रिसीप्ट में उत्पन्न होगी, वर्तमान में पता लगाने योग्य/ सुनिश्चित नहीं है।

ii. जैसा कि नोट संख्या 30 में बताया गया है, MyGovDivision द्वारा विक्रेता को बकाया के भुगतान में देरी के लिए ब्याज राशि के गैर-प्रावधान का भुगतान करना पड़ सकता है। देय राशि, यदि कोई हो, निर्धारित नहीं की गई है। परिणामी एडजस्टमेंट की सीमा, यदि कोई हो, जो उपरोक्त उल्लिखित खर्चों के निर्धारण पर उत्पन्न होगी, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं है।

iii. जैसा कि नोट संख्या 37 में बताया गया है, कंपनी के NeGD और MyGov प्रभागों को पार्टियों से बैलेंस की प्रत्यक्ष पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है और परिणामी राशि निर्धारित नहीं की जा सकती है। परिणामी अड़जस्टमेंट्स की सीमा, यदि कोई हो, जो खाते के विवरण/शेष राशि की पुष्टि की प्राप्ति पर दिखाई देगी, वर्तमान में पता लगाने योग्य/ सुनिश्चित नहीं है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग (एसए) मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों के ऑडिट में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों' अनुभाग में वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और नियमों के तहत भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक जरूरतों का पालन करने के साथ-साथ हमने आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे ओपिनियन को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण मामले

हम वित्तीय विवरणों के नोट्स में निम्नलिखित मामलों की ओर प्रकाश डालते हैं:

a) *जीसीसीएस 2017 के प्रायोजन के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त 4,46,30,000/- रुपये की राशि को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान के लिए हुए व्यय को एडजस्ट करने के बजाय वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान हुए खर्चों के साथ एडजस्ट गया, जिसके परिणामस्वरूप सहायता अनुदान खाते में सरप्लस/अधिशेष प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान, इस राशि को सहायता अनुदान खाते से "आकस्मिकता के लिए आरक्षित निधि" में अंतरित कर दिया गया है। (नोट 27 (बी) देखें)*

b) *हमने, 31 मार्च, 2019 वर्षांत के दौरान 38,43,38,876/ रुपये पूंजीगत व्यय और 29,82,134 / - रुपये अर्जित ब्याज सहित व्यय के लिए खातों के विवरणों को स्वीकार किया है और इन्हें अपना आधार माना है, जो 99 संस्थानों/विभागों से प्राप्त हुए हैं और जिन्हें अन्य चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा प्रमाणन के आधार पर कंपनी की लेखा पुस्तकों में शामिल किया गया है। (नोट 28 देखें)*

c) *हमने, 31 मार्च, 2019 वर्षांत के दौरान रु. 27,98,46,250 / पूंजीगत व्यय और और रु. 8,55,257 /अर्जित ब्याज सहित व्यय के लिए खातों के विवरण को स्वीकार किया है और इन्हें अपना आधार माना है, जो 48 संस्थानों/विभागों से प्राप्त हुए हैं और जिन्हें संबंधित संस्थानों/विभागों के प्रमुखों द्वारा प्रमाणन के आधार पर कंपनी की लेखा पुस्तकों में शामिल किया गया है। ये खाते संबंधित संस्थानों/विभागों के सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हैं। (नोट 28 देखें)*

d) *31 मार्च, 2019 तक संस्थानों/विभागों को दी गयी 47,60,37,564/- रुपये की कुल पेशगी में से, 45 संस्थानों/विभागों को दी गयी रु. 10,65,71,519/- (रु. 7,58,28,239 – NeGD, रु. 8,61,558 – TDDD, रु. 2,05,15,351 – ITRA और रु. 93,66,371 – पीएचडी स्कीम) की कुल पेशगी एक वर्ष से अधिक अवधि से बकाया है और 31 मार्च, 2019 वर्षांत के दौरान खातों और उपयोगिता प्रमाणपत्रों का कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ था। (नोट 28 देखें)*

   परिणामी अड्जस्टमेंट्स की सीमा, यदि कोई हो, ऊपर उल्लिखित संस्थानों/विभागों से खाता विवरण और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर दिखाई देगी, वर्तमान में पता लगाने योग्य/ सुनिश्चित नहीं है।

इन मामलों के संबंध में हमारे ओपिनियन में कोई बदलाव नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हों। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव करना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव करना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रभावी कार्य व वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति की प्रासंगिकता भी शामिल है, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हों और विवरणों की गलत बयानी से मुक्त हों, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

वित्तीय विवरण तैयार करने को लेकर, प्रबंधन कंपनी को जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक संस्था से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के आधार पर संस्था के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण की गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारा ओपिनियन शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा विवरण की गलत बयानी मौजूद होने पर उसका पता लगाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा हो।

एसए के अनुसार किए गए ऑडिट के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान हर सम्भावना पर नज़र बनाए रखते हैं। हम:

- वित्तीय विवरणों में सामग्री के गलत विवरणों के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, हम उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।
- हम परिस्थितियों अनुसार ऑडिट की प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझते हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों का संचालन प्रभावशाली है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- हम लेखांकन के चल रहे कार्यों के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की प्रगति करने वाले व्यापार के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, अपनी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी सुचारु के रूप में काम करना बंद कर सकती है।
- हम प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन करते है कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में मौजूद किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के प्रभारी लोगों को एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्र के संबंध में और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बार में, जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से विचार कर सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है।

अन्य मामले:

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन और MyGov डिवीजन के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2019 तक कुल रु. 112,51,78,719 [NeGD: रु. 79,11,50,832, MyGov: रु. 33,40,27,887] की संपत्ति और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय/व्यय का कुल योग रु. 154,94,27,183 [NeGD: रु. 101,85,69,384, MyGov: रु. 53,08,57,799] दर्शाती है। इन प्रभागों के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का ऑडिट शाखा के लेखा परीक्षकों यानी मेसर्स मदन डोगरा जैन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली, द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक यह इन प्रभागों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण का मामला है, हमारा ओपिनियन पूरी तरह से शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इन मामलों के संबंध में हमारे ओपिनियन में कोई बदलाव नहीं है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016, ("आदेश") द्वारा आवश्यक है, क्योंकि हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त आदेश कंपनी पर लागू नहीं होता है।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (a) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे ऑडिट के काम के लिए हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विचार के लिए आवश्यक थे;

   (b) हमारे ओपिनियन में कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को रखा है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चला है;

   (c) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के तहत ऑडिट की गई कंपनी के प्रभागों के खातों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित तरीके से संबोधित किया गया है।

   (d) बैलेंस शीट और आय और व्यय का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा संबोधित गए कैश फ्लो स्टेटमेंट, खाते के दस्तावेज़ों के साथ और उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के साथ मेल खाते हैं जो हमारे द्वारा देखी नहीं गयी;

   (e) हमारे ओपिनियन में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं;

   (f) 31 मार्च, 2019 को निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, अधिनियम की धारा 164(2) के तहत 31 मार्च, 2019 तक किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया जाता है।

   (g) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक ए" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(h) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे ओपिनियन में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी के विरूद्ध कोई मुकदमेबाजी लंबित नहीं है जिससे इसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था; ऐसे में किसी भी संभावित नुकसान पर टिप्पणी करने का सवाल ही नहीं उठता।

iii. ऐसे कोई खाते नहीं थे जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर निष्कर्ष अनुलग्नक-बी के रूप में संलग्न है।

यार्डी प्रभु एंड एसोसिएट्स एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म की पंजीकरण संख्या: 111727W/W100101

राहुल रिंगे
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 116172
UDIN: 21116172AAAAWY7279
स्थान: मुंबई
दिनांक: 28 अक्टूबर, 2021

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक ए

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स (नियमों) पर रिपोर्ट

हमने **मेसर्स डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन** ("कंपनी") की 31 मार्च 2019 तक की वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स का ऑडिट किया है (वर्षांत की उसी तारीख के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों को लेकर हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन अनुसार)।

आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, कंपनी द्वारा आंतरिक कंट्रोल्स के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंडों पर आंतरिक कंट्रोल्स के आधार पर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताया गया है। इन जिम्मेदारियों में अपने व्यवसाय का व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी करना शामिल है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर कंपनी के आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स पर राय व्यक्त करें। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर आईसीएआई द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग मानकों के अनुसार, और आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के तहत अपना ऑडिट किया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए यह आवश्यक है कि हम नैतिक कर्तव्यों का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स स्थापित और बनाए रखे गए थे और क्या इन कंट्रोल्स ने सभी मामलों में प्रभावी ढंग से काम किया।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स की समझ प्राप्त करना, मटेरियल वीकनेस के जोखिम का आकलन करना, और इस आकलन के आधार पर आंतरिक कंट्रोल्स के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के मटेरियल मिसस्टेटमेंट के जोखिमों का आकलन करना शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या फिर त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर कंपनी की आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स प्रणाली पर हमारे ऑडिट ओपिनियन के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर कंपनी के आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स में वे नीतियां और

प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण के साथ कंपनी की सम्पत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए रिकॉर्ड किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और खर्चे कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों की मंजूरी के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं, जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स की निहित सीमाओं की वज़ह से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण मौजूद हो सकते हैं और हो सकता है उनका पता नहीं लगाया जा सके, जिसमें मिलीभगत की संभावना या कंट्रोल्स के अनुचित मैनेजमेंट ओवरराइड शामिल हैं। इसके अलावा, भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि शर्तों/परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स अपर्याप्त/अप्रभावी हो सकते हैं या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं का अनुपालन यथानुसार न हो।

राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग (एनईजीडी) के मामले में, शाखा लेखा परीक्षक ने निम्नलिखित मटेरियल वीकनेस की सूचना दी है:

1. *आउटसोर्स भर्ती और मानव संसाधन प्रबंधन सेवाओं के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट (NiSG) को दी गई धनराशि और विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अन्य राज्यों, संस्थानों और संगठनों को दी गई धनराशि को लेकर चार्टर्ड एकाउंटेंट या संस्थानों / विभागों के प्रमुख द्वारा विधिवत प्रमाणित यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स को नियमित और समय पर प्राप्त करने की कोई प्रक्रिया नहीं है।*
2. *NISG द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन सेवाओं के लिए आउटसोर्स की गई संस्था की मानव संसाधन लेखापरीक्षा नहीं की गयी।*
3. *मूर्त और अमूर्त सम्पत्तियों की पहचान और पूंजीकरण (मूल्यह्रास की गणना के उद्देश्य से संपत्ति को उपयोग में लाने की तारीख सहित) के लिए कोई निश्चित नीति नहीं है।*

MyGov विभाग के मामले में, शाखा लेखा परीक्षक ने निम्नलिखित मटेरियल वीकनेस की सूचना दी है:

1. *व्यय के प्रोविज़न्स को दर्ज/स्वीकृत नहीं किया गया है (पिछले इवेंट के परिणामस्वरूप सामने आये वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए संसाधन के संभावित ऑउटफ्लो की आवश्यकता के सन्दर्भ में), जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से खर्चों का गलत विवरण हो सकता है।*
2. *मूर्त और अमूर्त सम्पत्तियों की पहचान और पूंजीकरण (मूल्यह्रास की गणना के उद्देश्य से संपत्ति को उपयोग में लाने की तारीख सहित) के लिए कोई निश्चित नीति नहीं है।*
3. *कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक कंट्रोल और एक्रुअल बेसिस पर खर्चों की बुकिंग करने की आवश्यकता है।*

'मटेरियल वीकनेस' वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स में एक तरह की कमी, या कमियों का एक संयोजन है, जिसमें इस बात की प्रबल संभावना होती है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों में किसी महत्वपूर्ण गलत विवरण को समय पर रोका या समय पर उसका पता नहीं चल पाएगा।

ओपिनियन

हमारे ओपिनियन के अनुसार (कंट्रोल्स क्राइटेरिया के उद्देश्यों की उपलब्धि को लेकर ऊपर वर्णित मटेरियल वीकनेस से उत्पन्न संभावित प्रभावों को छोड़कर), कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स को बनाए रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर इस तरह के आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स 31 मार्च, 2019 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कंपनी द्वारा

आंतरिक कंट्रोल्स के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक कंट्रोल्स के आधार पर स्थापित किए गए हैं, जैसा कि वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताया गया है।

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में लागू किए गए ऑडिट परीक्षणों के स्वरुप, समय और सीमा का निर्धारण करते वक़्त ऊपर बताई गई और रिपोर्ट की गई मटेरियल वीकनेस को ध्यान में रखा है, और यह मटेरियल वीकनेस कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे ओपिनियन को प्रभावित नहीं करती है।

यार्डी प्रभु एंड एसोसिएट्स एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म की पंजीकरण संख्या: 111727W/W100101

राहुल रिंगे
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 116172
UDIN: 21116172AAAAWY7279

स्थान: मुंबई
दिनांक: 28 अक्टूबर 2021

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "बी"

(हमारी उस दिनांक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 3 में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश:

क्र.सं.	दिशा-निर्देश	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए आईटी प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थ के साथ खातों की इंटीग्रिटी पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	हां, कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है और आईटी प्रणाली के बाहर कोई लेनदेन संसाधित नहीं किया जाता है।	लागू नहीं
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई रिस्ट्रक्चरिंग या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ब्याज आदि को माफ़ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय विवरण दिया जा सकता है।	लागू नहीं- हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार विभाग ने कोई ऋण नहीं लिया है।	लागू नहीं
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हां, उपलब्ध सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर हमारा ओपिनियन है कि विचलन का कोई मामला नहीं है।	लागू नहीं

यार्डी प्रभु एंड एसोसिएट्स एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म की पंजीकरण संख्या: 111727W/W100101

राहुल रिंगे
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 116172
UDIN: 21116172AAAAWY7279

स्थान: मुंबई
दिनांक: 28 अक्टूबर 2021

वित्तीय विवरण

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

CIN : U72900MH2001NPL133410

बैलेंस शीट (मार्च 31, 2019 को)

	विवरण	नोट नं.	मार्च 31, 2019 को राशि (रु.)	मार्च 31, 2018 को राशि (रु.)
I.	**संपत्ति और देनदारियां**			
1	अंशधारी निधि			
	(a) शेयर पूंजी		-	-
	(b) रिजर्व और अधिशेष	3	27,38,62,504	25,42,45,782
	(c)आकस्मिकताओं के लिए आरक्षित निधि	4	15,26,35,781	9,34,98,775
2	गैर वर्तमान देनदारियां			
	(a) दीर्घावधि प्रोविजन्स	5	1,47,91,482	1,11,54,683
3	वर्तमान देनदारियां			
	(a) अन्य वर्तमान देनदारियां	6	1,45,57,83,475	1,28,45,15,639
	(b) अल्पावधि प्रोविजन्स	7	14,22,824	26,56,940
	कुल		**1,89,84,96,066**	**1,64,60,71,819**
II.	परिसंपत्तियां			
1	गैर वर्तमान संपत्तियां			
	(a) अचल संपत्तियां	8		
	(i) मूर्त संपत्तियां		9,37,47,405	13,26,36,255
	(ii) अमूर्त संपत्तियां		18,01,15,099	12,16,09,527
	(iii) विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां		9,10,38,405	15,48,84,961
			36,49,00,909	40,91,30,743
	(b) गैर वर्तमान निवेश	9	2,400	2,400
	(c) दीर्घावधि ऋण और पेशगी	10	-	-
	(d) अन्य गैर वर्तमान संपत्तियां	11	70,40,171	1,06,31,665
2	वर्तमान संपत्तियां			
	(a) नकद और नकद समकक्ष	12	1,00,72,83,995	78,69,87,829
	(b) अल्पावधि ऋण और पेशगी	13	47,64,60,693	42,88,07,890
	(c) अन्य वर्तमान संपत्तियां	14	4,28,07,898	1,05,11,292
	कुल		**1,89,84,96,066**	**1,64,60,71,819**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षेप	2	-	-

उपरोक्त नोट्स बैलेंस शीट का एक अभिन्न अंग हैं और उन्हें इसके साथ ही पढ़ा जाना चाहिए।

एक ही तिथि से जुड़ी हमारी रिपोर्ट पर आधारित
यार्डी प्रभुएंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टड अकाउंटेंट
कंपनी पंजीकरण नं. : 111727W/W100101
UDIN : 21116172AAAAWY7279

सीए राहुल रिंगे
पार्टनर
सदस्यता नं. : 116172

बोर्ड की ओर से एवं बोर्ड के लिए

(अभिषेक सिंह)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
[DIN : 02645352]

(अजय प्रकाश साहनी)
निदेशक
[DIN : 03359323]

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : अक्टूबर 28, 2021

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

CIN : U72900MH2001NPL133410

31 मार्च, 2019 वर्षांत के लिए आय और व्यय का विवरण

	विवरण	नोट नं.	मार्च 31, 2019 को	मार्च 31, 2019 को
I.	सहायता अनुदान खाते से अंतरित (नोट 2(g) एवं 24 देखें)	15	2,33,74,82,766	2,17,85,16,476
II.	अन्य आय	16	36,85,776	3,48,655
III.	**कुल**		**2,34,11,68,542**	**2,17,88,65,131**
	व्यय			
	अनुसंधान एवं/या विकास व्यय (नोट 2(l) देखें)	17	1,41,24,72,834	1,43,73,77,952
	कर्मचारी लाभ व्यय	18	28,36,47,075	31,21,65,002
	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	19	64,50,48,633	42,93,22,177
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय			
	- अनुसंधान संपत्तियों पर		6,71,90,144	13,90,42,517
	- अन्य सम्पत्तियों पर		4,37,60,604	9,58,96,669
			11,09,50,748	23,49,39,186
	घटाव: अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से अंतरित (नोट 3 देखें)		11,09,50,748	23,49,39,186
IV.	**कुल**		**2,34,11,68,542**	**2,17,88,65,131**
V.	एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स से पहले 'व्यय से अधिक आय'(III-IV)		-	-
VI.	एक्सेप्शनलआइटम्स		-	-
VII.	एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स से पहले 'व्यय से अधिक आय' (V - VI)		-	-
VIII.	एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स		-	-
IX.	**टैक्स से पहले 'व्यय से अधिक आय'(VII- VIII)**		-	-
X.	टैक्स पर व्यय:		-	-
XI.	**वर्ष के लिए 'व्यय से अधिक आय' (IX-X)**		-	-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षेप	2	-	-

उपरोक्त नोट्स बैलेंस शीट का एक अभिन्न अंग हैं और उन्हें इसके साथ ही पढ़ा जाना चाहिए।

एक ही तिथि से जुड़ी हमारी रिपोर्ट पर आधारित
यार्डी प्रभुएंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टड अकाउंटेंट
कंपनी पंजीकरण नं. : 111727W/W100101
UDIN : 21116172AAAAWY7279

सीए राहुल रिंगे
पार्टनर
सदस्यता नं. : 116172

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : अक्टूबर 28, 2021

बोर्ड की ओर से एवं बोर्ड के लिए

(अभिषेक सिंह)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
[DIN : 02645352]

(अजय प्रकाश साहनी)
निदेशक
[DIN : 03359323]

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

CIN : U72900MH2001NPL133410

मार्च 31, 2019 वर्षांत के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

	विवरण	राशि (रु.)	राशि (रु.)
		2018-19	**2017-18**
A	**परिचालन गतिविधियों के लिए नकदी प्रवाह**		
	सहायता अनुदान खाते से आय एवं व्यय खाते में अंतरण	(2,33,74,82,766)	(2,17,85,16,476)
	'मूल्यह्रास के लिए रिज़र्व और अधिशेष' से अंतरण	(11,09,50,748)	(23,49,39,186)
	प्रोजेक्ट ओवरहेड्स से अंतरण	(1,06,533)	-
	आय एवं व्यय खाते में कुल अंतरण	**(2,44,85,40,047)**	**(2,41,34,55,662)**
	परिचालन गतिविधियों द्वारा प्राप्त नेट कैश को नेट इनकम (व्यय) के साथ मिलान के		
	मूल्यह्रास	11,09,50,748	23,49,39,186
	अडजस्टेड/डिस्कार्डेड/रिटन ऑफ अचल संपत्तियां	4,14,170	17,19,750
	संपत्ति खरीद के लिए रिजर्व से अंतरण	7,31,600	-
	भारत सरकार को वापस किया गया अनुदान	(17,36,74,601)	(7,03,33,796)
	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	2,76,72,03,927	1,97,70,00,877
	फ्लैक्सी जमाराशि पर ब्याज	7,20,71,940	4,39,99,512
	कार्यशील पूंजी में बदलाव से पहले परिचालन नकदी का इनफ्लो (आॅउटफ्लो)	**32,91,57,737**	**(22,61,30,133)**
	बदलाव:		
	संपत्ति में कमी/(वृद्धि)	**(7,63,57,915)**	**33,26,62,832**
	अन्य गैर वर्त्तमान सम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)	-	(2,39,896)
	अल्पावधि ऋणों और पेशगी में कमी/(वृद्धि)	(4,76,52,803)	32,70,23,948
	अन्य वर्तमान सम्पत्तियों में कमी /(वृद्धि)	(2,87,05,112)	58,78,780
	देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	**3,42,17,258**	**11,92,76,602**
	अन्य वर्त्तमान देनदारियों में कमी /(वृद्धि)	3,18,14,575	11,51,30,061
	दीर्घावधि प्रोविज़न्स में कमी /(वृद्धि)	36,36,799	18,10,095
	अल्पावधि प्रोविज़न्स में कमी /(वृद्धि)	(12,34,116)	23,36,446
	परिचालित गतिविधियों के लिए नेट कैश इनफ्लो (आॅउटफ्लो)	**28,70,17,080**	**22,58,09,301**
B	**निवेश गतिविधियों के लिए नकदी प्रवाह**		
	वर्क-इन-प्रोग्रेस सहित अचल संपत्तियों में वृद्धि	(6,67,20,914)	(34,66,09,575)
	अप्रचलित आइटम्स के निपटान पर लाभ	-	-
	निवेश गतिविधियों में उपयोगित नेट कैश	**(6,67,20,914)**	**(34,66,09,575)**
C	**वित्तीय गतिविधियों के लिए कैश फ्लो**		
	वित्तीय गतिविधियों में उपयोगित नेट कैश	**-**	**-**
	नकद और नकद समकक्षों में कुल वृद्धि/(कमी) (A + B + C)	**22,02,96,166**	**(12,08,00,274)**
	शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	78,69,87,829	90,77,88,103
	अंत में नकद और नकद समकक्ष	**1,00,72,83,995**	**78,69,87,829**

एक ही तिथि की हमारी रिपोर्ट पर आधारित।

बोर्ड की ओर से एवं बोर्ड के लिए

यार्डी प्रभु एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टड एकाउंटेंट्स
UDIN : 21116172AAAAWY7279

(अभिषेक सिंह)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
[DIN : 02645352]

सीए राहुल रिंगे
पार्टनर
सदस्यता नं. : 116172

(अजय प्रकाश साहनी)
निदेशक
[DIN : 03359323]

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : अक्टूबर 28, 2021

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
CIN: U72900MH2001NPL133410
31 मार्च, 2019 वर्षांत के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

1 पृष्ठभूमि :

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन [पूर्व में मीडिया लैब एशिया](बाद में 'कंपनी' के नाम से संदर्भित) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित 'नॉट-फॉर-प्रॉफिट' कंपनी है। कंपनी भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभा रही है और ई-स्वास्थ्य / टेलीमेडिसिन, ई-कृषि, ई-भुगतान आदि के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आगे बढ़ती कैशलेस अर्थव्यवस्था के सुरक्षा संबंधी मामलों को बढ़ावा देता है और इसे व्यापक रूप से अपनाये जाने हेतु सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करता है। यह डिजिटल पहल के माध्यम से नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए इनोवेशन मॉडल्स के विकास को बढ़ावा देता है, और सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफ़ॉर्मस के ज़रिए शासन और सरकार में नागरिकों की सहभागिता और जुड़ाव को भी बढ़ावा देता है। कंपनी का उद्देश्य सबसे उन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ आम आदमी तक पहुंचाना है।

कंपनी को 20 सितंबर 2001 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 [अब कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8] के तहत "गारंटी द्वारा लिमिटेड" कंपनी के रूप में और शेयर पूंजी न रखने वाली कंपनी के रूप में निगमित किया गया था।

कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाणपत्र (नाम बदलने के लिए) के अनुसार कंपनी का नाम 8 सितंबर 2017 को "मीडिया लैब एशिया" से बदलकर "डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन" कर दिया गया है।

डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन [पूर्व में मीडिया लैब एशिया] के वित्तीय विवरणों में (i) नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD), (ii) MyGov डिवीजन (iii) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट डिवीजन के खाते शामिल हैं, और (a) इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च एकेडमी (ITRA) और (b) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम के परियोजना खाते शामिल हैं।

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत **नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD)** एक स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग है। NeGD को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की डिजिटल इंडिया और ई-क्रांति पहल के विभिन्न कार्यक्रम प्रबंधन पहलुओं में सहायता करने के लिए बनाया गया है। इन कार्यक्रमों में रणनीतिक योजना और क्षमता निर्माण; मानकों, नीतियों और दिशानिर्देशों का विकास; जागरूकता और संचार; आकलन और मूल्यांकन; और भौतिक और डिजिटल/सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स की मदद से नागरिकों की सहभागिता शामिल हैं। NeGD, राष्ट्रीय डिजिटल लॉकर, राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान केंद्र और डिजिटल इंडिया के तहत चलने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। NeGD के पास पूर्ण वित्तीय और मानव संसाधन स्वायत्तता है। NeGD के खाते, वित्त और मानव संसाधन को प्रभाग द्वारा ही नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है, और प्रभाग का नेतृत्व NeGD के अध्यक्ष और सीईओ द्वारा किया जाता है।

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत **MyGov** एक स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग है। MyGov प्लेटफार्म अपनी तरह की एक अनोखी पहल है, जिसका उद्देश्य शासन में बड़े स्तर पर आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करना है। MyGov का आईडिया एक इंटरफ़ेस की मदद से ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करके सरकार को आम नागरिकों के करीब लाता है, ताकि भारत के सामाजिक और आर्थिक

बदलाव में योगदान देने के अंतिम लक्ष्य हेतु आम नागरिकों और विशेषज्ञों को शामिल करते हुए विचारों और दृष्टिकोण का स्वस्थ आदान-प्रदान किया जा सके। MyGov का उद्देश्य एक ऐसा इंटरनेट आधारित प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करना है जो सभी नागरिकों को नीति निर्माण और निष्पादन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने विचार रखने, प्रतिक्रिया देने और भागीदार बनने में सक्षम बना सके। MyGov के खाते, वित्त और मानव संसाधन को प्रभाग द्वारा ही नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है, और इस प्रभाग का नेतृत्व MyGov के सीईओ द्वारा किया जाता है।

टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट डिवीजन (टीडीडीडी) – डिजिटल इंडिया के अंतर्गत एक प्रभाग है। टीडीडीडी आजीविका संवर्द्धन, (कृषि, कारीगरों के लिए CAD उपकरण, छोटे और मध्यम आकार के उद्यम के लिए ERP आदि), स्वास्थ्य देखभाल, और दिव्यांगजन सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्रों में काम कर रहा है। मीडिया लैब एशिया दिव्यांगों, महिलाओं और बच्चों, और जनजातियों के लिए आईसीटी समाधानों के वितरण को मजबूत बना रहा है। इस प्रयास में यह सरकार (उपयोगकर्ता विभागों/मंत्रालयों), अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, शिक्षाविदों, उद्योग, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों / हितधारकों आदि के साथ काम कर रहा है। टीडीडीडी जनता के लिए उपयोगी 'लैब टू लैंड' (प्रयोगशाला से खेत तक) और 'अर्ली हार्वेस्ट' (तीव्र पैदावार) परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है। टीडीडीडी द्वारा आईटी अनुसंधान अकादमी कार्यक्रम और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (आईटीआरए) भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो भारत भर में आईटी और संबंधित संस्थानों में "सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स (आईसीटीई)" और इसके अनुप्रयोगों में अनुसंधान एवं विकास की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय संसाधन बनाने में मदद करने के लिए है। आईटीआरए का कार्यान्वयन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) और आईटी/आईटी इनेबल्ड सर्विसेज (आईटीईएस) क्षेत्रों में पीएचडी की संख्या बढ़ाने के लिए है। एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सचिवालय सहायता, प्रबंधकीय सहायता और संस्थागत ढ़ांचे के निर्माण संबंधी दिशा-निर्देश प्रदान करेगा।

2 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार:

वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के तहत और आम तौर पर भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांत ('जीएएपी') के तहत लेखांकन मानकों के अनुसार सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का पालन करते हुए तैयार किया गया है। खातों को एक्रुअल बेसिस पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन के तहत और गोइंग कंसर्न असम्प्शन के तहत तैयार किया गया है। लेखांकन नीतियों को (नए जारी किए गए लेखांकन मानकों की वजह से हुए बदलावों को छोड़कर या किसी मौजूदा लेखा मानक में संशोधन जिसके कारण अब तक उपयोग की जा रही लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता है) समान रूप से लागू किया गया है।

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
CIN: U72900MH2001NPL133410
31 मार्च, 2019 वर्षांत के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

आकलन/एस्टिमेट्स का उपयोग:

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को एस्टिमेट्स और असम्प्शंस की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि और रिपोर्ट अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम एस्टिमेट्स से भिन्न हो सकते हैं। एस्टिमेट्स से जुडी हुई परिस्थितियों में बदलाव होने पर प्रबंधन स्वतः जागरूक हो जाता है, और उसी अनुसार एस्टिमेट्स में उपयुक्त बदलाव किए जाते हैं। एस्टिमेट्स में बदलाव उन अवधियों के अनुसार वित्तीय विवरणों में दर्ज कर लिए जाते हैं, और अगर महत्वपूर्ण हैं, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकट किया जाता है।

नकद और नकद समकक्ष:

"नकद" में कैश ऑन हैंड और बैंकों के डिमांड डिपॉजिट शामिल हैं। नकद समकक्ष अल्पकालिक बैलेंस राशि (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ) और अत्यधिक लिक्विड निवेश हैं जो आसानी से नकदी की ज्ञात राशि में बदली जा सकती है और जो मूल्य में बदलाव के मामूली से जोखिम के अधीन हैं।

मूर्त और अमूर्त अचल संपत्तियां:

मूर्त संपत्तियां "हिस्टोरिकल कॉस्ट घटाव संचित मूल्यह्रास / परिशोधन और हानि," यदि कोई हो, के आधार पर हैं। कॉस्ट में बॉरोइंग कॉस्ट, इनवर्ड फ्राइट, शुल्क, कर और संपत्ति के अधिग्रहण और इंस्टालेशन से संबंधित आकस्मिक खर्च शामिल हैं, जो परिसंपत्तियों के इच्छित उपयोग के लिए उन्हें कार्यशील स्थिति में लाने के लिए किये गए हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य संगठनों/संस्थानों द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों को स्वतंत्र लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षित या संबंधित संगठनों के प्रमुखों द्वारा प्रमाणित रिपोर्टों के आधार पर पूंजीकृत किया गया है, जो कि आवधिक अंतराल पर संबंधित संस्थाओं से प्राप्त हुई हैं।

अमूर्त संपत्तियां इस तरह की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए प्रतिफल के आधार पर दर्ज की गयी हैं, और "कॉस्ट घटाव संचित परिशोधन और हानि" के आधार पर हैं।

मूल्यह्रास / परिशोधन:

लीज़होल्ड परिसर के अलावा मूर्त अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास रिटेन डाउन वैल्यू मेथड के आधार पर (संपत्ति के प्रभावी उपयोग की तारीख से संपत्ति के अनुमानित उपयोगी लाइफ तक) किया गया है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार अपनी अचल संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी लाइफ का आकलन किया है और अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी लाइफ को अपनाया है। व्यक्तिगत रूप से ₹ 5,000 या उससे कम लागत वाली संपत्तियों का अधिग्रहण वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया गया है। लीज़होल्ड परिसर को लीज़ की प्राथमिक अवधि के दौरान स्ट्रेट लाइन बेसिस पर परिशोधित किया गया है। प्राप्त किए गए केमिकल्स और कंपोनेंट्स का अधिग्रहण वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया गया है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से युक्त अमूर्त संपत्ति को पांच साल की अवधि के दौरान या अनुमानित उपयोगी लाइफ के दौरान (जो भी कम हो) स्ट्रेट लाइन बेसिस पर परिशोधित किया गया है।
सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्ति को पूंजीकृत किया गया है और एक समतुल्य राशि को अचल सम्पत्तियों के लिए रिज़र्व में अंतरित कर दिया गया है। तदनुसार, ऐसी अचल संपत्तियों के डिलीशन को अचल सम्पत्तियों के लिए रिज़र्व के साथ एडजस्ट किया गया है।

निवेश

दीर्घकालिक निवेश (गैर वर्तमान निवेशों में शामिल) को "कॉस्ट घटाव ह्रास के लिए प्रोविज़न" के आधार पर (अस्थायी के अलावा) ऐसे निवेशों के मूल्य में वहन किया गया है। वर्तमान निवेश को लोअर ऑफ़ कॉस्ट और फेयर वैल्यू के आधार पर वहन किया गया है, और परिणामी गिरावट, यदि कोई हो, को राजस्व के साथ एडजस्ट किया गया है। निवेश की लागत में अधिग्रहण शुल्क जैसे ब्रोकरेज, शुल्क और ड्यूटीज शामिल हैं।

सहायक अनुदान

वर्ष के दौरान किए गए व्यय के लिए उपयोग की गई सहायता अनुदान राशि को किए गए व्यय की सीमा तक आय और व्यय खाते में अंतरित कर दिया गया है। अचल संपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग की जाने वाली सहायता अनुदान राशि का हिस्सा अचल संपत्तियों के लिए रिज़र्व में स्थानांतरित कर दिया गया है। सहायता अनुदान से खरीदी गई अचल संपत्तियों पर वर्ष के दौरान लगाए गए मूल्यह्रास के समतुल्य राशि को अचल सम्पत्तियों के लिए रिज़र्व से आय और व्यय के विवरण में स्थानांतरित किया गया है और मूल्यह्रास शुल्क से घटा दिया गया है। अनुमोदित सहायता अनुदान के अप्रयुक्त हिस्से को एक देनदारी के रूप में दर्ज किया गया है।

कर्मचारी लाभ:

(i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

सेवाओं को प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से देय सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ देनदारियों को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस तरह के लाभों का अनुमान लगाया गया है और उस अवधि के लिए प्रदान किया गया है जिसमें कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान की गयी है।

(ii) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी एक परिभाषित अंशदान योजना के माध्यम से भविष्य निधि के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों कर्मचारी के मूल वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर मासिक अंशदान करते हैं। ये अंशदान सरकार द्वारा अनुमोदित भविष्य निधि में किए जाते हैं। सरकार द्वारा विनियमित यह भविष्य निधि योजना एक परिभाषित अंशदान योजना है। योजना के तहत भुगतान/देय अंशदान को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

(iii) परिभाषित लाभ योजना

ग्रेच्युटी (वित्त पोषित) प्रदान करने की लागत प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर किए गए एक्चुरियल वैल्यूएशन/ बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके निर्धारित की गयी है। कंपनी ने अपनी ग्रेच्युटी योजना को संचालित करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक समझौता किया है। प्रत्येक कर्मचारी के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि, ग्रेच्युटी अधिनियम में भुगतान के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन है।

(iv) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों जैसे कि अनुपस्थिति के लिए कंपनसेशन के दायित्व अवधि के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दर्ज किये गए हैं ।
संविदात्मक कर्मचारियों के संबंध में, अवकाश नकदीकरण (जिसमें लाभ भी शामिल है) संबंधित कर्मचारियों के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार (पूर्ण दायित्व के आधार पर और बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार कर्मचारियों की अप्रयुक्त संचित छुट्टी के आधार पर) प्रदान किये गए हैं ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट और अन्य संगठनों पर किए गए खर्च:

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट और अन्य संगठनों को पेशगियाँ या तो आय और व्यय के विवरण में खर्च की गयी हैं या खातों के विवरण के आधार पर अचल संपत्तियों के रूप में पूंजीकृत की गयी हैं, जो कि स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित की गयी हैं या संबंधित संगठनों के प्रमुखों द्वारा प्रमाणित की गयी हैं। इन्हें समय-समय पर संबंधित संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराया गया।

विदेशी मुद्रा लेनदेन:

विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेन-देन की तारीख पर मौजूद विनिमय दरों के आधार पर दर्ज किया गया है । वर्ष के दौरान सेटल किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उसी अवधि के आय और व्यय विवरण में आय या व्यय के रूप में दर्ज किया गया है।
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्षांत दरों में परिवतर्तित किया गया है और परिणामी विनिमय अंतरों को आय और व्यय के विवरण में स्थानांतरित किया गया है। गैर-मौद्रिक आइटम्स को (हिस्टोरिकल कॉस्ट पर विदेशी मुद्रा के रूप में) लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके दर्ज किया गया है।

लीज्ड सम्पत्तियां:

लीज पर ली गयी संपत्तियां जिनमें स्वामित्व के जोखिमों और रिवार्ड्स का एक प्रमुख हिस्से पर लेसर का दायित्व होता है, उन्हें ऑपरेटिंग लीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लीज पर ली गयी संपत्ति के किराये और अन्य सभी खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया गया है।

अनुसंधान और/या विकास खर्च:

अनुसंधान और/या विकास व्यय में कंपनी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट और अन्य संगठनों द्वारा अनुसंधान, विकास, परिनियोजन और कार्यान्वयन गतिविधियों के संचालन के लिए किए गए सभी खर्च शामिल हैं।

संपत्ति का नुकसान:

प्रबंधन प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर मूल्यांकन करता है कि क्या कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति पर नुकसान हो सकता है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद होता है, तो प्रबंधन परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है (अर्थात परिसंपत्ति के शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोगित से अधिक)। अगर परिसंपत्ति की ऐसी वसूली योग्य राशि या इसकी नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि (जिससे परिसंपत्ति संबंधित है) वहन राशि से कम है, तो वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दी जाती है। इस कमी को नुकासन के रूप में माना जाता है और आय और व्यय के विवरण में दर्ज किया जाता है । अगर बैलेंस शीट की तिथि पर कोई संकेत मिलता है कि पहले से निर्धारित नुकासन अब मौजूद नहीं है, तो वसूली योग्य राशि का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और ऐसी राशि को वसूली योग्य राशि के रूप में दिखाया जाता है जो अधिकतम मूल्यह्रास योग्य हिस्टोरिकल कॉस्ट के अधीन होती है। नुकसान का ऐसा रिवर्सल केवल उस स्थिति में किया जा सकता है, जिसमें, नुकसान की पहचान होने के बाद रिवर्सल का किसी इवेंट से वस्तुपरक संबंध स्थापित किया जा सके।

प्रोविज़न्स, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्तियां:

कंपनी किसी प्रोविज़न को तब मान्यता देती है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में दायित्व हो जिसके लिए दायित्व के निपटान हेतु संसाधनों के संभावित बहिर्वाह की आवश्यकता होती है और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जाता है। किसी आकस्मिक देयता के लिए प्रकटीकरण तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या कोई वर्तमान दायित्व होता है, पर जिसमें संसाधनों के बहिर्वाह की संभवतः आवश्यकता नहीं होती है या जहां कोई विश्वसनीय अनुमान संभव नहीं होता है। जहां कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसमें संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना नहीं है, तो कोई प्रोविज़न या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियां न तो दर्ज की जाती हैं और न ही प्रकट की जाती हैं। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर प्रोविज़न्स, आकस्मिक देनदारियों, और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा की जाती है।

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
CIN : U72900MH2001NPL133410

नोट 3 - रिज़र्व एवं अधिशेष
(नाट 2(g) एव 6 देखें)

विवरण	मार्च 31, 2019		मार्च 31, 2018	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अचल सम्पत्तियों के लिए रिज़र्व				
पिछले बैलेंस शीट के अनुसार	25,42,45,782		21,05,65,940	
जोड़:				
सहायता अनुदान खाते से अंतरितराशि से वर्ष के दौरान खरीदी गयी सम्पत्ति	12,98,35,870		28,01,56,295	
1917 आईटीम्स परियोजना के लिए खरीदी गई संपत्तियां (मेघालय उद्यमिता संस्थान)	7,31,600		-	
घटाव:				
वर्ष के लिए डिलिशंस की रिटन डाउन वैल्यू	-		15,37,267	
		38,48,13,252		48,91,84,968
आय और व्यय खाते में अंतरित: - सालाना मूल्यह्रास (नोट 8 देखें)		11,09,50,748		23,49,39,186
कुल		**27,38,62,504**		**25,42,45,782**

नोट 4 - आकस्मिकता के लिए रिज़र्व निधि
(नाट 27 देखें)

विवरण	मार्च 31, 2019		मार्च 31, 2018	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
आकस्मिकता के लिए रिज़र्व निधि		-		-
a) शुरूआती बैलेंस	9,34,98,775		7,54,78,008	
b) वर्ष के दौरान एडिशन्स				
i) वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	67,76,273		43,89,040	
ii)अन्य एडिशन्स				
- GCCS 2017 के प्रायोजन के लिए सहायताअनुदान से अंतरण	4,46,30,000		-	
- इंस्टीटूशनल ओवरहेड्स - इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के लिए विश्वेश्वरैया PhD योजना	16,97,000		23,11,000	
- ओवरहेड्स - प्रायोजितप्रोजेक्ट्स	7,75,467		4,48,000	
- आवरहड्स - ITRA परियोजना	52,58,266		1,08,72,727	
कुल (a+b)		15,26,35,781		9,34,98,775
घटाव:				
c) निधियों का उपयोग/व्यय				
i) राजस्व व्यय	-		-	
ii) पूंजीगत व्यय	-		-	
कुल (c)		-		-
वर्ष के अंत में बैलेंस(a+b-c)		15,26,35,781		9,34,98,775
कुल		**15,26,35,781**		**9,34,98,775**

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

CIN : U72900MH2001NPL133410

नोट 5 - दीर्घावधि प्रोविज़न्स

विवरण	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)	मार्च 31, 2018 राशि (रु.)
कर्मचारी लाभों के लिए प्रोविज़न्स		
छुट्टिओं का नकदीकरण (नोट 2(h) and 35 देखें)	1,47,91,482	1,11,54,683
कुल	**1,47,91,482**	**1,11,54,683**

नोट 6 - अन्य वर्तमान देनदारियां

विवरण	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)	मार्च 31, 2018 राशि (रु.)
(a) सहायता अनुदान खाता (नोट 2(g) देखें)		
पिछले बैलेंस शीट के अनुसार	43,36,81,191	95,79,88,386
जोड़:		
अचल संपत्तियों के डिलीशन पर रिजर्व से अंतरित	4,14,170	17,19,750
वर्ष में प्राप्त हुआ सहायता अनुदान (नोट 24 देखें)	2,76,72,03,927	1,97,70,00,877
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज(आयकर रिफंड पर रु.731931 के ब्याज सहित) (नोट 25 देखें)	6,52,95,667	3,96,10,472
घटाव:		
भारत सरकार को वापस की गई राशि (नोट 25 देखें)	17,36,74,601	7,03,33,796
अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित (नोट 3 देखें)	12,98,35,870	28,01,56,295
आकस्मिकताओं / प्रोजेक्ट ओवरहेड्स के लिए आरक्षित निधि में अंतरित - (नोट 27 देखें)	5,24,67,266	1,36,31,727
आय एवं व्यय खाते में अंतरित (नाट 15 देखें)	2,33,74,82,766	2,17,85,16,476
	57,31,34,452	43,36,81,191
(b) जमाराशि		
- बयाना/अग्रिम राशि		-
- सिक्योरिटी	1,43,70,594	1,63,80,594
(c) अन्य वर्तमान देनदारी (अचल सम्पत्तियों के लिए)	6,98,02,524	17,74,59,324
(d) अन्य वर्त्तमान देनदारी (व्यय के लिए)	78,82,96,037	62,61,67,039
(e) अन्य देनदारियां		
- सोर्स पर काटा गया टैक्स	64,71,263	80,78,809
- GST / प्रोफेशन टैक्स	29,898	10,546
- वेतन और अदायगी	28,91,917	21,42,933
- भविष्य निधि एवं अन्य कटौतियां	4,92,591	4,45,791
- पहले से प्राप्त हुई आय	-	50,000
- अन्य	2,94,199	2,00,99,412
कुल	**1,45,57,83,475**	**1,28,45,15,639**

नोट 7 - अल्पावधि प्रोविज़न्स

विवरण	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)	मार्च 31, 2018 राशि (रु.)
कार्मचारिक लाभ के लिए प्रोविज़न्स		
छुट्टिओं का नकदीकरण (नोट 2(h) एवं 35 देखें)	3,05,740	8,34,820
आनुतोषिक	11,17,084	18,22,120
कुल	**14,22,824**	**26,56,940**

नोट 8 - अचल सम्पत्तियां
(नोट 2(d), (e), (g) एवं 26 देखें)

राशि (रु.)

सम्पत्तियों का विवरण	ग्रॉस ब्लॉक -लागत पर				मूल्यह्रास				नेट ब्लॉक	
	अप्रैल 1, 2018 को	वार्षिक परिवर्धन	वार्षिक कटौतियां	मार्च 31, 2019 को	अप्रैल 1, 2018 को	वर्ष के लिए	वार्षिक कटौतियों पर	मार्च 31, 2019 को	मार्च 31, 2019 को	मार्च 31, 2019 को
(i) मूर्त सम्पत्तियां										
कंप्यूटर उपकरण	31,08,56,734	1,35,21,828	-	32,43,78,562	25,76,43,433	4,73,99,056	-	30,50,42,489	1,93,36,073	5,32,13,301
सर्वर और नेटवर्क्स	10,57,40,678	95,54,390	-	11,52,95,068	8,74,98,351	1,04,16,561	-	9,79,14,912	1,73,80,156	1,82,42,327
अनुसन्धान उपकरण	7,90,00,361	82,56,238	4,14,170	8,68,42,429	7,70,24,517	87,21,249	4,14,170	8,53,31,596	15,10,833	19,75,844
कार्यालय के लिए उपकरण	3,04,00,765	20,43,707	-	3,24,44,472	2,67,74,234	37,02,385	-	3,04,76,619	19,67,853	36,26,531
फर्नीचर एवं फिक्स्चर	2,74,06,175	9,04,469	-	2,83,10,644	2,42,91,019	16,63,055	-	2,59,54,074	23,56,570	31,15,156
लीज होल्ड परिसर@	5,59,46,000	-	-	5,59,46,000	42,03,007	5,88,905	-	47,91,912	5,11,54,088	5,17,42,993
वाहन	42,51,330	4,000	-	42,55,330	35,31,227	6,82,271	-	42,13,498	41,832	7,20,103
कुल	**61,36,02,043**	**3,42,84,632**	**4,14,170**	**64,74,72,505**	**48,09,65,788**	**7,31,73,482**	**4,14,170**	**55,37,25,100**	**9,37,47,405**	**13,26,36,255**
पिछले वर्ष	51,28,12,426	10,29,98,734	22,09,117	61,36,02,043	31,60,57,714	16,55,79,924	6,71,850	48,09,65,788	13,26,36,255	19,67,54,712
(ii) अमूर्त सम्पत्तियां										
सॉफ्टवेयर	21,57,43,265	7,13,82,838	-	28,71,26,103	9,41,33,738	3,77,77,266	-	13,19,11,004	15,52,15,099	12,16,09,527
कॉपीराइट्स, पेटेंट्स और अन्य बौद्धिक सम्पदा अधिकार, सर्विस एवं संचालन अधिकार	-	2,49,00,000	-	2,49,00,000	-	-	-	-	2,49,00,000	-
कुल	**21,57,43,265**	**9,62,82,838**	**-**	**31,20,26,103**	**9,41,33,738**	**3,77,77,266**	**-**	**13,19,11,004**	**18,01,15,099**	**12,16,09,527**
पिछले वर्ष	3,85,85,704	17,71,57,561	-	21,57,43,265	2,47,74,476	6,93,59,262	-	9,41,33,738	12,16,09,527	1,38,11,228
GRAND TOTAL	**82,93,45,308**	**13,05,67,470**	**4,14,170**	**95,94,98,608**	**57,50,99,526**	**11,09,50,748**	**4,14,170**	**68,56,36,104**	**27,38,62,504**	**25,42,45,782**
पिछले वर्ष	55,13,98,130	28,01,56,295	22,09,117	82,93,45,308	34,08,32,190	23,49,39,186	6,71,850	57,50,99,526	25,42,45,782	21,05,65,940
(iii) विकासाधीन अमूर्त सम्पत्तियां									**9,10,38,405**	**15,48,84,961**
									36,49,00,909	**40,91,30,743**

1) लीजहोल्डपरिसर@ को 10.02.2011 से 95 सालोंकेलिएपरिशोधितकियागयाहै ।
2) पिछले आंकड़ों को मौजूदा वर्ष के वर्गीकरण/ प्रकटीकरण के अनुरूप करने के लिए पुनः वर्गित / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

नोट 9 - गैर वर्तमान निवेश

विवरण	नॉमिनल वैल्यू रु.	शेयरों की संख्या	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)	मार्च 31, 2018 राशि (रु.)
व्यापार निवेश (एट कॉस्ट) (नोट 33 देखें) एग्रोकॉम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. केशेयरों में निवेश	1	2,400	2,400	2,400
कुल			**2,400**	**2,400**
नोट : a) निवेश की कुल वैल्यू अनकोटेड - लागत पर			2,400	2,400
b) निवेश की वैल्यू में कोई घटाव नहीं है			-	-

नोट 10 - दीर्घावधि ऋण और पेशगी

विवरण	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)	मार्च 31, 2018 राशि (रु.)
अनसेक्यूर्ड मानी गयी वस्तुएं 1) पूंजीगत पेशगी / कैपिटल एडवांस	-	-
कुल	**-**	**-**

नोट 11 - अन्य गैर वर्तमान सम्पत्तियां

विवरण	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)	मार्च 31, 2018 राशि (रु.)
सिक्योरिटी डिपॉजिट	70,40,171	1,06,31,665
कुल	**70,40,171**	**1,06,31,665**

नोट 12 - नकद एवं नकद समकक्ष

विवरण	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)	मार्च 31, 2018 राशि (रु.)
नकद एवं नकद समकक्ष (नोट 2(c) देखें)		
हस्तगत रोकड़/कैश इन हैंड	1,11,131	1,63,239
बैंकों में बैलेंस - बचत और चालू खाता	5,53,77,743	(83,43,039)
बैंकों में बैलेंस - फ्लेक्सी मैच्युरिटी डिपॉज़िट्स	95,17,95,121	79,51,67,629
कुल	**1,00,72,83,995**	**78,69,87,829**

नोट 13 - अल्पावधि ऋण एवं पेशगी

विवरण	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)	मार्च 31, 2018 राशि (रु.)
<u>नकद या अन्य रूप में पुनर्प्राप्त योग्य पेशगी</u>		
अनसेक्यूर्ड मानी गयी वस्तुएं		
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्मार्ट गवर्नमेंट, और अन्य संस्थाएं (नोट 2(i) देखें)	47,60,37,564	42,87,25,534
(A)	47,60,37,564	42,87,25,534
अन्य ऋण एवं पेशगी		
कर्मचारिओं को पेशगी	4,23,129	82,356
(B)	4,23,129	82,356
कुल (A + B)	**47,64,60,693**	**42,88,07,890**

नोट 14 - अन्य वर्तमान सम्पत्तियां

विवरण	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)	मार्च 31, 2018 राशि (रु.)
एडवांस आयकर (tds)	74,67,311	50,87,659
प्रीपेड खर्च	29,74,628	24,10,598
बैंक फिक्स्ड डिपॉज़िट्स पर अर्जित ब्याज	2,30,05,034	29,71,368
संस्थांनों से प्राप्य राशि	93,60,925	41,667
कुल	**4,28,07,898**	**1,05,11,292**

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

CIN : U72900MH2001NPL133410

नोट 15 - सहायता अनुदान

विवरण	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)	मार्च 31, 2018 राशि (रु.)
सहायता अनुदान खाते से अंतरित (नोट 2(g), 6 एवं 24 देखें)	2,33,74,82,766	2,17,85,16,476
कुल	**2,33,74,82,766**	**2,17,85,16,476**

नोट 16 - अन्य आय

विवरण	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)	मार्च 31, 2018 राशि (रु.)
(a) ब्याज के रूप में आय		
- सिक्योरिटी डिपॉज़िट्स पर	24,613	22,320
(b) रिटन बैक सनड्राई क्रेडिट बैलेंस (कुल)	-	-
(c) अन्य आय	36,61,163	3,26,335
कुल	**36,85,776**	**3,48,655**

नोट 17 - अनुसन्धान और/एवं विकास व्यय

विवरण	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)	मार्च 31, 2018 राशि (रु.)
व्यय - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्मार्ट गवर्नमेंट और अन्य संस्थाएं (नोट 2(i) देखें)	65,33,22,235	35,42,35,053
वेतन, अलाउंस और अन्य लाभ	59,79,62,202	52,12,58,625
भविष्य निधि एवं अन्य फंडों के लिए अंशदान	55,01,136	1,00,66,244
यात्रा और परिवहन	64,42,189	48,01,617
अनुसन्धान कार्यशालाएं और सम्मलेन	11,18,05,625	51,05,39,454
व्यावसायिक शुल्क	37,25,933	38,21,166
संचार	26,84,505	27,00,878
किराया	2,27,55,990	2,13,85,316
मेंटेनन्स	82,64,130	84,05,527
ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन	8,889	1,64,072
कुल	**1,41,24,72,834**	**1,43,73,77,952**

नोट 18 - कर्मचारी लाभ खर्च

विवरण	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)	मार्च 31, 2018 राशि (रु.)
वेतन , अलाउंस और अन्य लाभ	28,00,24,774	30,72,13,150
भविष्य निधि एवं अन्य फंडों के लिए अंशदान	22,61,603	36,59,385
स्टाफ वेलफेयर	13,60,698	12,92,467
कुल	**28,36,47,075**	**31,21,65,002**

नोट 19 - प्रशासनिक और अन्य व्यय

विवरण	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)	मार्च 31, 2018 राशि (रु.)
बिजली	17,69,552	17,44,539
दरें और टैक्स	2,91,375	2,27,540
मरम्मत और रखरखाव		
- बिल्डिंग		
- अन्य	1,22,37,142	84,48,669
बीमा	1,04,865	1,41,192
कार्यालय व्यय	1,40,55,426	4,41,43,990
यात्रा और परिवहन	2,10,66,346	2,08,90,775
क़ानूनी और औपचारिक शुल्क	11,34,65,728	11,25,18,913
लेखापरीक्षक भुगतान *	6,05,978	5,75,250
विज्ञापन और सम्मलेन (एसएमएस गेटवे की सेवाओं के लिए 8,67,55,616 रुपये के पूर्व अवधि के खर्च और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के लिए ओबीडी शुल्क को मिलाकर)	47,54,83,336	23,44,97,227
वेबसाइट रखरखाव खर्च	2,86,506	1,38,402
रिक्रूटमेंट	40,648	4,46,829
संचार	48,37,755	42,77,738
मीटिंग सम्बंधित खर्च	79,683	6,52,424
अन्य खर्च	7,24,293	6,18,689
कुल	**64,50,48,633**	**42,93,22,177**

*लेखापरीक्षक भुगतान	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)	मार्च 31, 2018 राशि (रु.)
लेखा परीक्षकों को भुगतान (GST सहित)		
a) लेखा परीक्षक	4,60,198	3,24,500
b) अन्य सेवाओं के लिए	1,18,000	1,91,750
c) व्यय की भरपाई	27,780	59,000
कुल	**6,05,978**	**5,75,250**

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
CIN : U72900MH2001NPL133410

नोट 20(A) - मार्च 31, 2019 को बैलेंसशीट का सारांश

	विवरण	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग	MyGov	प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन विभाग	कुल
		मार्च 31, 2019 राशि (रु.)	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)
I.	**इक्विटी और देनदारियां**				
1	अंशधारी निधि				
	(a) शेयर पूंजी	-	-	-	-
	(b) रिजर्व और अधिशेष	12,74,14,758	8,56,29,874.00	6,08,17,872	27,38,62,504
	(c)आकस्मिकताओं के लिए आरक्षित निधि	4,46,30,000	-	10,80,05,781	15,26,35,781
2	गैरवर्तमान देनदारियां				
	(a) दीर्घावधि प्रोविजन्स	-	-	1,47,91,482	1,47,91,482
3	वर्तमान देनदारियां				
	(a) अन्य वर्तमान देनदारियां	61,91,06,074	24,83,98,013.00	58,99,81,289	1,45,57,83,475
	(b) अल्पावधि प्रोविजन्स	-	-	14,22,824	14,22,824
	कुल	**79,11,50,832**	**33,40,27,887**	**77,50,19,248**	**1,89,84,96,066**
II.	**परिसंपत्तियां**				
1	गैरवर्तमान संपत्तियां				
	(a) अचल संपत्तियां				
	(i) मूर्त संपत्तियां	1,30,19,466	2,08,63,417.00	5,98,64,522	9,37,47,405
	(ii) अमूर्त संपत्तियां	11,43,95,292	6,47,66,457.00	9,53,350	18,01,15,099
	(iii) विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां	1,92,11,599	7,18,26,806.00	-	9,10,38,405
		14,66,26,357	15,74,56,680	6,08,17,872	36,49,00,909
	(b) गैरवर्तमान निवेश	-	-	2,400	2,400
	(c) दीर्घावधि ऋण और पेशगी	-	-	-	-
	(d) अन्य गैरवर्तमान संपत्तियां	4,30,545	30,74,644.00	35,34,982	70,40,171
2	वर्तमान संपत्तियां				
	(a) नकद और नकद समकक्ष	50,62,52,062	16,37,87,131.00	33,72,44,802	1,00,72,83,995
	(b) अल्पावधि ऋण और पेशगी	12,12,61,336	-	35,51,99,357	47,64,60,693
	(c) अन्य वर्तमान संपत्तियां	1,65,80,532	97,09,432.00	1,82,19,835	4,28,07,898
	कुल	**79,11,50,832**	**33,40,27,887**	**77,50,19,248**	**1,89,84,96,066**

		-	-	-	-

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

CIN : U72900MH2001NPL133410

नोट 20 (B) - मार्च 31, 2019 को आय एवं व्यय विवरण का सारांश

	विवरण	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग	MyGov	प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन विभाग	कुल
		मार्च 31, 2019 राशि (रु.)	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)
I.	सहायता अनुदान खाते से अंतरित (नोट 2(g) एवं 24 देखें)	1,01,85,58,884	53,08,55,491	78,80,68,391	2,33,74,82,766
II.	अन्य आय	10,500	2,308	36,72,968	36,85,776
III.	कुल	**1,01,85,69,384**	**53,08,57,799**	**79,17,41,359**	**2,34,11,68,542**
	व्यय:				
	अनुसंधान एवं/या विकास व्यय	65,48,81,248	-	75,75,91,586	1,41,24,72,834
	कर्मचारी लाभ व्यय	-	26,65,33,349	1,71,13,726	28,36,47,075
	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	36,36,88,136	26,43,24,450	1,70,36,047	64,50,48,633
	मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय				
	- अनुसंधान संपत्तियों पर	4,68,89,880	-	2,03,00,264	6,71,90,144
	अन्य सम्पत्तियों पर	5,66,395	4,16,68,563	15,25,646	4,37,60,604
		4,74,56,275	4,16,68,563	2,18,25,910	11,09,50,748
	घटाव: अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से अंतरित (नोट 3 देखें)	4,74,56,275	4,16,68,563	2,18,25,910	11,09,50,748
IV.	**कुल**	**1,01,85,69,384**	**53,08,57,799**	**79,17,41,359**	**2,34,11,68,542**
V.	व्यय पर अधिक आय (III-IV)	-	-	-	-

21 वर्ष के अंत में पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताएं, रु. शून्य; (पिछले वर्ष रु. शून्य) ।

22 आयकर विभाग के टीडीएस पोर्टल के अनुसार बकाया टीडीएस डिमांड के रूप में वर्ष के अंत में संभावित देयताएं रु. 6,12,140 हैं (पिछले वर्ष, रु. शून्य)।

23 कंपनी को आयकर अधिनियम,1961 की धारा 10(23)(C)(iv), आदेश संख्या CCIT/MUM/10(23)(C)(iv)/66/2007-08 97, दिनांक 31.10.2007, के तहत धर्मार्थ उद्देश्य के लिए एक संस्था के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो कि वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई द्वारा निर्धारण वर्ष 2005- 2006 से वापस लेने तक जारी किया गया है, और इसलिए कंपनी कर में छूट का दावा करने की हकदार है, जो कि निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन है।

कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A, पत्र संख्या DIT(E)/12A/36786/2002-2003 दिनांक 7 अक्टूबर 2002 के तहत पंजीकरण भी प्राप्त किया है और इसलिए वह आयकर अधिनियम की धारा 11 के तहत कर में छूट का दावा करने की हकदार है।

24 कंपनी को वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान रु. 2,76,72,03,927 का सहायता अनुदान (पिछले वर्ष, रु. 1,97,70,00,877) प्राप्त हुआ है। सहायता अनुदान का कोई भी भाग जो अंततः अनुमोदित उद्देश्यों के लिए आवश्यक नहीं है उसे सरकार को यथानियम सौंपा जाएगा।

अनुदान का विवरण	**वित्तीय वर्ष 2018-19 रुपये**	**वित्तीय वर्ष 2017-18 रुपये**
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग:		
एनईजीपी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्षमता निर्माण योजना (चरण ii)	81,06,00,000	-
एनईजीपी 2014-17 के लिए जागरूकता और संचार दृष्टिकोण और रणनीति		43,96,82,630
एनईजीडी 2.0 की कार्यप्रणाली	8,55,00,000	23,10,00,000
सहयोग अनुप्रयोग विकास के लिए प्राप्त निधि	2,28,00,000	-
तीव्र मूल्यांकन प्रणाली/ रैपिड असेसमेंट सिस्टम	1,83,25,000	-
राष्ट्रीय डिजिटल लॉकर	2,74,00,000	-
राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान केन्द्र	8,00,00,000	-
सेल्फ4सोसाइटी	2,95,26,391	-
यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन (उमंग)	10,00,00,000	-
अनुसूचित जाति / जनजाति आधिकारिक प्रशिक्षण परियोजना	4,56,00,000	-
विश्व बैंक डीपीएल परियोजना	1,04,00,000	-
IndEA परियोजना	58,00,000	
प्रोजेक्ट सीआईएसओ (CISO) प्रशिक्षण कार्यक्रम	60,00,000	
कुल (a)	**1,24,19,51,391**	**67,06,82,630**

MyGov:		
MyGov - शासन में नागरिकों की भागीदारी के लिए एक मंच	19,74,00,000	33,70,00,000
E-Greetings और Sampark पोर्टल	19,30,36,163	14,66,21,157
प्रचार अभियान के लिए MeitY से अनुदान	-	87,11,000
डिजी धन प्रोत्साहन के लिए NILERD से अनुदान	-	9,01,18,319
मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	14,55,86,446	-
गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	11,10,951	-
DAVP से प्राप्त अनुदान	2,59,63,894	-
DWS से प्राप्त अनुदान	1,19,69,732	-
MOSPORTS से प्राप्त अनुदान	1,00,00,000	-
कुल (b)	**58,50,67,186**	**58,24,50,476**
प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन प्रभाग (TDDD)		
-TDDD	5,00,00,000	6,21,67,760
- वाराणसी आईसीटी आधारित एकीकृत विकास कार्यक्रम (वीआईआईडीपी) चरण II	29,16,300	29,28,000
- बिठूर में महिला सशक्तिकरण के लिए ICT - "बिठूर शक्ति"	33,11,000	35,94,000
- आईसीटी द्वारा मिर्जापुर (एक पिछड़ा जिला), उत्तर प्रदेश के मझवा ब्लॉक में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से विकास और आजीविका संवर्धन	54,32,000	-
- डिजीबुनाई (बुनाई के लिए ओपन सोर्स सीएडी टूल) का संवर्धन, फील्ड परीक्षण, और प्रशिक्षण और रखरखाव	49,28,000	-
- पूर्वोत्तर क्षेत्र (मिजोरम) के बुनकरों/डिजाइनरों और कारीगरों के लिए डिजिटल समाधानों का संवर्धन और फील्ड परीक्षण	27,53,000	-
- पुनर्भाव : जागरूकता सृजन और प्रचार योजना के तहत दिव्यांगता संबंधित सूचना के प्रसार के लिए एक वेब पोर्टल	-	2,25,000
- DST, भारत सरकार, द्वारा वाराणसी के बसनी में ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना	-	23,85,061
कुल (c)	**6,93,40,300**	**7,12,99,821**
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना (d)	81,08,45,050	53,29,67,950
सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (e)	6,00,00,000	11,96,00,000
कुल योग	**2,76,72,03,927**	**1,97,70,00,877**

25 वर्ष के दौरान सहायता अनुदान पर प्राप्त ब्याज के रूप में 6,52,95,667 रुपये (पिछले वर्ष रु. 3,96,10,472) की राशि सहायता अनुदान खाते में जमा की गई है। अर्जित/उपार्जित ब्याज को कंपनी द्वारा सहायता अनुदान खाते में उसी वर्ष में जमा किया गया है जिस वर्ष इसे उपचय-आधार पर अर्जित/उपार्जित किया गया। कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान रु. 4,82,77,176/- (पिछले वर्ष रु. 1,83,51,463) के ब्याज सहित रु. 17,36,74,601 (पिछले वर्ष रु. 7,03,33,796) का सहायता अनुदान वापस (रिफंड) किया है।

26 सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के अनुसार, सहायता अनुदान से खरीदी गई परिसंपत्तियों का निपटान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है। इन परिसंपत्तियों का उपयोग सिर्फ उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है जिनके लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, अगर कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो ऐसी परिसंपत्तियां इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को वापस कर दी जाएंगी, जो कि इन परिसंपत्तियों को बेचने या अन्यथा निपटान के लिए स्वतंत्र होगा।

27 a) प्रायोजित परियोजनाओं से ओवरहेड्स के रूप में प्राप्त धन सहित अन्य आय का उपयोग कर TDDD और NeGD द्वारा एक आरक्षित/बचत निधि बनाई गई है जो कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रत्याशित लागत, भविष्य के रखरखाव की लागत, या फिर DIC-TDDD एवं NeGD के हित में किसी अन्य उद्देश्य के लिए होगी।

b) वित्तीय वर्ष 2017-18 में NeGD द्वारा GCCS 2017 के प्रायोजन के लिए प्राप्त रु.4,46,30,000/- की राशि को वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान के लिए हुए व्यय के साथ एडजस्ट करने के बजाय व्यय के रूप में एडजस्ट किया गया। जिसके परिणामस्वरूप सहायता अनुदान खाते में अधिशेष है। वर्ष के दौरान इस राशि को सहायता अनुदान खाते से "आकस्मिकताओं के लिए रिज़र्व फंड" में अंतरित कर दिया गया।

c) वर्ष के दौरान रु.5,23,60,733 की कुल राशि को प्रोजेक्ट ओवरहेड (रु.5,24,67,266) में से आरक्षित निधि में अंतरित किया गया। चूंकि सावधि जमा को विशेष रूप से निर्धारित नहीं किया गया है, लिक्विड सावधि जमा पर अर्जित रु.67,76,273 का आनुपातिक ब्याज रिज़र्व फंड में जमा किया गया है।

28 3 संस्थानों से प्राप्त खातों के लेखा परीक्षित विवरण के आधार पर TDDD ने 41,22,374 रुपये कुल व्यय, 16,515 रुपये का अर्जित ब्याज ,और 2,00,000 रुपये की अचल संपत्ति लेखाबद्ध की है। कुल 14,00,000 रुपये के व्यय के बारे में 1 संस्थान से प्राप्त व्यय का विवरण संस्थान के अधिकृत कर्मियों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और ये खाते/विवरण संबंधित संस्थान के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा ऑडिट के अधीन हैं। 'ऋण और पेशगी' के तहत दिखाई गयी और एक वर्ष से अधिक समय से बकाया कुल रु. 8,61,558 की शेष राशि के पुष्टि/उपयोग संबंधित प्रमाण पत्र 3 संस्थानों से प्राप्त नहीं हुए हैं।

IT रिसर्च एकेडमी ने i) परियोजना दल के 46 सदस्यों से प्राप्त खातों के लेखा परीक्षित विवरण के आधार पर कुल खर्च रु.3,45,12,700, ब्याज अर्जित रु.5,26,123 और अचल संपत्ति रु.92,88,465 (ii) परियोजना दल के 20 सदस्यों से प्राप्त खातों के प्रमाणित विवरण के आधार पर कुल रु.1,19,75,142 का खर्च, अर्जित ब्याज रु.1,61,411 और अचल संपत्ति रु.13,74,426 लेखाबद्ध किये हैं, और ये खाते/विवरण संबंधित संस्थानों के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा ऑडिट के अधीन हैं। 'ऋण और पेशगी' के तहत दिखाई गयी और एक वर्ष से अधिक समय से बकाया कुल रु. 2,05,15,351 की शेष राशि के पुष्टि/उपयोग संबंधित प्रमाण पत्र परियोजना दल के 28 सदस्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना ने i) कुल खर्च 33,62,15,337 रुपये और ब्याज अर्जित 24,39,496 रुपये (50 संस्थानों से प्राप्त खातों के लेखा परीक्षित/ऑडिट विवरण के आधार पर) ii) कुल खर्च 26,50,96,682 रुपये और अर्जित ब्याज रु. 6,93,846 (27 संस्थानों से प्राप्त खातों के प्रमाणित विवरण के आधार पर) लेखाबद्ध किये हैं और ये खाते/विवरण संबंधित संस्थानों के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा ऑडिट के अधीन हैं। 'ऋण और पेशगी' के तहत दिखाई गयी और एक वर्ष से अधिक समय से बकाया कुल 93,66,371 रुपये की शेष राशि के पुष्टि/उपयोग संबंधित प्रमाण पत्र 6 संस्थानों से प्राप्त नहीं हुए हैं।

नीचे उल्लिखित संस्थानों से रु.7,58,28,239 की राशि के लिए शेष राशि की पुष्टि / उपयोग संबंधित प्रमाण पत्र NeGD के खातों की पुस्तकों में एक वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं:

a) परिचालन और इंफ्रा घटकों के लिए क्षमता निर्माण चरण II के तहत राज्य – रु.6,60,13,432
b) YASADA – रु.6,25,753
c) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम – रु.15,00,000
d) भारतीय खेल प्राधिकरण – रु.15,46,238
e) निदेशक/सदस्य सचिव, SCITeG – रु.10,00,000
f) प्रबंध निदेशक, तेलंगाना राज्य प्रौद्योगिकी सोसायटी – रु.13,50,000
g) निदेशक, ITDA, उत्तराखंड – रु.25,00,000
h) A&C के तहत कार्यशाला आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय – रु.12,92,816

वित्तीय विवरण इन खर्चों और अचल संपत्तियों के विवरण के आधार पर तैयार किए गए हैं।

29 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के लिए NICSI पंजीकृत विक्रेता से SMS गेटवे और आउट बाउंड डायलिंग (OBD) सेवाएं प्राप्त हुई हैं। धन की कमी के कारण, MyGov डिवीजन ने अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के लिए NICSI को कार्य आदेश जारी नहीं किया है और खर्चों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

30 मेसर्स ऑब्जेक्ट वन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड को देय रु.14,19,41,146 पर ब्याज के लिए MyGov डिवीजन द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऑब्जेक्ट वन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड ने राशि की वसूली के लिए MSE फैसिलिटेशन काउंसिल (रंगा रेड्डी रीजन) में मामला दर्ज कराया था । MSEFC ने 29.06.2019 को मेसर्स ऑब्जेक्ट वन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड को ब्याज सहित देय राशि का भुगतान करने के निर्देश जारी किए हैं।

31 विदेशी मुद्रा में व्यय

		मार्च 31, 2019 वर्षांत रुपये	मार्च 31, 2018 वर्षांत रुपये
i)	यात्रा खर्च	36,64,016	2,24,798
ii)	उपकरण	37,81,340	13,65,102
	कुल	**74,45,356**	**15,89,900**

लागत (विदेशी मुद्रा में) में शैक्षणिक संस्थानों द्वारा उपकरणों पर किया गया व्यय भी शामिल है।

32 कर्मचारी लागत में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रबंध निदेशक को भुगतान किया गया रु. 0 पारिश्रमिक (पिछले वर्ष, रु. 0) शामिल हैं।

33 डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के सहयोग से आईआईटी, बॉम्बे द्वारा विकसित एक़्वा सॉफ्टवेयर लाइसेंस का उपयोग करने के लिए कंपनी ने दिनांक 17 सितंबर, 2008 को एग्रोकॉम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया था। उक्त एमओयू के अनुसार, कंपनी को एग्रोकॉम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के 2400 शेयर (प्रति शेयर 1 रुपये की फेस वैल्यू के साथ) प्राप्त हुए थे जो कि नॉन-करंट इंवेस्टमेंट्स के तहत दर्ज हैं।

34 कर्मचारी लाभ

कंपनी (लेखा मानक), नियम 2006 के अनुसार, निम्नलिखित विवरण दिए गए हैं।

परिभाषित लाभ योजनाएं

A. ग्रेच्युटी फंड में अंशदान

कर्मचारियों के लिए कंपनी के ग्रेच्युटी फंड का विवरण नीचे दिया गया है जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 31 मार्च, 2019 को प्रमाणित किया गया है और जिस पर लेखा परीक्षकों का कार्य आधारित है।

		वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2017-18
i	मूल्यांकन विधि	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड
ii	बीमांकिक अनुमान		
	मोर्टेलिटी दर	**LIC(2006-08) अल्टीमेट**	**LIC(2006-08) अल्टीमेट**
	निकासी दर	1%	1%
	छूट दर	7.5%	7.5%
	वेतन वृद्धि	5.00%	10.00%
iii	मूल्यांकन के परिणाम	**रुपये**	**रुपये**
a.	पिछले सेवा लाभ का PV	84,01,319	68,13,520
b.	वर्तमान सेवा लागत	5,55,762	2,03,168
c.	कुल सर्विस ग्रेच्युटी	3,14,64,803	2,05,19,586
d.	उपार्जित ग्रेच्युटी	1,23,20,547	96,96,610

B. छुट्टी नकदीकरण

कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान में (संचित अवकाश नकदीकरण के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार किए गए प्रावधान के लिए) 39,24,142 रुपये (पिछले वर्ष 21,50,115 रुपये) और (अक्यूरल बेसिस पर आय और व्यय के विवरण में से डेबिट किए गए संविदात्मक कर्मचारियों की देयता के लिए) रु.1,20,571 (पिछले वर्ष रु.1,74,306) शामिल हैं। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार और कंपनी के खातों में दर्शाए अनुसार कुल देयता रु.1,39,70,436 (पिछले वर्ष रु.1,09,83,288) है। कंपनी ने देयता पूरी नहीं की है।

परिभाषित अंशदान योजनाएं:-

कंपनी ने भविष्य निधि/पेंशन निधि के लिए रु. 32,94,447 (पिछले वर्ष रु. 79,61,226) मान्य किये हैं।

35 सूक्ष्म और लघु उद्यम देय राशि

कंपनी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत आपूर्तिकर्ताओं से उनकी स्थिति के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है और इसलिए :

ए) लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ताओं को देय और बकाया राशि बी) वर्ष के दौरान भुगतान किया गया ब्याज सी) लेखा वर्ष के अंत में देय ब्याज और डी) लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अभुक्त ब्याज नहीं दिया गया है।

यह कंपनी, अधिनियम के तहत सप्प्लायर्स से उनकी स्थिति के संबंध में पुष्टि प्राप्त करने का प्रयास कर रही है।

36 कंपनी एक छोटी और मध्यम आकार की कंपनी (एसएमसी) है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 (यानी, कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006) के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों के संबंध में सामान्य निर्देशों में परिभाषित है और जिसे

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन तक एक लेनदेन प्रावधान के रूप में माना जाएगा। तदनुसार, कंपनी ने छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया है।

37 प्राप्य और देय राशि (यदि कोई हो) पुष्टिकरण, रेकन्सीलिएशन, और उसके परिणामी अड़जस्टमेंट्स के अधीन है।

38 पिछले वर्ष के आंकड़ों को (जहां कहीं आवश्यक हो) चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप करने के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

नोट नं. 1 से 38 के लिए हस्ताक्षर

यार्डी प्रभु एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या: 111727W/W100101
UDIN: 21116172AAAAWY7279

सीए राहुल रिंगे
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 116172

बोर्ड की ओर से एवं बोर्ड के लिए

(अभिषेक सिंह)
प्रबंध निदेशक और सीईओ
[DIN: 02645352]

(अजय प्रकाश साहनी)
निदेशक
[DIN: 03359323]

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: अक्टूबर 28, 2021

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन एनेक्सी, 6 CGO काम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली –110003
+91 (11) 24360199, 24301756, 24303500,
24303555, 24303599